खण्ड-303, अंक-1
गुरूवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1895
(29 मार्च, 1973 ई0)

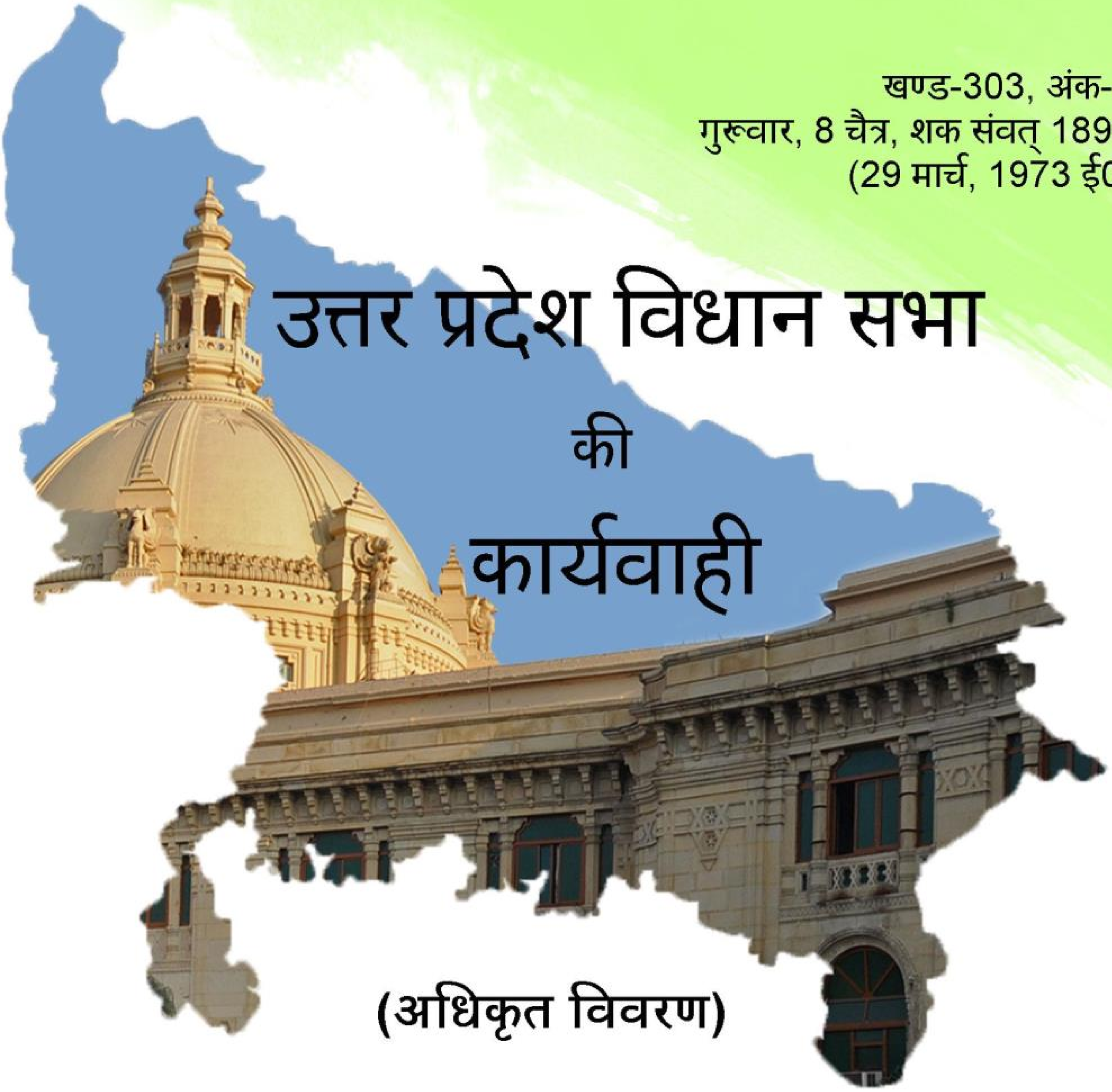

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 303 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 29 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---372

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण भगत सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितन्द्रपाल सिंह, श्री
ज० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डा० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दलसिंगार यादव, श्री
दीप नारायण बन, श्री
दीप नारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगा प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भामी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मेहेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री

राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रिपुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लल्ला शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौकत सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण वाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सिया राम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिराम तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हीरालाल अग्रवाल, श्री

नोट—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 29 मार्च, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

[22 मार्च, 1973 का स्थगित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न]

वार सर्विसेज वाले आशु लिपिकों की ज्येष्ठता

****1—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1972 के तीसरे गुरुवार क तारांकित प्रश्न संख्या 67 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि तत्सम्बन्धी कार्यालय आदेश दिनांक 17 सितम्बर, 1947 के पश्चात् सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4339-ई/बीस–47, दिनांक 22 सितम्बर, 1947 द्वारा वार सर्विस वाले आशुलिपिकों को स्पष्ट शब्दों में यह लिखित आश्वासन दिया गया था कि उनकी ज्येष्ठता उनके लिये बनाये जा रहे नियमों की रोशनी में पुनः निर्धारित की जायगी? यदि हां, तो उस आश्वासन की रोशनी में शासन ने क्या किया है या करने का विचार है?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां। यह सही है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 4339–ई/बीस–47, दिनांक 22 सितम्बर, 1947 के द्वारा सम्बन्धित आशुलिपिकों को यह सूचना दी गई थी कि वार सर्विस

अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सम्बन्धी मामला शासन के विचाराधीन है और उस विषय में लिये गये निर्णयानुसार उनकी ज्येष्ठता पुनः निर्धारित की जायेगी। किन्तु पिछले सत्र के तीसरे गुरुवार को प्रश्न संख्या 67 के उत्तर में दिये गये कारणों से उक्त आशुलिपिक की ज्येष्ठता पुनःनिर्धारित नहीं की जा सकती थी और न अब इस मामले में शासन द्वारा कोई अन्य कार्यवाही करने का विचार है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि प्रश्न 67 के संदर्भ में उन्होंने उत्तर दिया है लेकिन मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन 11 आशुलिपिकों को नामांकित किया गया और जो फैसला सन् 39 में किया गया और सन् 46 में जिसको तात्कालिक जनप्रिय सरकार ने कार्यान्वित किया, उन 11 को छोड़कर शेष आशलिपिकों पर उसे लागू करने में क्या आपत्ति है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की गई है वह रूल्स व मैरिट के अनुसार की गई है इसके अतिरिक्त नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न 67 का उत्तर पढ़ दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

वह उत्तर इस प्रकार था "जी हां, अब इसमें कोई सुधार सम्भव नहीं है। वार सर्विस वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी, 1947 में आयोजित परीक्षा के आधार पर हुई थी और उसे 1 अप्रैल, 1949 से स्थायी किया गया था। इससे पूर्व 1939 में तत्कालीन लोक-प्रिय सरकार ने गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 245 (5) के अन्तर्गत 11 अन्य आशुलिपिकों को बिना आयोग की परीक्षा पास किये नामांकित तथा स्थायी किये जाने का निर्णय लिया था, जो 1946 में नई लोकप्रिय सरकार की स्थापना होने पर 17 सितम्बर, 1947 के कार्यालय आदेश द्वारा कार्यान्वित किया गया। उसी समय यह भी निर्णय लिया गया था कि उक्त नामांकित आशुलिपिकों को जनवरी, 1947 में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से भर्ती किये गये आशलिपिकों से ज्येष्ठ रखा जायगा।"

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं पहले अपना प्रश्न दोहरा दूं कि जिन 11 नामांकित आशुलिपिकों के सम्बन्ध में सरकार ने एक निर्णय सन् 39 में लिया था और जिसको कि सन् 46 में कार्यान्वित किया गया, जसा कि प्रश्न के उत्तर में दिया है, उनको छोड़कर शेष पर जो नियम निर्धारित किये गये हैं, 55 में, 58 में और 48 में उनके अनुसार इन शेष के ऊपर उनको लागू करने में आप को क्या आपत्ति है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैंने निवेदन किया कि कोई अनियमितता नहीं की गई और जो किया गया है वह नियमों और मैरिट के अनसार ही किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

आपने वादा किया था कि उस निर्णय के अनुसार ज्येष्ठता पुनः निर्धारित की जायगी, 11 के बारे में तो यह हो गया कि उन्हें बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन के उनको कर दिया लेकिन बाकी जो रह गये उनके बारे में आपने पुनरीक्षण क्यों नहीं किया, यह प्रश्न है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

हमने नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया, जब तक उनम परिवर्तन न किया जाय तब तक कुछ नहीं हो सकता। सितम्बर, 46 की स्थिति के अनुसार 3 सीनियर व्यक्ति थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था और 11 यह नामांकन वाले सीनियर हुये। आयोग की जो सन् 47 की परीक्षा थी उसमें जो लोग बैठे उसके अनुसारएकोर्डिग टु मैरिट 12 लोग हैं और उस लिस्ट में श्री रिछपाल सिंह गोयल, जिनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनका नं0 सीनियोरिटी में मैरिट के लिहाज से नवां है। 3, 1946 के हैं, उनको पहले ले लिया जा चुका है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वे नियम क्या हैं, जिनका पालन उन्होंने किया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो नियम हैं, उनके मुताबिक ही उनको लिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, इन्होंने बिल्कुल गलत बयानी की है। मैं इसके साथ ही एक विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं। गवर्नमेंट आफ दि यनाइटेड प्रोविन्सेज एप्वाइन्टमेंन्ट (बी) डिपार्टमेंट का आदेश संख्या 0–1609/2–बी–7–1945, दिनांक 20–9–48 इसमें दिया है :—

"Seniority shall count from the date of the order of appointment to the Civil post."

For War services the seniority will be regulated as follows :

"Seniority shall count from the date of the order of appointment to the civil post".

तो जो नियम आप कोट कर रहे हैं, वार सर्विसेज वाले हैं, उनको सीनियारिटी ऊपर रखनी चाहिए थी।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

रूल यह है यदि श्रीमन्, आप आज्ञा दें तो पढ़े देता हूं और इस सम्बन्ध में जो विधि विभाग की राय है, वह भी पढ़ दूं ?

नियम 34 इस प्रकार है :—

"In other cases the names of condidates selected for direct recruitment shall be arranged in order of merit as disclosed by the results of the examination or selection held in a year, as the case may be.'

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह कौन सा रूल है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

यह नियम 34 (2) (ii) है जिसके हिसाब से हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो मैं कोट कर रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

लीगल राय इस प्रकार है :—

"Legally speaking, it cannot be said that the Government is bound in law to honour every such concessions because the concessions so announced cannot be said to have a statutory sanction behind them."

हम इससे बाउंड नहीं हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने एक प्रश्न पूछा और जो शासकीय आदेश है, उसे कोट किया। उसके अनुसार सीनियारिटी उसी दिन से देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि वे कन्सेशन्स हैं जिनसे वे बाउंड नहीं हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

एप्वाइन्टमेंट्स जब से सब्सटेंटिव पोस्ट्स पर होंगे तब से सीनियोरिटी मानी जायगी लेकिन वार सर्विसेज कैंडिडेट्स के लिए सीनियोरिटी शैल काउंट फ्राम दि डेट आफ दि आर्डर आफ एप्वाइन्टमेंट और अन्य के लिए सब्सटैन्टिव पोस्ट पर एप्वाइन्टमेंट की तारीख से।

श्री अध्यक्ष—

आप किस सर्विस के लिए कह रहे हैं ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

वार सर्विसेज के लिए कह रहा हूं। एक और जी० ओ० है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी वक्त यह कार्यवाही न हो, तो सरकार रिव्यू करेगी। वह भी मैं कोट किए देता हूं।

"*Paragraph* 17: All departments of the Secretariat will now take early action accordingly so that all pending cases and cases in which final orders have been issued and which are to be reviewed are finalised without delay."

उसमें मान्यवर, यह है कि फिर रिव्य करना पड़ेगा।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मैंने निवेदन किया कि कोई अनियमितता नहीं हुई और रूल्स और मेरिट के हिसाब से ही किया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, सवाल साफ हो जाय, इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सन् 1947 में 22-9-48 को इन्होंने आश्वासन दिया था कि—

"The question of giving to war service candidates the benefit of previous service in the army and regulation of seniority etc. are under consideration. His pay seniority will be refixed in the light of such orders as may be passed for all war service candidates."

यह इनका आश्वासन था। उसके बाद 20 सितम्बर, 1948 को जी० ओ० निकाला जाता है कि जिसका जिक्र नित्यानन्द जी दे रहे थे। उसका नम्बर है—ओ० एम० उ०-1609 दो-बी-7-1945, दिनांक 20 सितम्बर, 1948 इसमें यह तय किया गया कि ऐसे आर्मी के लोग जो पहले आर्मी में काम कर चुके थे, बाद में सिविल सेवाओं में नियुक्ति हासिल की है, जिस दिन से उनके सिविल पोस्ट पर नियुक्ति होने का आदेश हुआ है, उस दिनसे सीनियारटी

होगी और दूसरे लोगों की सब्सटेंटिव एप्वाइंटमेंट से सीनियारिटी फिक्स की जायगी । इस नियम का पालन नहीं किया गया है । गवर्नमेन्ट को फिर शिकायत मिली कि अनपालन नहीं हुआ । तो उसी जी0 ओ0 को 1955 में फिर दुहराना पड़ा । जी0 ओ0 का नं0 है—बी0–533/दो–बी–55, दिनांक अप्रैल 16,1955 इसमें यह दुहराया गया है कि जिस तारीख से आदेश होता है सिविल पोस्ट में, उसी तारीख से सीनियारिटी काउन्ट की जायगी । इस वक्त शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है कि क्या इस तरह का आदेश था और यदि था, तो क्या कारण है कि उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

एश्योरेन्स जरूर दिया गया था परन्तु नियमों में कोई चेंज नहीं किया गया था । हम नियमों से गाइड होते हैं । एकार्डिग टु रूल्स ऐण्ड मेरिट लिया गया इसलिये हम उसी से गाइड होत हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उसे आप आश्वासन कहें, कन्शेसन कहें, जी0 ओ0 कहें या नियम कहें, इतनी ही कन्ट्रोवर्सी है कि वह जी0 ओ0 था और आप कहते हैं कि कन्शेसन था । जो भी था, लेकिन वार सर्विस में जो गये थे और सिविल पोस्ट में जो आये थे, उनके लिये थे । प्रश्न यह है कि यदि कोई सरकारी इम्प्लायी आये और कहे कि हम वार सर्विस में गये थे और हमारी सीनियारिटी उस कन्सेशन, एश्योरेन्स या नियम से फिक्स हो, तो क्या आप उसका फिक्शेशन उस हिसाब से करेंगे या कि आपने उस कन्शेसन को वापस कर लिया है?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैंने इसके पहले निवेदन कर दिया है कि सन् 47 के आश्वासन का पालन करना हमारे लिये सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, बहुत बड़ी आपत्ति है.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस सवाल को आप स्थगित कर दीजिये.....

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं एडवोकेट जनरल की भी राय आपको बता देता हूं.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी की यह जानकारी में है, श्रीमन्, मैं इसको जरा सा फिर से साफ कर दूं हालांकि मेरे मित्र अनन्तराम जी ने, असरार साहब ने स्पष्ट किया है, लेकिन उसके उत्तर में जो जवाब दिया गया है मन्त्री जी ने उसमें केवल यह कहा गया है कि नियमों के अनुसार किया गया है, तो मैं दुबारा यह नियम आपको पढ़कर बता देना चाहता हूं, कि पहला जी0 ओ0 20 सितम्बर, 1948 का है जो श्री गोविन्दनारायण, चीफ सेक्रेटरी द्वारा निकाला गया है जिसमें लिखा हुआ है कि the seniority shall count from the date of the order of the appointment to the civil post.... यह तो वार सर्विस वालों के लिये है । दूसरा जी0 ओ0 मैं आपकी इजाजत से बताना चाहता हूं, वह 16 अप्रैल, 1955 का है । यह जी0 ओ0 तब निकाला गया था जब वार सर्विस कन्डीडेट्स की भारी शिकायत आ रही थी कि उनको सही सीनियारिटी नहीं दी

रही है और उनके ऊपर सरकार ने यह आदेश निकाले कि सरकार इस शिकायत को सीरियसली क्यू लेती है और नियमों का पालन किया जाय। तीसरा जी0 ओ0 3 जुलाई, 1958 का है जिसमें सरकार ने यह कहा था कि जहां ज्येष्ठता मुकर्रर हो चुकी है और अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो पुनः उनकी ज्येष्ठता मुकर्रर की जाय। तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये तीन जी0 ओ0 जो चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से निकाले गये हैं जिसमें सभी विभागों को आदेश दिये गये हैं, क्या उनकी जानकारी में है? यदि हां, तो उनका कहां तक अमल हुआ ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि हमारे लिये उस एश्योरेन्स का पालन करना सम्भव नहीं है और जो हमने किया है वह हमने मेरिट के हिसाब से नियमानुसार किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, एक बात जरा सुन लें। सन् 1967 से अब तक 6 साल से यह बराबर सवाल-दोहराता चला आ रहा है और मन्त्री जी जब उत्तर देते हैं तो समान्य नियमों का हवाला देते हैं। लेकिन मान्यवर, सामान्य नियमों से वार सर्विस कैन्डीडेट गवर्न नहीं होते। जो आदेश जारी किये गये हैं वह अपवाद के तौर पर जारी किये गये हैं। सम्भवतः इस डिस्टिंक्शन को माननीय मन्त्री जी समझ नहीं रहे। सामान्य नियमों में सीनियारिटी फिक्स होती है फ्राम द डेट आफ सब्सटेन्टिव एप्वाइन्टमेन्ट, जब कि वार सर्विस वालों के लिये फ्राम द डेट आफ द आर्डर आफ द एप्वाइन्टमेन्ट' है सिविल पोस्ट पर। यह डिस्टिंक्शन सामान्य और एक्सेप्शन में माननीय मन्त्री जी नहीं समझ रहे हैं और बार-बार सामान्य नियम, सामान्य नियम. . . .की बात करते हैं। और इसीलिये यह कन्फ्यूजन है। मान्यवर, हम लोगों को सन्तोष नहीं हो सका और विधान सभा में यह प्रश्न आता रहेगा और समय नष्ट होता रहेगा, जैसा कि अब तक होता रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से शासन से यह निवेदन करूंगा कि जिस दिन मुख्य मन्त्री जी हों, इस डिस्टिंक्शन को समझ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप को उत्तरों से संतोष नहीं है तो नियम 49 में दे दीजिये, तभी मैं कुछ कर सकूंगा।

[29 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित अपसूचित तारांकित प्रश्न]

सोहसा गठिया इन्टर कालेज, देवरिया का बन्द होना

**1--श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सोहसा गठिया इंटर कालेज, जिला देवरिया गत कई महीनों से कालेज के प्रिंसिपल और छात्रों के बीच गहरा मनमुटाव हो जाने के कारण बन्द है, जिससे निकट भविष्य में होने वाली परीक्षा से छात्रों के वंचित रह जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो सरकार ने कालेज के खुलवाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)--

जी नहीं। केवल अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर 72 में क्रमशः 20, 18 तथा 27 कार्य दिवसों में 12, 2, तथा 16 दिवसों को विद्यालय छात्र आन्दोलन के कारण बन्द रहा। जनवरी, 73 से विद्यालय सामान्य रूप से चल रहा है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बांके लाल--

आन्दोलन का क्या कारण था?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

आन्दोलन का कारण था छात्र संघ का निर्माण। प्रधानाचार्य छात्र संघ की अनुमति नहीं दे रहे थे इसलिये विद्यार्थी आन्दोलन पर गये।

श्री बांके लाल--

क्या यह बात सही है कि सोहसा गठिया इंटर कालेज की मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों में मन मुटाव था जो कि कालेज के बन्द होने में एक मुख्य कारण था?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

प्रबन्ध समिति के सदस्यों में विवाद का ऐसा कोई रूप नहीं था--मतभेद तो स्वाभाविक है प्रजातंत्र में जैसे कि बांके लाल जी में भी हो जाया करता है, लेकिन प्रबन्ध समिति में ऐसा विवाद नहीं है जिससे कि विद्यालय के बन्द होने की आशंका हो।

श्री बांके लाल--

क्या कारण था कि डिप्टी डायरेक्टर ने जाकर उस विद्यालय के कागज-पत्रों को अपने अधिकार में कर लिया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

माननीय बांके लाल जी जैसे हमारे कुछ मित्रों ने आरोप-पत्र दिया था कि वहां के हिसाब-किताब में कुछ शिकायतें हैं। वहां के सब कागजों के हस्तगत करने और विशेष जांच के आदेश दे दिये गये हैं क्योंकि माननीय सदस्यों को भी तो सन्तुष्ट करना है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

उक्त विद्यालय के 8--10 कमरे जला दिये गये थे जिसके लिये सरकार की ओर से कुछ अनुदान भी दिया गया। कमरों को जलाने का क्या कारण था और क्या सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि किसने उनको जलाया था?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

अग्नि कांड में विद्यालय के कमरों को क्षति पहुंची। शासन ने मदद की और विद्यालय के कमरों को पुनः निर्मित कराया गया। अग्नि कांड के मामले की पुलिस जांच कर रही है। उसके सम्बन्ध में तो कोई विवरण नहीं दे पाऊंगा। जहां तक शिक्षा विभाग का उत्तरदायित्व है विद्यालय को मदद दी गयी और कमरों का निर्माण कराया गया।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

मैं पहले भी खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष--

आप एक प्रश्न कर लें।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी--

क्या मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि लगातार 3 वर्षों से प्रिंसिपल ने पुलिस कप्तान और अन्य पुलिस अधिकारियों को लिख कर रिपोर्टस् दी है कि उनकी जान को खतरा है, अध्यापक लोग भागते रहते हैं ? क्या प्रबन्ध समिति में 2 दल हो गये हैं? क्या एक ही दल या दोनों दल विद्यालय को चला रहे हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

विद्यार्थियों को सन्देह जरूर हुआ था। चुनाव के समय कोर्ट का स्थगन आदेश आ गया। उसके बाद उनके ऊपर हमला भी हुआ और उनका घिराव भी किया गया, मगर जनवरी में विद्यालय खुल गया था और तब से सुचारू रूप से चल रहा है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आशंका प्रतीत नहीं होती है।

वर्ष 1973 में विवाहोत्सव के लिये नागरिकों को चीनी देने की व्यवस्था

**2--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्षों की भांति वर्ष 1973 में भी विवाहोत्सव कार्य के लिये नागरिकों को चीनी निर्धारित दर से देने की व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)--

जी नहीं। गत वर्ष इस आशा से शादी के लिये चीनी के परमिट देने का निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार से इस हेतु चीनी का अतिरिक्त कोटा प्राप्त हो जायगा। किन्तु भारत सरकार ने इस मांग को पूरा नहीं किया। यही नहीं पिछले वर्ष शादी के लिये चीनी के परमिट देने के फलस्वरूप घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली चीनी की मात्रा में भी कटौती करनी पड़ी थी जिससे अधिकांश घरेलू उपभोक्ता असन्तुष्ट थे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मन्त्री जी यह महसूस करते हैं कि शादी विवाह के लिये चीनी देना अनिवार्य है और ऐसी दशा में जब केन्द्रीय सरकार कोटा नहीं बढ़ा रही है तो देहाती क्षेत्रों के लिये शादी विवाह के लिये चीनी देने पर विचार कर रहे हैं?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री बेनी सिंह)--

शादी विवाह के लिये शकर देना मैं अनिवार्य नहीं समझता। लेकिन आपने कहा कि विचार करें तो वह कर रहे हैं। यह नहीं करेंगे कि देहात का कोटा विवाह शादी के कोटे में परिवर्तित कर दें। पिछले साल यह व्यवस्था हुई थी। हम फिर प्रयास करेंगे कि भारत सरकार से कहें और कोई ऐसा विधान निकालें कि शादी विवाह के लिये चीनी दे सकें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

यह शादियों में बहुत भाग लेते हैं तो कम जाया करें।

श्री बेनी सिंह--

मैं शादियों में जाता ही नहीं।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने यह लिखा है कि शकर का काम पूरी तरह से सरकार ले ले? अभी आप 60 प्रतिशत कर रहे हैं?

श्री बेनी सिंह--

इस प्रकार की हमें सूचना नहीं है। लेकिन लेवी शुगर का सारा काम एफ० सी० आई० को दिया गया है।

श्री त्रिलोक चन्द---

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित देहात में चीनी का जितना कोटा जाता है उससे अधिक शहर में मिलता है। क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि देहात वालों का कोटा कम न हो और विवाह शादी के लिये चीनी की व्यवस्था हो सके ?

श्री बेनी सिंह---

मैंने निवेदन किया कि हम जरूर विचार करेंगे।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

गत वर्ष मन्त्री जी ने 100 ग्राम चीनी कम करके नगर और ग्राम में कुछ चीनी शादी विवाह के लिये देने का नियम बनाया था। कल को वह क्या लिखेंगे। गर्मियों में विशेष रूप से शादी विवाह होते हैं तो वह क्या कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह---

यह तो मैं बार-बार कह रहा हूं।

श्री त्रिलोक चन्द---

शादियां शुरू होने वाली हैं तो कब तक विचार पूरा कर लेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

बहुत जल्दी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

व्यवस्था का प्रश्न है। 'जल्दी' क्या होता है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

आपने कहा कि भारत सरकार से अनुमति लेंगे। क्या आप स्वयं सक्षम नहीं हैं ? खाद्य समिति की उप समिति ने यह सिफारिश की है कि देहात के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय। आप भारत सरकार से बिना पूछे इस पर विचार करेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

मुझे अफसोस है कि चौधरी साहब को कुछ भ्रम हो गया। मैंने अनुमति की बात नहीं कही। मैंने कहा कि उनसे कहेंगे कि कुछ कोटा बढ़ावें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अध्यक्ष जी, आम तौर से जवाब यह होता है कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र करेंगे। यह सदन उठ जायगा और साल पूरा हो जायगा लेकिन इनका 'शीघ्र' नहीं आयगा। कोई डेडलाइन निर्धारित करें।

श्री बेनी सिंह---

श्रीमन्, शादी विवाह शुरू होने के पहले हो जायगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

शादी विवाह के अवसर पर चीनी दिये जाने के औचित्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने भारत सरकार को कितने पत्र लिखे हैं और उस सन्दर्भ में क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं। यह स्पष्ट कर दें ?

श्री बेनी सिंह---

कितने पत्र दिये हैं यह तो इस वक्त नहीं बतला सकूंगा। उन्होंने बार-बार यह कहा है कि शादी विवाह के लिये कोई कोटा नहीं बढ़ा सकते।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस हाउस की जो कमेटी गठित है उसकी उप समिति ने यह निर्णय लिया है कि शादी विवाह के सम्बन्ध में शकर दी जाय ?

श्री बेनी सिंह---

यदि ऐसा सुझाव दिया है तो उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

आपकी मौजूदगी में सहमति हुई, आपने आपत्ति नहीं उठाई, आप सहमत हैं तो इस पर निर्णय लिया गया है या नहीं ?

श्री बेनी सिंह---

असरार साहब फिर बहक गये। जब निर्णय हुआ तो मैं मौजूद नहीं था। जब आखिर में मैं आया तो कहा गया कि यह सिफारिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)---

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिले को राशन के आधार पर बांटी जाने वाली शकर एक वर्ष के लिये जो अलाट होती है वह कितनी गांव को दी जाती है और कितनी शहर को दी जाती है ?

श्री बेनी सिंह---

यह तो डिटेल की बात है, इस समय नहीं बतला सकता हूं कि किस जिले को कितनी दी जाती है ?

श्री पारस नाथ सिंह---

गांव की आबादी के लिये कोई प्रतिशत होगा, वह बतला दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो हर जगह अलग-अलग दी जाती है।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बाल दिवस समारोह के लिये 40 क्विन्टल चीनी श्री जगदीश गांधी को किस नियम के आधार पर दी गई है?

श्री बेनी सिंह---

इस पर तो विचार करके बतला सकेंगे, इस समय नहीं बतला सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि बाल दिवस समारोह के लिये जगदीश गांधी जी को चीनी दी गई या नहीं, और अगर दी गई तो कितने क्विंटल दी गई ?

श्री बेनी सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

40 कुन्टिल चीनी डी0 एस0 ओ0 नहीं दे सकता है कलेक्टर भी नहीं दे सकता है तो सूचना की इसमें क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न संख्या 3 लिया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी पिछले प्रश्न में श्री जगदीश गांधी को 40 कुन्टिल चीनी देने की बात थी । मन्त्री जी इस सदन में कटघरे में खड़े हैं । आप उनको इस बारे में जवाब देने दीजिये । आप सरकार को बचाने का प्रयत्न न करें ।

श्री अध्यक्ष---

वह जवाब दे चुके हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

इस पर नियमावली के अनुसार चर्चा की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

वह जवाब दे चुके हैं, आपने सुना नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

खाद्य मन्त्री जी पढ़कर इस सदन में नहीं आते हैं । इस बात पर दो बार मुख्य मन्त्री जी भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं । जो जवाब दिया जा रहा है उससे कोई सहमत नहीं होगा । आखिर इससे भी कोई अहम मसला होगा कि एक अपनी पार्टी के विधायक को 40-40 क्विंटल चीनी दी जाय और लाख-लाख रुपये विधायकों को तोड़ने के लिये लगाये जा रहे हैं, तो ये मन्त्री जी आज कठघरे में हैं । 40 क्विंटल का परमिट न डी0 एस0 ओ0 दे सकता है, न डी0 एम0 दे सकता है, केवल राज्य सरकार को अधिकार है । ये कह रहे हैं कि हम पता लगा कर बतायेंगे तो कल बता दें । इस सवाल को आप स्थगित कर दें, कल पता लगा कर इसका उत्तर दे दें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसको स्थगित क्यों करूं ? इसमें यह प्रश्न आता नहीं है, यह नया प्रश्न है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

इनका स्पष्ट कहना था कि शादी-ब्याह में कोई चीनी नहीं दी जायगी और मन्त्री लोग बराबर शादियों में कार पर झंडा लहराते हुए चले जाते हैं । जब जाते हैं तो परमिट भी देते होंगे ! तो इनसे स्पष्ट जवाब दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने जवाब दिया कि जांच करके जवाब दे सकता हूं । (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में राशनिंग की व्यवस्था

**3---श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण राशनिंग व्यवस्था लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

जी नहीं, इस समय पूर्ण राशनिंग लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं सोची जा रही है ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

माननीय खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि इस समय उनकी पूर्ण राशनिंग करने की योजना नहीं है तो पहली अप्रैल, 1973 से वे उपभोक्ताओं को कितना राशन, यानी कितना गेहूं, कितना चावल और आटा देंगे और क्या यह राशन नगरों के अलावा टाउन एरियाज में और नोटिफाइड एरियाज में भी देंगे ?

श्री बेनी सिंह---

जिन जगहों पर इनफार्मल राशनिंग है उन्हीं सब जगहों पर जो पिछले महीने मिलता रहा वह आगे भी देते रहेंगे ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

इस समय नगरों में जो सस्ते गल्ले की दूकानें हैं उनकी संख्या बढ़ाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह---

श्रीमन्, यूनिट घटाने की बात है । एक दुकान पर ढाई हजार यूनिट से ज्यादा न हों, और जब यह होगा तो दूकानें अपने आप बढ़ेंगी ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

इस बात को देखते हुए कि चूंकि फूडग्रेंस के ईश्यू को सरकार अपने हाथ में ले रही है तो मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने यूनिट पर एक दुकान गल्ले की खोलेंगे ताकि सब सामान लोगों को मोहइया होता रहे ?

श्री बेनी सिंह---

इसका जवाब तो अभी दिया है कि ढाई हजार यूनिट पर एक दूकान होगी ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

मैं जानना चाहूंगा कि अभी केवल नगरों और कबाल टाउंस में राशन मिल रहा है और जो जिले के अन्दर कस्बे, टाउनएरिया और नोटिफाइड एरिया हैं वहां भी खोलेंगे और खोलेंगे तो कब तक दूकान खुल जायेगी ?

श्री बेनी सिंह---

जिन-जिन जगहों पर दूकान खुली हुई हैं और जो नागरिक क्षेत्र हैं जहां पर इनफार्मल राशनिंग है वह बराबर जारी रहेगी ।

श्री अध्यक्ष---

आप जवाब दूसरा दे रहे हैं । सवाल यह है कि क्या आप टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया वगैरह में भी ऐसी सस्ते गल्ले की दूकान खोलने के लिये तैयार हैं ?

श्री बेनी सिंह---

मान्यवर, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया में भी खुली हुई हैं और वह बनी रहेंगी ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया में कहीं भी, किसी भी जगह पर आज की तारीख में गल्ला नहीं दिया जाता?

श्री बेनी सिंह--

श्रीमन्, ऐसी इत्तला तो मेरे पास है नहीं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

मेरी इत्तला को सही मान कर क्या आप इंक्वायरी करायेंगे? बदायूं में मुझे इल्म है कि राशन नहीं मिल रहा है । तो क्या इंक्वायरी करायेंगे?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या सरकार देहाती क्षेत्र में भी जो खेतिहार मजदूर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है और जो गल्ला खरीद कर खाते हैं उनको भी शहरों की भांति सस्ता गल्ला पहुंचाने का प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री बेनी सिंह--

जो नया तरीका है खरीदने का वह यह है कि थोक व्यापार हम ले रहे हैं । गांवों किसान से किसान, किसान से मजदूर के गल्ला खरीदने पर कोई रोक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

वह जानना चाहते हैं कि क्या आप वहां दूकानें खोलेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

जहां जरूरत होगी वहां दूकानें जरूर खोलेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने यह सवाल पूछा था कि जो कृषक श्रमिक हैं, जिनके पास खेती नहीं है और मजदूरी करते हैं उनको सस्ते गल्ले की दूकानें खोल कर शहरों की भांति गल्ला न देने का क्या कारण है ?

श्री बेनी सिंह--

इसलिये कि देहात में जहां अन्न पैदा होता है वहां छोटी-छोटी तादाद में अन्न खरीदने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है । हमने रिटेलर को भी 10 कुंटल खरीद कर 50 कुंटल तक रखने की इजाजत दी है । परचूनी को भी 2 कुंटल खरीद कर 5 कुंटल तक रखने की इजाजत दी है । फिर भी इसके बाद अगर कहीं तकलीफ होगी तो हम दुकान खोल देंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

जरूरत का आधार क्या होगा ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

आजकल जहां अनौपचारिक राशनिंग है, जैसे शहरों में और पर्वतीय क्षेत्र में और दूकानें खुली हुई हैं, वहां पर अभी तो गल्ला मिलता नहीं है लेकिन पहली अप्रैल के बाद प्रति यूनिट आप कितना गल्ला देने जा रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह---

ऐसी बात तो मैं नहीं मान सकता कि अभी तक गल्ला मिलता ही नहीं रहा लेकिन 6 किलोग्राम प्रति यूनिट अन्न देने को हमने कहा है वह हम देते रहेंगे ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

इस वक्त गेहूं खरीदने के बारे में व्यवस्था यह है कि सरकार भी खरीदती है और व्यापारी भी खरीद सकते हैं। पहली अप्रैल से केवल सरकार ही उसे खरीद सकेगी। तो क्या कारण है कि पहली अप्रैल से राशन की मात्रा प्रति यूनिट उतनी ही रहेगी, उसमें कोई वृद्धि नहीं की जायगी ? अगर ऐसा है तो गांव के कन्ज्यूमर कहां से प्रबन्ध करेंगे ?

श्री बेनी सिंह--

नेता विरोधी दल का यह कहना कि किसी को खरीदने की इजाजत नहीं है यह सही नहीं है। हम केवल थोक में खरीदेंगे। हमने रिटेलरों को लाइसेन्स दिये हैं। वह 10 कुंटल तक खरीद सकते हैं और 50 कुंटल तक रख सकते हैं। तो जो सेकेन्ड चैनल सप्लीमेन्ट करने का होता है वह बराबर जारी रहेगा। हम जितना इस वक्त दे रहे हैं वह देते रहेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या मन्त्री जी को इतमिनान है कि जितनी दूकानें खुली हुई हैं उन सभी को उनकी आवश्यकतानुसार गल्ला मिल रहा है?

श्री बेनी सिंह--

हमें तो इतमिनान है, जहां नहीं मिल रहा होगा वहां पहुंचायेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या मन्त्री जी उन गावों में जो जिला मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, आदि में 8 किलोमीटर बार्डर एरिया में आते हैं और जहां पर कि सरकार ने आज के मूवमेंट पर पूर्ण रोक लगा दी है, वहां पर पूर्ण राशनिंग करेंगे ?

श्री बेनी सिंह--

इस तरह का अभी तक तो विचार आया नहीं, लेकिन इसको भी देख लेंगे।

भराड़ा (गढ़वाल) में अपूर्ण डैम को पूर्ण कराने की मांग

** 4--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि प्रदेश की विद्युत् की कमी को दृष्टि में रख कर सरकार भराड़ा (गढ़वाल) में अपूर्ण छोड़े गये डैम को पूर्ण करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से इस पर कार्य आरंभ होगा और कितनी विद्युत् प्राप्त होने की संभावना है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मन्त्री जी को पता है कि इस भराड़ा (गढ़वाल) डैम के सर्वेक्षण आदि पर सरकार 13 लाख रुपये खर्च कर चुकी है, यदि हां, तो वह योजना क्या थी और क्यों उसे खत्म कर दिया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इस प्रकार के बांध की कोई योजना नहीं है। वैसे प्रयास तो किया ही जाता है बांध आदि बनाने का, लेकिन ऐसी कोई योजना बांध बनाने की नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

श्रीमन्, नायर नदी पर भराड़ा बांध बनाने की पहले योजना बनी थी और उसका सर्वेक्षण आदि भी हुआ जिस पर लाखों रुपया खर्च हुआ था, तो क्या उस योजना पर पुनः विचार करेंगे और उसको दिखा लेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

नायर बांध परियोजना के बारे में सर्वेक्षण अवश्य हुआ था, लेकिन टैक्नीकल एक्सपर्ट्स की राय यह थी कि वहां की राक्स फाल्टी हैं और यह बांध वहां बनाना ठीक न होगा ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या एक विदेशी एक्सपर्ट ने, जिनको केवल इस पर अपनी राय देने के लिये बुलाया गया था, यह रिपोर्ट दी थी कि यह बांध बनाया जा सकता है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन टैक्नीकल एक्सपर्टस् कमेटी ने स्पष्ट रूप से अपनी राय इसको न बनाने की जाहिर की थी क्योंकि उनका कहना था कि राक्स बहुत कमजोर हैं ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

टैक्नीकल रिपोर्ट के काफी पहले मेरी वहां के एस० ई० श्री गुप्ता से बात हुई थी और उनकी राय यह थी कि यदि वहां डीप फाउन्डेशन दे दी जाय तो बांध बनाया जा सकता है, तो क्या मन्त्री जी वहां का पुनः सर्वेक्षण करायेंगे ताकि यह बांध बन सके और वहां का विकास हो सके ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

वह तो हो चुका है और टेक्नीकल एक्सपर्ट्स की राय ही फाइनल होती है । अब किसी तरह की गढ़वाल के रंडी नदी पर गांव में बनना था, उसका सर्वे विस्तृत रूप से हुआ और पाया गया कि इनसे 150 के० डब्लू० की फर्म पावर ही मिल रही थी, जो कि बरसात में कुछ बढ़ जाती । लेकिन उसमें 16 से 20 लाख के बीच में लागत लगेगी । तो ऐसी हालत में इतनी ज्यादा लागत और इतना कम उत्पादन उचित नहीं समझा जा सकता है और इसको सम्भव नहीं समझा गया । यह एक पुरानी योजना है, यहां और कई अनेक प्रकार की योजनायें आ गई हैं जिससे क्षेत्र का हित होगा । इन सब बातों के वजह से यह उचित नहीं समझा गया कि एक टेक्निकल कमटी क राय के विरुद्ध काम करने का प्रयास किया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह काम प्रारम्भ तो किया गया था, तो किसकी संस्तुति पर यह प्रारम्भ किया गया था, जबकि इसमें लाभ कम और हानि ज्यादा थी? क्या मन्त्री जी उसकी जांच करायेंग ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

काम इसीलिये शुरू नहीं किया गया कि घाटे की सम्भावना थी ।

श्री गोविन्द सिंह नगी---

मन्त्री जी का कहना है कि टेक्निकल कमेटी में यह राय दी है कि यहां पर डैम नहीं बनेगा, यही राय बोर्ड पहले भी द चुका है । किन्तु उसक बाद वहां कई रिसर्चें हुई हैं, इसलिये दबारा इस प्रोजक्ट की जांच करान में मन्त्री जी को क्या डिफीकल्टी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसके बाद अन्य कई योजनायें उस क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिये सामने आ गई हैं। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती है। फिर जैसा माननीय सदस्य कहेंगे, हम तो उसको दिखवाने के लिये सदैव तैयार हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

राष्ट्रीय हित में जो भवन या वस्तुएं होती हैं उनको नेशनल म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाता है, जिसको स्वीकार किया जाता है या जिसको प्रदेश बना चुका होता है। कलकत्ता के नेशनल म्यूजियम में इस नयार बांध परियोजना का माडेल मिट्टी का स्थापित कर दिया गया है। तो मैं मन्त्री जी से मान्यवर, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उसको किसकी आज्ञा से वहां पुरःस्थापित किया गया, जबकि उसकी कोई योजना नहीं थी? और अब क्या सरकार उसको हटाने की कृपा करगी, जिससे गढ़वाल का नक्शा खराब न हो ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जो बड़ी योजना होती है उसकी एक रूपरेखा होती है, उसका माडेल बनाया जाता है, उसको म्युजियम में रखा भी जाता है। उसकी योजना सामने आई, इसलिये वह रखा गया। अब इस हालत में माननीय सदस्य उसको नष्ट कराने में कोई विशेष लाभ समझते हैं तो उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मन्त्री जी ने कहा गढ़वाल जिले में अन्य भी तमाम योजनाओं पर सर्वेक्षण हो रहा है, तो ऐसी कितनी योजनायें जिला गढ़वाल में हैं जिनका सर्वे हो रहा है और उनमें से कितनी योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें आप टेक्निकली एप्रूव कर चुके हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इस समय जो परियोजनाएं हैं उन पर काम या तो शुरू है या सर्वे कार्य द्रुतिगति से हो रहा है, जिनसे टिहरी गढ़वाल का बड़ा लाभ होने वाला है। जैसे टेहरी बांध परियोजना तो एक खास योजना है जो हो चुकी है, इसके अलावा भी रामगंगा बांध परियोजना, यमुना जलविद्युत् परियोजना द्वितीय चरण, मनेरी माली जल विद्युत् परियोजना-प्रथम चरण और यमुना जल विद्युत् योजना-चतुर्थ चरण हैं। ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिनसे गढ़वाल और टेहरी को लाभ होगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

ये कोई भी योजनाएं पौड़ी गढ़वाल में नहीं, सब उसके बाहर की हैं। मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जूनियर हाई स्कूलों की परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कराने की मांग

*1---श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगामी शिक्षा सत्र 1973-74 से विभागीय पत्र संख्या 3079-933/72-73, दिनांक 10-12-72 द्वारा प्रदेश के गैर सर-

कारी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में (जहां के प्रधानाध्यापक अब तक शिक्षा संहिता के अध्याय 7 की धारा 15 के अन्तर्गत स्वयं कक्षा 8 की परीक्षा लेते आ रहे हैं) कक्षा 8 की परीक्षा अनिवार्य रूप से बोर्ड द्वारा संचालित कराये जाने का कोई आदेश दिया गया है और क्या यह अनिवार्यता इन्टरमीडिएट एवं हाई स्कूलों की कक्षा 8 के लिये भी की गई है ? अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राज बिहारी सिंह)---

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ खन्ना---

मैंने तो प्रश्न पूछा था कि क्या कक्षा 8 की परीक्षा अनिवार्य रूप से बोर्ड द्वारा संचालित कराये जाने को कोई आदेश दिया गया है और मन्त्री जी ने उसका एक लाइन में जवाब दे दिया, तो उससे क्या समझा जाए? मैं फिर यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह बताएगी कि सरकार ने कोई आदेश सं0 3079-933/72-73, दिनांक 10-12-72 के अन्तर्गत कोई आदेश दिया है, तो वह क्या है ?

श्री राजबिहारी सिंह---

मान्यवर, 1972 में एक आदेश निकला था, उसको पढ़ कर सुना देता हूं । यह विभागीय परीक्षाओं के रजिस्ट्रार ने लिखा है तमाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को । उन्होंने लिखा है "जूनियर हाई स्कूल परीक्षा 1973 म प्रवेश के सम्बन्ध में---उक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि इस वर्ष की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा गत 1972 की परीक्षा की भांति संचालित होगी अर्थात् संहिता की वर्तमान धारा 248 (15) के अन्तर्गत ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक जो स्वत: अपने विद्यालय की कक्षा 8 की परीक्षा लेन के अधिकारी हैं, वे अपने विद्यालय की कक्षा 8 की गृह परीक्षा स्वत: संचालित कर सकते हैं ।"

श्री जगन्नाथ खन्ना---

माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है कि आठवीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड लेगा और पूरे प्रदेश में चाहे जूनियर हाई स्कूल हों या हाई स्कूल हो या इन्टरमीडिएट कालेज हों सब पर लागू होगी ?

श्री राजबिहारी सिंह---

मान्यवर, अब तक जो परिस्थिति रही है जूनियर हाई स्कूल जो जिला परिषद् और म्युनिसिपल बोर्ड के हैं उनकी विभागीय परीक्षा लेता था । यह प्रश्न विचाराधीन है कि जितने जूनियर हाई स्कूल हैं उनकी परीक्षाएं एक साथ की जायं ।

श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि बालकों का मूल्यांकन एक सा हो, एक स्तर के पर्चे बनें, अत: ऐसी परीक्षा, समिति गठित करेंगे जो सारे बेसिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षा ले, यदि हां तो कब तक ?

श्री राजबिहारी सिंह---

इस परीक्षा के लिए तो नहीं, अगली 1974 में जो परीक्षा होगी उसके लिए जरूर विचार कर रहे हैं ।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि जब उन्होंने बेसिक बोर्ड का गठन किया, जिला परिषद् और नगरपालिका के जूनियर हाई स्कूल बोर्ड के अन्तर्गत आ गये हैं तो जिला परिषद् के जो हायर सेकेन्डरी स्कूल चलते हैं, बेसिक बोर्ड के अन्तर्गत करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह--

जी नहीं ।

श्री जगन्नाथ खन्ना--

माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो योजना विचाराधीन है कि आठवीं तक परीक्षा बोर्ड ले इन्टरमीडिएट कालेज हैं या हाई स्कूल हैं उनमें जो आठवीं कक्षा है उन पर भी यह योजना लाग होगी या नहीं ?

श्री राज बिहारी सिंह--

जैसा मैंने निवेदन किया सारे प्रश्न विचाराधीन हैं, जो इन्टरमीडिएट कालेज हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय, उसके साथ जो प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल हैं उन सब का सम्बन्ध हो, इन सारे मसलों पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन में क्या फर्क है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

दोनों एक ही हैं । समझने का फेर है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(1) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राजकीय आदर्श विद्यालयों के प्रधानाचार्य पद हेतु हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी

*1--श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश राजकीय आदर्श विद्यालयों में 1967 से 1972 तक हरिजन तथा पिछड़े वर्ग में से कितन प्रधानाध्यापकों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने नियुक्त किये गये ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

प्रश्न में निहित सूचना का क्षेत्र वृहत् तथा पुराना है जिसे प्रदेश के प्रत्येक जिले से संकलित किया जा रहा है । सम्पूर्ण सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है । उसे एकत्र करने में अभी कुछ समय लगेगा ।

आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को रेन्ट फ्री क्वार्टर

*2--श्री किशन लाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में खोले गये किन-किन आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सरकारी क्वार्टर फ्री रेन्ट (किराया मुक्त) दिये गये ? क्या ऐसे भी आदर्श विद्यालय हैं जिनके प्रधानाध्यापक को आवास भवन तो दिया गया परन्तु उसे फ्री रेंट क्वार्टर न देकर उससे किराया लिया गया ? यदि ऐसा है, तो ऐसे कौन-कौन प्रधानाध्यापक हैं और उनसे कब तक की कितनी धनराशि ली गई ? उन्हें वापिस न करने का क्या कारण है ?

नोट--तारांकित प्रश्न 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में निहित सूचना का क्षेत्र वृहत् है जिसे प्रदेश के प्रत्येक जिले से संकलित किया जाना है। सम्पूर्ण सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। उसे एकत्र करने में अभी कुछ समय और लगेगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक पद पर नियुक्ति

*3—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा संख्या 37/1-69, नियुक्ति (ब) दिनांक जनवरी, 1970 द्वारा उप सचिव शासन के अनुसार कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति लिपिक पद पर की गई और कुल की गई नियुक्तियों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की लिपिक पद पर नियुक्तियों का प्रतिशत क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा फर्जी अध्यापकों के स्थानान्तरण की शिकायत

*4—श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश के बावजूद फर्जी तौर पर जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ने लगभग 100 प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का स्थानान्तरण माह अगस्त व सितम्बर, 1972 में किया और स्थानान्तरण पत्रों में तारीखें जुलाई माह की लिखी, यदि हां, तो इस प्रकार की कार्यवाही को सुधार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोई स्थानान्तरण नहीं किए।

[20 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन, वाराणसी के निर्णय

*1—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें वाराणसी में उत्तर प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों के दिनांक 13 जुलाई, 72 को हुए सम्मेलन के निर्णयों की सूचना है ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार उनकी तृतीय वेतन मण्डल की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को क्या संस्तुति करने जा रही है। प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकारों की दशा सुधारने में क्या प्रदेश सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

जी हां। तृतीय वेतन मण्डल के गठन का प्रश्न केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

पत्रकारों की ओर से अपनी दशा सुधारने के सम्बन्ध में यदि कोई योजना या मांगें प्रस्तुत की जायंगी तो सरकार उन पर विचार करके निर्णय लेगी। अपनी ओर से सरकार ने कभी कोई योजना नहीं बनाई।

नगीना, जिला बिजनौर के श्री रोशन लाल की हत्या

*2—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 4-7-72 को नगीना, जिला बिजनौर में जनसंघ के प्रमुख कार्यकर्ता श्री रोशन लाल का शव माल गोदाम के पास से मिला ? शरीर के हर भाग यहां तक कि अन्डकोश पर भी चोटें थीं ? हत्या के अपराध में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं ? क्या सरकार मामले की गम्भीरता को देखते हुए तथा राजनैतिक व्यक्ति पर घातक हमले को दृष्टिगत करते हुए इस मामले को सी0 आई0 डी0 को जांच सुपुर्द करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4-7-72 को श्री वेद प्रकाश ने थाना नगीना, बिजनौर में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उनके ताऊ श्री रोशन लाल 2-7-72 से घर वापस नहीं लौटे। उन्होंने यह भी सूचना दी कि एक शव माल गोदाम, नगीना के पास तालाब में पड़ा तैर रहा है जो उनके ताऊ का होने का सन्देह है। इस रिपोर्ट पर श्री रोशन लाल का शव नगीना रेलवे स्टेशन के निकट माल गोदाम के पास के तालाब से बरामद किया गया। मृतक भारतीय जनसंघ, नगीना मण्डल का सदस्य था। मृतक के शरीर पर 6 चोटें पाई गईं परन्तु अन्डकोश पर कोई चोट नहीं थी। थाना नगीना में भा0 दं0 वि0 की धारा 302/404 के अन्तर्गत अपराध दर्ज करके जांच आरम्भ कर दी गई। परन्तु अभियुक्तों का पता न लगने के कारण मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अब इस मामले को न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने पर सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द किया जायगा।

स्टेपुल सूत की कीमत में बढ़ोत्तरी की शिकायत

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्टेपुल सूत की इस समय इतनी कीमत चढ़ गई है कि हथ-करघा उद्योग अलाभकर हो गया है और राज्य के बुनकर भूखों मरने की स्थिति में आ गये हैं ? यदि हां, तो सरकार सूत की कीमत समान स्तर पर लाने और बुनकरों को राहत देने के लिये क्या कर रही है ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

यह सही नहीं है कि स्टेपुल सूत की कीमत इस समय बढ़ रही है बुनकरों को राहत देने के लिये उनको उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के माध्यम से निर्धारित उचित मूल्य पर स्टेपुल सूत उपलब्ध कराया जा रहा है।

राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित वेतन-मान की मांग

*4—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजकीय महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदित वेतन-मान लागू कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? और सरकार लागू करने के लिए कब तक सोच रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष और प्रवक्ताओं के वेतन-मान शिक्षा विभाग के इन्हीं वर्गों के अधिकारियों के बराबर निर्धारित किये गये है इसलिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदित वेतन-मान इनको देना सम्भव नहीं है।

भारत-पाक युद्ध में शहीद या अपंग सैनिकों के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें

*5—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार ने मार्च, 1972 के लगभग राज्य सरकारों को यह निर्देश भेजा है कि वे हाल में भारत-पाक युद्ध में शहीद या अपंग हुए सैनिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें दें ? यदि हां, तो इस निर्देशन में किन-किन रियायतों को देने का जिक्र है और उनके सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

भारत सरकार ने दिसम्बर, 1971 में यह सुझाव दिया था कि इन बच्चों को प्रथम से स्नातक स्तर तक निम्न शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जायं:—

(1) शिक्षा संस्थाओं में लिए जाने वाले शिक्षा एवं अन्य सभी शुल्कों से पूर्ण मुक्ति ।

(2) आवासीय स्कूलों एवं कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को सभी छात्रावास शुल्कों से पूर्ण मुक्ति ।

(3) पुस्तकों एवं लेखन सामग्री पर हुए व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति ।

(4) शिक्षा संस्थाओं में जहां पोशाक अनिवार्य हो, उस पर हुए व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति ।

(5) प्रतिरक्षा कार्मिकों की उक्त युद्ध में आकस्मिक मृत्यु के कारण उस समय स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले उनके बच्चों की शिक्षा में अवरोध का निवारण ।

उपर्युक्त सभी सुविधाएं प्रदान किये जाने के लिए शासन द्वारा 6-3-1973 को आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

सम्भल जिला मुरादाबाद में बंगाली शरणार्थी महिलाओं की नीलामी

*6—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि मुहल्ला सराय तारीन, कस्बा व थाना संभल, जिला मुरादाबाद में बंगाली शरणार्थी महिलाओं की नीलामी करने वाले एक गिरोह अक्तूबर, 1971 में पुलिस की जानकारी में आया जो अब तक 27 महिलाओं को बेच चुका था ? यदि हां, तो ऐसा कुकृत्य तत्काल बन्द करने हेतु पुलिस ने कितनी गिरफ्तारियां कीं और आज तक नीलाम शुदा कितनी महिलायें बरामद की गईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मोहल्ला सराय तरीन, कस्बा सम्भल, जिला मुरादाबाद में 6 बंगाली लड़कियों को कलकत्ता से अपहरण कर नीलाम किये जाने के बारे में नव भारत टाईम्स, दिनांक 26-10-71 व 1-11-71 में समाचार प्रकाशित हुए थे । इस सम्बन्ध में एक बंगाली व्यक्ति के विरुद्ध 363/366 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करके विवेचना की जा रही है । अभी तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया जा सका है । आरम्भ की जांच से ज्ञात हुआ कि केवल 5 बंगाली लड़कियां आई थीं जिनका विवाह हिन्दू रीति से हुआ ।

हमीदपुर, जिला मुरादाबाद में हत्यायें

*7—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि जिला मुरादाबाद के थाना अमरोहा के हमीदपुर गांव में 21 अथवा 22 अक्तूबर, 1971 को दिन-दहाड़े एक पंचायत में तीन आदमियों को गोली मार कर नृशंस हत्या कर दी गई जिससे इलाके में बड़ा रोष और असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार ने तुरन्त क्या कार्यवाही की और अभी तक कितने मुल्जिम पकड़े जा चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20-10-71 की रात्रि को ग्राम हमीरपुर, थाना अमरोहा में पंचायत करते समय 3 व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई। सूचना प्राप्त होते ही धारा 147/148/149/302 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित पांच अभियुक्तों में से तीन को उसी दिन गिरफ्तार किया गया तथा शेष दो ने धारा 87/88 जा० फौ० की कार्यवाही के बाद न्यायालय में आत्म-समर्पण किया ? सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित कर दी गई है।

*8—श्री रामगोपाल सण्ड—

[8वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सूचना अधिकारियों की पुनः नियुक्ति का निर्णय

*9—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कावाल टाउन्स व अन्य नगरों में तुरन्त ही पुनः सूचना अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ? यदि हां, तो यह निर्णय किस आधार पर लिया और इसे कार्यान्वित कराने के लिये सरकार न क्या कार्यवाही की है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

जी हां। प्रदेश के 16 जिलों, जिनमें 11 जिले कमिश्नरी के मुख्यालय हैं तथा शेष पांच अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, में इस वर्ष सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सीमान्त के तीन जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में पहले ही से सूचना अधिकारी तैनात हैं।

जिला सूचना कार्यालयों के बन्द कर दिये जाने पर जिलों के अनेक पत्रकार संघों, पत्रकारों व जनता की ओर से इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए कि जिलों में पूर्ववत् सूचना एवं प्रचार की व्यवस्था की जाय। जनता एवं पत्र-पत्रिकाओं को सुचारु रूप से शासनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में समाचार देना जनतांत्रिक शासन पद्धति में आवश्यक होता है। अतः यह निर्णय लिया गया कि आरम्भ में प्रदेश के 16 जिलों में जिला सूचना अधिकारी पुनः नियुक्त किए जाएं। जिला सूचना कार्यालय तदनुसार स्थापित किए गए हैं।

जनपद बरेली तथा बदायूं के मार्गों पर बसों, ट्रकों तथा कारों की लूटमार

*10—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रूहेलखण्ड डिवीजन के जनपद बरेली तथा बदायूं के मार्गों पर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 1971 से 1 जून, 1972 तक कितनी बसों, ट्रकों और कारों को रोकने, उनके ड्राइवरों व सवारियों को मारने-पीटने और लूटने के वाकयात हुए और सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में बरेली तथा बदायूं जिलों के मार्गों पर इस तरह की 15 घटनाएं दर्ज कराई गईं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रात्रि में ट्रकों, बसों को एकत्रित करके एक साथ सशस्त्र पुलिस के साथ भेजने, सड़कों पर सशस्त्र पुलिस का गश्त कराने तथा मुख्य स्थानों पर स्थायी चेकिंग कराने की व्यवस्था की गई।

शंकरगढ़ तथा लोहोगरा (इलाहाबाद) के सिलिका बालू के उद्योग के लिये प्रार्थना-पत्र तथा उद्योग से आय

*11—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जनपद के शंकरगढ़ तथा लोहोगरा के सिलिका बालू के उद्योग से सम्बन्धित किन-किन व्यक्तियों ने पट्टा (लीज) के लिये वर्ष 1972-73 के लिये सरकार को प्रार्थना-पत्र दिये ? उनमें कितनों का पट्टा स्वीकृत हुआ तथा कितनों का विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1972–73 में 28-2-73 तक उन्नीस व्यक्तियों ने, जिनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं, खनन पट्टा हेतु आवेदन-पत्र दिये। उनमें से दो व्यक्तियों को खनन पट्टा स्वीकृत किया गया, एक व्यक्ति का आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया गया, तथा 16 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 121 पर)

*12—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में इलाहाबाद जनपद के शंकरगढ़ तथा लोहोगरा एवं अन्य पार्श्ववर्ती सिलिका बालू के उद्योग से सरकार को क्या राजस्व की उपलब्धियां हुईं ? क्या वह उपलब्धियां प्रति वर्ष वृद्धि पर हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1970–71 में 2,04,687 रु0 तथा वर्ष 1971–72 में 2,09,853 रु0 की राजस्व उपलब्धियां हुईं। यह उपलब्धियां प्रतिवर्ष वृद्धि पर हैं।

दारागंज, इलाहाबाद में जुआरियों के अड्डे पर छापा

*13—श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि 4, 5 नवम्बर, 1972 को इलाहाबाद में दारागंज थाने के निकट जुआड़ियों के पुराने अड्डे पर पुलिस द्वारा छापा मारने पर उपस्थित जुआड़ियों ने गोली चला दी जिससे एक सब-इन्सपेक्टर की मृत्यु हो गई और दो सब-इन्सपेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा जुआड़ियों के फड़ से कितना धन प्राप्त हुआ एवं मृतक दरोगा के परिवार तथा अन्य घायल पुलिस जनों को क्या-क्या आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 3-4 नवम्बर, 1972 की रात को इलाहाबाद पुलिस द्वारा दारागंज के एक मकान में जुआड़ियों को पकड़ने के लिए छापा मारा गया। जामा तलाशी के दौरान जुआड़ियों ने पुलिस पर गोली चला दी जिससे एक ए0 एस0 आई0, एक एस0 आई0 तथा एक हेड कान्सटेबिल को गंभीर चोटें आईं। ए0 एस0 आई0 की अस्पताल में मृत्यु हो

गई। इस सम्बन्ध में 22 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा एक ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। जुआड़ियों के फड़, नाल तथा जामा तलाशी से 507 रु0 बरामद हुआ। मृतक की पत्नी को शासन द्वारा 4,200 रु0 तथा अन्य स्रोतों से रु0 18,373.53 पै0 की सहायता दी गई। प्रत्येक घायल को 500 रु0 की सहायता दी गई।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अग्निकांड

*14—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का लेखा कार्यालय दिनांक 26-11-72 को फूंक दिया गया ? यदि हां, तो कितनी क्षति हुई, कितने अपराधी गिरफ्तार किये गये और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

विश्वविद्यालय के लेखा कार्यालय में 26-11-72 को आग लग गई थी। कुछ कागजात और फर्नीचर जल गये थे। इसकी सूचना विश्वविद्यालय ने पुलिस को दे दी थी। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी उनको नहीं है। यह सूचना प्राप्त होने पर शासन ने जिलाधिकारी से इसके विषय में सूचना मांगी है।

*15—16—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*17—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*18—श्री कल्याण सिंह—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*19—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जिले के जिला परिषद् के अप्रशिक्षित सेवा मुक्त अध्यापक

*20—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा के अन्तर्गत 30-11-65 के पूर्व से अध्यापन कार्य करने वाले जिला परिषद् के अप्रशिक्षित अध्यापकों जिनकी सेवायें 31-5-70 को समाप्त कर दी गई थीं उन सबकी सेवायें बहाल करके सेवा में ले लिया गया है और उनकी ट्रेनिंग सम्बन्धी व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतिरिक्त उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की स्वीकृति

*21—श्री दुर्जन—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कतिपय राजाज्ञाओं द्वारा प्रारम्भिक पाठशालाओं में उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु उन पाठशालाओं के लिये जहां उर्दू पढ़ने वाले छात्र उपलब्ध हैं अतिरिक्त उर्दू अध्यापकों की स्वीकृति 70-71 व 71-72 में प्रदान की गई थी और इनका पैसा भी शासन द्वारा भेजा जाता है और इस सम्बन्ध में जनपद बांदा में किन-किन तिथियों में कितने-कितने अध्यापक रक्खे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गन्ना विकास विभाग में वेतन वृद्धि तथा गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना निरीक्षक के पद को समवर्गी घोषित करना

*22--श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अभी तक विगत आठ वर्ष से वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। क्या यह सही है कि गन्ना विकास विभाग में गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना निरीक्षक के वेतन मान एवं शैक्षिक योग्यता में कोई अन्तर है ? यदि नहीं, तो अभी तक उन्हें समवर्गीय क्यों नहीं माना गया तथा यह विवाद सात वर्ष से शासन के विचाराधीन रहते हुए निर्णय न लेने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ऐसे कुल 6 कर्मचारी हैं। जी नहीं। शासन द्वारा उन्हें समवर्गीय घोषित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

*23--श्री दुर्जन--

[9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पिरखोली, जिला फैजाबाद में दो हत्यायें

*24--श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना रौनाही में ग्राम सभापति, पिरखोली के यहां गत दिसम्बर, 1972 में दो व्यक्तियों का एक साथ कत्ल दिन-दहाड़े हुआ जिससे कि गांव की जनता में इसका एक आतंक मचा है ? क्या गृह मंत्री सी0 आई0 डी0 द्वारा घटना की जांच करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक 18-12-72 को श्री अशोक कुमार तिवारी, पुत्र श्री प्रताप नारायन तिवारी प्रधान, ग्राम पिरखोली, थाना रोनाही, जिला फैजाबाद कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध उसी दिन सुबह 8 बजे बादी के बाग में काम कर रहे लोगों पर पुरानी शत्रुता के कारण एक राय होकर सशस्त्र आक्रमण करने और इसके फलस्वरूप दो व्यक्तियों की घटनास्थल पर मृत्यु हो जाने की सूचना थाने पर दी थी। उक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा 147/148/149/302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना शुरू की गई। 11 नामांकित अभियुक्तों में से 10 को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्राप्त सूचना के अनुसार समस्त प्रमुख अभियुक्त कारागार में हैं और गांव में कोई आतंक नहीं है। इस मामले में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

थानाध्यक्ष बनकटा, जिला देवरिया का स्थानान्तरण

*25--श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--

तारांकित प्रश्न संख्या 55 व 63 नत्था 'घ' दिनांक 18 जनवरी, 1973 के प्रश्नोत्तरों के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष, बनकटा, जिला देवरिया का उसके पद से कब हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थानाध्यक्ष बनकटा, जिला देवरिया के स्थानान्तरण का आदेश दिनांक 2-2-73 को हुआ था। उन्होंने 4-2-72 को अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया था। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया द्वारा जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता प्रदान करने में घूसखोरी की शिकायत

*26—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 5-1-73 को एक विधायक का शिकायती-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू होने के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया द्वारा घूस लेकर जूनियर हाई स्कूल की स्थायी एवं अस्थायी मान्यतायें पिछली तारीखों में दी जा रही हैं तथा डिस्पैच रजिस्टर में बटा लगाकर नम्बर लिखा जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद कार्यालय से सेवा निवृत्त लिपिकों की पेन्शन

*27—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, जिला इलाहाबाद के कार्यालय म कितन ऐस लिपिक रहे जिन्हें 55 वर्ष की आयु पर ही 1971 में सेवा निवृत्त कराया गया ? क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकार के लिपिकों के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया जा सका है और उन्हें अस्थायी पेन्शन भी अभी तक नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा सरकार अविलम्ब ऐसे लिपिकों के मामले पर निर्णय लेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल एक लिपिक। निर्णय लिया जा चुका है। अन्तिम पेन्शन भी स्वीकृत की जा चुकी है।

*28—श्री मोहन लाल कपूर—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

भूतपूर्व विधायक, श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी को राजनैतिक पेंशन के भुगतान में विलम्ब

*29—श्री हरीसिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी, भूतपूर्व विधायक, ग्राम चमकना, बल्ला सलट, जिला अल्मोड़ा को शासन के पत्र सख्या 4213 जेड 6—310/569/49, 20 अगस्त, 1969 के द्वारा जो 75 रुपया प्रतिमाह 1 जुलाई, 1969 से राजनतिक पेंशन स्वीकृत की गई है, उसका भुगतान अभी तक श्री अधिकारी जी को न मिलने का क्या कारण है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

श्री अधिकारी को पहिले भी पेंशन मिलती थी। इनका पुराना पेंशन पट्टा महालेखाकार के यहां नहीं मिला। पट्टा वे अब नये सिर से बना रह हैं।

ग्राम भगवानपुर (बाराबंकी) में अली अहमद व गजोधर की हत्या

*30—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि जिलाधिकारी बाराबंकी ने दिनांक 2-9-72 को ठा0 श्री माता बख्श सिंह, निवासी ग्राम भगवानपुर, मजरा कुशफर, थाना रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी की दुनाली बन्दूक के लाइसेंस को निलम्बित करने के व बन्दूक व कारतूस को निकटतम पुलिस थाना पर दाखिल करने के आदेश दिये थे, जिसकी प्रति थाना रामसनेही घाट पर 6-9-72 को प्राप्त हुई और पुलिस थाना राम सनेही घाट ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया, जिससे माताबख्श को दिनांक 16-11-72 को भगवानपुर में अली अहमद व गजोधर को उस बन्दूक से मार डालने का मौका मिल गया ? यदि हां, तो क्या इंचार्ज थाना, राम सनेहीघाट के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। इस आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक 15-9-72, 1-10-72 तथा 21-10-72 को कान्सटेबिल भेजकर आदेश तामील कराने का प्रयास किया गया परन्तु आदेश की तामील नहीं हो सकी और उसी बन्दूक से 16-11-72 को अली अहमद व गजोधर की हत्या हुई।

थानाध्यक्ष, रामसनेहीघाट के विरुद्ध इस निष्कर्मण्यता के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*31—श्री नेतराम सिंह—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

दिलीपपुर राजभवन (प्रतापगढ़) में चोरी

*32—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना कन्धई हनुमानगंज के अन्तर्गत दिलीपपुर राज भवन में 5/6 जनवरी, 1973 ई0 को कई हजार की चोरी हुई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 6-1-73 को श्री उदय प्रताप सिंह, दिलीपपुर कोर्ट, जिला प्रतापगढ़ ने थाना कंधई पर एक लिखित रिपोर्ट भेजी थी जिसमें सूचना दी गई थी कि दिलीपपुर कोर्ट में दिनांक 5/6-1-73 की रात में चोर ताला तोड़कर 10 हजार पये नकद व कई हजार रुपये के जेवरात चोरी करके भाग गए। उक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा 457 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना शुरू की गई। बाद में विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई।

*33-34—श्री वंशीधर पांडेय तथा श्री राम विलास पांडेय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

रिटायर्ड होने वाले निजी सचिवों की पुनर्नियुक्ति एवं एक्सटेंशन देने के संबंध में शिकायत

*35—श्री मंगल उपाध्याय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 1973 में यू0 पी0 सिविल सचिवालय में कितने निजी सचिव 58 वर्ष की आयु पूरी करके रिटायर होने वाले हैं और क्या सरकार उनमें से किसी को

एक्सटेंशन अथवा पुर्ननियुक्ति (Extesion or re-employ) देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वर्तमान बेरोजगारी को दखते हुये ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वर्ष 1973 में अब तक दो निजी सचिव सेवा-निवृत्त हो चुके हैं तथा चार निजी सचिव इस वर्ष और सेवा निवृत्त होंगे। सरकार किसी निजी सचिव को सेवाद्धि अथवा पुर्ननियुक्ति देने पर इस समय विचार नहीं कर रही है।

चीनी मिलों पर अवशेष धन

*33---श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में चल रही चीनी मिलों के मालिकों पर सरकार सोसायटी और किसानों की कितनी धनराशि गन्ने के मूल्य, केसेस और क्रय कर के रूप में बकाया है और शासन की घोषित नीति के अनुसार मालिकों पर शेष धनराशि की वसूली के लिये कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक 31 जनवरी, 1973 तक अवशेष गन्ना मूल्य, कमीशन एवं (केन सेस) तथा क्रयकर की स्थिति संलग्न तालिका 'क'† में मिलवार दर्शायी गयी है।

उपरोक्त पुराने बकाया की वसूली के लिये शासन द्वारा उठाये गये कड़े कदमों का कुछ विशिष्ट उल्लेख निम्न प्रकार है :--

(1) सीजन 1971--72 के गन्ना मूल्य बकाया की वसूली के लिये सहारनपुर, बुलन्दशहर, अमरोहा, शिवराही, छितौनी, लक्ष्मीगंज एवं जरवल रोड चीनी मिलों के विरुद्ध तथा उसके पूर्व सीजनों के गन्ना मूल्य बकाया की वसूली के लिये समस्त बकायादार चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

(2) सीजन 1970-71 के अवशेष गन्ना उपकर क्रयकर (सरकारी बकाया) की वसूली के लिये मांग-पत्र तथा उसके पूर्व सीजनों के बकाया की वसूली के लिये वसूली प्रमाण-पत्र समस्त बकायादार चीनी मिलों के विरुद्ध जारी किये गये।

(3) उपरोक्त बकाया देयों की वसूली के संबंध में 6 चीनी मिलों (बाराबंकी, बुढ़वल, बुलन्दशहर, रामकोला (के), भटनी एवं अमरोहा) को नीलाम पर चढ़ाया गया, किन्तु इन चीनी मिलों ने इस कार्यवाही के विरुद्ध रोधनादेश प्राप्त कर लिये।

(4) एक चीनी मिल के मालिक को राजस्व नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया।

(5) उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत 12 चीनी मिलों को अधिग्रहीत किया गया, जिनमें से 7 चीनी मिलों ने विभिन्न न्यायालयों से इस कार्यवाही के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये। इस प्रकार 5 अधिगृहित चीनी मिलें (सखौती, टान्डा), (मोहिउद्दीनपुर, बाराबंकी, खड्डा एवं भटनी) उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत कार्यरत हैं।

(6) डोईवाला चीनी मिल का कार्य प्रबन्ध अब उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के नियन्त्रण में दे दिया गया है।

(7) 6 चीनी मिलों (बुलन्दशहर, अमरोहा, बुढ़वल, रामकोला (के) जरवल रोड, एवं बिजनौर) में रिसीवर नियुक्त हैं।

---

†छापी नहीं गई।

(8) कानून में परिवर्तन किया गया। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रयकर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसके अनुसार चीनी मिलों को बैंक से प्राप्त अग्रिम धनराशि में से एक नियत धन गन्ना मूल्य की ओर देने हेतु बाध्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त गन्ना क्रयकर की वसूली एक्साइज ड्यूटी की भांति वसूल करने का प्राविधान कथित अधिनियम में कर दिया गया है।

जिला परिषद् झांसी को जूनियर हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति

*37—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, झांसी को सन् 1964–65, 1965–66, 1966–67. 1967–68, 1968–69, 1969–70 तथा 1970–71 में प्रतिवर्ष कितने जूनियर हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति दी गई और प्रत्येक स्कूल के इमारत, साज-सज्जा के लिये कितना रुपया दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*38—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त जूनियर हाई स्कूल प्रतिवर्ष किस-किस ग्राम में खोले गये हैं क्या उक्त स्कूलों की इमारतें बन गई हैं और सरकार द्वारा दिया हुआ रुपया खर्च हो गया है, ? यदि हां, तो इमारत कहां पर बनी है ? बाकी न बनने का क्या कारण है और अब कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय सीनियर बेसिक बालिका विद्यालय, ताहिरपुर (जौनपुर) का भवन

*39—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीनियर बेसिक बालिका विद्यालय, ताहिरपुर, जौनपर जो कि 4–5 वर्ष से प्राइमरी पाठशाला, ताहिरपुर के भवन में चल रहा है, भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद भी अब तक उसका भवन क्यों नहीं बना ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजकीय सीनियर बेसिक बालिका विद्यालय ताहिरपुर, जौनपुर के भवन निर्माण हेतु अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। अतः भवन निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

*40—श्री शिव महेन्द्र सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रबंधक नवाबगंज शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, नवाबगंज (गोंडा) द्वारा श्रम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना

*41—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभिनिर्णय विवाद संख्या 8/71 श्रम न्यायालय, गोरखपुर द्वारा निर्णय दिनांक 18–8–71 को दिया जा चुका है और जिसका गजट दिनांक 11 दिसम्बर, 1971 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हो चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रबंधक नवाबगंज शगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, नवाबगंज, जिला गोंडा के उक्त निर्णय

का परिपालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो संबंधित शगर मिल्स के प्रबन्धक के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करके श्रम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिये सोच रही है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

जी हां। सेवायोजकों ने अभिनिर्णय का परिपालन नहीं किया है। दिनांक 9 अक्तूबर, 1972 को सेवायोजकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है जिसके उत्तर में सेवायोजकों ने कहा है कि कर्मचारी स्वयं कार्य पर उपस्थित नहीं हुये। आगे की कार्यवाही चल रही है।

प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*42---श्री राम कुमार दीक्षित, (जिला कानपुर), श्री गिरजाशंकर तिवारी (जिला बाराबंकी), श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद), श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़), श्री करन सिंह, (जिला खीरी), श्री रामसह, (जिला सहारनपुर), श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी, श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री रामधारी शास्त्री---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान परिषद् के सदस्य, श्री यशपाल सिंह आजाद ने दिनांक 13 अक्तूबर, 1972 तक दिनांक 10 जनवरी, 1973 को प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में क्रमशः 18 पृष्ठ तथा 13 पृष्ठ का पत्र जो प्रतापगढ़ के पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें दिया है सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो आरोप क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही उस पर की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्री यशपाल सिंह आजाद के पत्र दिनांक 13 अक्तूबर, 72 व 9 जनवरी, 73 के साथ वहां के पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध दो शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुये। यह गमनाम शिकायतें मुख्यतः भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग करने, अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान करने, सरकारी काम में अनियमिततायें करने आदि के विषय में है। इन शिकायतों पर उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

*43---श्री हीरा सिंह बोरा तथा श्री गोपाल दत्त ओझा---

[7वें शक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत उत्तरित।]

भूतपूर्व विधायक श्री चन्द्रपाल रावत (बस्ती) को जान-माल का खतरा

*44---श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री चन्द्रपाल रावत भूतपूर्व विधायक, ग्राम सूर्य कुड़िया, थाना लोटन, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती के घर को लूटने तथा उनको जान से मार डालने की नियत से दिनांक 12 जनवरी, सन् 1973 को लगभग 500 नक्सल पंथियों ने उनके घर पर हमला किया था ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और क्या उक्त भूतपूर्व विधायक ने शासन को उस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया है कि अब भी उनके जान व माल का खतरा है ? यदि हां, तो सरकार उनके जान व माल की हिफाजत के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्री चन्द्रपाल रावत के घर पर नक्सलपंथियों द्वारा दिनांक 12-1-1973 को कोई हमला नहीं किया गया था। किन्तु श्री रावत ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र अवश्य दिया था कि उनकी जान व माल को खतरा है, तदनुसार उनकी सुरक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है।

तहसील नौगढ़ (बस्ती) के सरहदी इलाके में नक्सल पंथियों के संबंध में शिकायत

*45—श्री अभिमन्य प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तहसील नौगढ़, जिला बस्ती के सरहदी इलाके में नक्सलपंथियों ने फिर से अपना उग्र रूप धारण कर लिया है जिससे उक्त इलाके के संभ्रांत नागरिकों के जान व माल का खतरा उत्पन्न हो गया है ? अगर हां, तो सरकार उक्त इलाके के नागरिकों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सही नहीं है कि उल्लिखित क्षेत्र में नक्सलपंथियों ने उग्र रूप धारण कर लिया है। अतः किसी विशेष प्रबन्ध करने का प्रश्न नहीं उठता। सरकार ऐसी गतिविधियों के प्रति सतर्क है।

*46—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

[प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

श्री दौलतराम, ग्राम पनियाली (नैनीताल) का कत्ल

*47—श्री त्रिलोक चन्द्र, श्री महावीर सिंह चौहान (जिला अलीगढ़) तथा श्री रामकिंकर—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दौलतराम ग्राम पनियाली, तहसील नैनीताल का कत्ल माह अगस्त सन् 1972 में हो गया था ? यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने कत्ल होने से पहले जिलाधिकारी, नैनीताल को इस सम्बन्ध में लिखित शिकायत नायब तहसीलदार, श्री इन्द्र भक्त सिंह रावत, पटवारी भीम सिंह के खिलाफ दी थी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ कोई जांच कराई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28–29 सितम्बर, 1972 की रात्रि को श्री हरीशचन्द्र, निवासी ग्राम पनियाली ने 10 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 28–9–72 की शाम को अपने पिता श्री दौलतराम की हत्या कर दिये जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी। इस सम्बन्ध में दर्ज अपराध की विवेचना पूरी करके 10 अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है। मृतक दौलतराम ने 12 व्यक्तियों, जिनमें 1 पटवारी व एक नायब तहसीलदार थे, के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिनांक 10–7–72 जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल को प्रेषित किया था। इस पर परगनाधिकारी द्वारा जांच करायी गयी थी जिसमें सम्बन्धित पटवारी तथा नायब तहसीलदार के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

श्री मदन सिंह इन्टर कालेज, तालबेहट (झांसी) के अध्यापकों का वेतन निर्धारण

*48—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मदन सिंह इन्टर कालेज, तालबेहट, जिला झांसी के कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनका वेतन पुनरीक्षण तो हो चुका है किन्तु अब भी विभाग के विचाराधीन है ? क्या सरकार उन गरीब अध्यापकों के वेतन पनरीक्षण पर विचार कर रही है और यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल दो अध्यापकों का वेतन निर्धारण अभी नहीं हो सका है। विभागीय अधिकारियों ने उन दोनों से जो पृच्छाएं की थीं उनके उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्राप्त होने पर ही वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जा सकेगी।

*49--श्री हरीसिंह विष्ट--

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न 31 के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

श्री मैकूलाल लाइन इन्सपेक्टर, जल विद्युत खंड, कानपुर का गायब हो जाना

*50--श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जुलाई सन् 1972 में मैकूलाल हरिजन लाइन इन्सपेक्टर, जल विद्युत कानपुर को दिनांक 28-3-72 से गायब होने के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने के लिये एक पत्र 22-8-72 को दिया था तथा इससे पूर्व भी उक्त लाइन इन्सपेक्टर के पिता के आवेदन-पत्र सहित भी एक पत्र भेजा था परन्तु अभी तक जांच नहीं कराई गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता महोदय का पत्र दिनांक 22-8-72 को प्राप्त हुआ जिसे पुलिस महानिरीक्षक को आवश्यक जांच कराने हेतु भेजा गया। अब तक की जांच से श्री मैकूलाल, लाइन इन्सपेक्टर का पता नहीं चला है। उन्हें तलाश करने के लिये पुलिस प्रयत्नशील है ।

झांसी जिले में नियुक्त हरिजन सब-इंसपेक्टर एवं थाना इंचार्ज

*51--श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में कितने सब-इन्सपेक्टर हैं और कितने थाना इंचार्ज हैं और जिले में इस समय कितने हरिजन सब-इंसपेक्टर व थाना इंचार्ज हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

झांसी जिले में मार्च 73 के आरम्भ में 75 सब-इंसपेक्टर तैनात थे। 32 सब-इंसपेक्टर थाना इंचार्ज हैं। जिले में उस समय कुल 7 सब-इन्सपेक्टर हरिजन थे। थाना इंचार्ज के योग्य न होने के कारण कोई हरिजन सब-इन्सपेक्टर थानाध्यक्ष नहीं था।

इटावा जिले में अन अप्रूव्ड सब-इन्सपेक्टर

*52--श्री भारत सिंह चौहान--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इटावा जिले में कितने अनअप्रूव्ड सब इंस-पेक्टरर्स पुलिस थानों का चार्ज होल्ड कर रहे हैं और कितने ऐसे अप्रूव्ड सब इन्सपेक्टर्स हैं जिन्हें चार्ज नहीं मिला हुआ है और क्या इन अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी अधिकारियों को दंडित किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इटावा जिले में कोई भी अननुमोदित (अनअप्रूव्ड) सब इन्सपेक्टर थानाध्यक्ष के पद पर नियक्त नहीं है। दो अनमोदित सब-इन्सपेक्टर ऐसे हैं जो थानाध्यक्ष के पद पर नियक्त नहीं हैं इनमें से एक ने अपने अस्वस्थता के कारण थानाध्यक्ष के पद पर जाने में असमर्थता प्रकट की। शेष एक को स्थान रिक्त न होने के कारण थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका है।

अतः ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी को दंडित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*53--श्री शिववक्ष सिंह राठौर तथा श्री काजी मसूद--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक

*54—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक कब से नहीं हुई है, तथा क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पर्वतीय विकास परिषद् की पिछली बैठक लखनऊ में 21–22 फरवरी, 1972 को हुई थी। उसके पश्चात् बैठक नहीं हुई है। इस बीच आठों पर्वतीय जिले के नियोजन तथा प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन का मामला शासन के विचाराधीन था। शासन ने इस विषय में निर्णय लिये है जिसके अनुसार 1–4–73 से पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये वर्तमान नियोजन और प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया जायगा। आठों पर्वतीय जिलों के काय को करने के लिये पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की जा रही है।

महाजन इंटर कालेज एवं महाजन बालिका विद्यालय, मुन्डेरा बाजार (गोरखपुर) के संबंध में शिकायतें

*55—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित महाजन इन्टर कालेज एवं महाजन बालिका विद्यालय, मुन्डेरा बाजार,चौरी-चौरा से सम्बन्धित शासन को एवं जिले के अधिकारियों को अलग-अलग कितनी शिकायतें प्रश्नकर्ता की तरफ जून, 1972 से 25 जनवरी, 1973 तक प्राप्त हुई हैं इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

थाना इंचार्ज, बाजार शुकुल (सुल्तानपुर) के विरुद्ध शिकायतें

*56—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना इन्चार्ज बाजार शुकुल, जिला सुल्तानपुर तीन साल से अधिक समय से वहां नियुक्त हैं ? यदि हां, तो इनका तबादला न करने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री छोटेलाल, थाना इन्चार्ज , बाजार शुकुल, जिला सुल्तानपुर तीन साल से अधिक समय से इस पद पर नियुक्त नहीं हैं। अतः उनके स्थानांतरण का प्रश्न नहीं उठता।

*57—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1972 से जनवरी, 1973 तक थाना इन्चार्ज, बाजार शुकुल, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध घूसखोरी तथा दुर्व्यवहार आदि के कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में थानाध्यक्ष, बाजार शुकुल, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा दुर्व्यवहार आदि के पांच शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे। इन शिकायती पत्रों की जांच क्षेत्र निरीक्षक द्वारा कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

ग्राम बरौली (कानपुर) के नव-निर्वाचित ग्राम सभा प्रधान के विरुद्ध शिकायत

*58—श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरौली, थाना घाटमपुर, जिला कानपुर में ग्राम सभा प्रधान के चुनाव के बाद वहां के नव-निर्वाचित प्रधान तथा समर्थकों ने संगठित होकर हरिजनों के साथ अत्याचार एवं जुल्म किये तथा उन्हें मारा-पीटा ? यदि हां, तो पुलिस ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनसार ग्राम बरौली, थाना घाटमपुर, जिला कानपुर में ग्राम सभा प्रधान के चुनाव के बाद वहां के नव-निर्वाचित प्रधान तथा समर्थकों ने सगठित होकर हरिजनों के साथ कोई अत्याचार एवं जल्म नहीं किया। किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय विकास निगम को घाटा

*59—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री हरी सिंह विष्ट, (जिला अल्मोड़ा), श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़) तथा श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को जानकारी है कि पर्वतीय विकास निगम ने सन् 1972 में सेव के व्यापार के लिये महाराष्ट्र की संस्था एम0 एफ0 सी0 ओ0 से एक अनुबद्ध किया और जुलाई से दिसम्बर, 1972 तक निगम को 10 लाख रुपये का घाटा हो चुका है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

सेव के व्यापार में उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड को आर्थिक क्षति हुई है। परन्तु वास्तविक आंकड़े 31 माच, 1973 के पश्चात् बलेन्स-शीट बनने पर ज्ञात होंगे। तथापि हानि के कारणों की छानबीन की जा रही है।

चमोली में भवन विहीन चिकित्सालय

*60—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद चमोली में कुल कितने आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक चिकित्सालय हैं और उनमें से कितने चिकित्सालयों के भवन नहीं हैं वित्तीय वर्ष 1973–74 में कितने चिकित्सालयों के भवन बने और वित्तीय वर्ष 1973–74 में कितने चिकित्सालयं भवन बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूजना एकत्रित की जा रही है।

पूर्वी और मध्य क्षेत्र में गन्ने का बढ़ा हुआ दाम न दिया जाना

*61—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्य मंत्री द्वारा 5 जनवरी, 1973 को मध्यस्थता के माध्यम से पूर्वी और मध्य क्षेत्र में गन्ने का दाम 12.25 रु0 प्रति क्विन्टल की घोषणा की गयी। यदि हां, तो उक्त बढ़ा हुआ दाम कब से लागू है और क्या यह भी सही है कि देवरिया जनपद की कुछ चीनी मिलें उक्त बढ़ा हुआ दाम 25 दिसम्बर, 1972 स ही दे रही हैं

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, कथित बढ़ी हुई गन्ने की कीमत मुख्य मंत्री जी की मध्यस्थता वाले दिन से देने की बात मिल मालिकों ने कही थी। देवरिया जनपद की 14 चीनी मिलों में से 11 ने स्वेच्छा से दिनांक 25, दिसम्बर 1972 से बढ़ी हुई गन्ने की कीमत देना आरम्भ कर दी।

गोरखपुर की तहसील सदर व बांसगांव के हाई स्कूलों में कार्यरत सी० पी० एड० एवं डी० पी० एड० अध्यापकों को निर्धारित वेतन न दिया जाना

*62--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर व बांसगांव के मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों में से प्राप्त किन-किन में सी० पी० एड० एवं किन-किन में डी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक कार्य कर रहे हैं? इनमें से किन-किन विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों को उनका निश्चित तथा निर्धारित वेतन दिया जा रहा है और कितने को उक्त सुविधा से वंचित किया गया है और इसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*63--श्री गंगा प्रसाद--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्राम मलिक सुदनी (आजमगढ़) के निवासी श्री चीलर यादव की पुलिस कस्टडी में मृत्यु

*64--श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सरैय्या गांव में दिनांक 26 जनवरी, 1973 की रात्रि में कुछ ग्रामीणों ने गन्ना काटते समय चीलर यादव नामक एक चोर को पकड़ा और उसी रात थानाध्यक्ष मुबारकपुर को सुपुर्दी किया और दूसरे दिन चालान करके जिला अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती करवा दिया जहां पर पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हो गई? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और उस चोर को चालान करके जिला जेल क्यों नहीं भेजा गया और उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक 27-1-73 को सुबह 5.30 बजे ग्राम सरैय्या के श्री चन्द्रबली हरिजन तथा अन्य व्यक्तियों ने चीलर यादव निवासी ग्राम मलिकसुदनी को घायल अवस्था में थाना मुबारकपुर ले जाकर इस आशय की तहरीरी रिपोर्ट दी कि 26/27-1-73 की रात में ग्राम मलिकसुदनी में स्थित चंद्रबली के खेत में ईख काटने की आहट पर लोगों ने शोर किया व चोर को जिसका नाम चीलर मालूम हुआ, पकड़ने की कोशिश की जिस पर वह भागा किन्तु मारपीट कर पकड़ लिया गया, मारपीट में उसे काफी चोट लगी है वह बेहोश है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर चीलर के विरुद्ध धारा 379 भा० द० वि० का मुकदमा कायम किया गया। चूंकि चीलर की हालत गंभीर थी अतः उसे स्थानीय डाक्टर की राय से सदर अस्पताल भेजा गया जहां उसकी मृत्यु हो गई।

चीलर को नामांकित 10 व्यक्तियों द्वारा मारे पीटे जाने तथा बेहोश अवस्था में थाने ले जाये जाने के बारे में चीलर के पुत्र कतवारू ने 27-1-73 को ही लगभग 9 बजे सुबह मुबारकपुर पर रिपोर्ट लिखाई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा 14/323/342/308/304 भा० द० वि० का मुकदमा कायम हुआ जिसमें विवेचना के फलस्वरूप दसों नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट लगाई जा चुकी है।

*65—श्री राम प्रसाद देशमुख तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[संसदीय आयोग के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्राम बरौली (कानपुर) की हरिजन महिला के साथ छेड़छाड़ की शिकायत

*66—श्री राजित राम पाण्डेय तथा श्री राम चरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 नवम्बर, 1972 को ग्राम बरौली, थाना घाटमपुर, जिला कानपुर की किसी हरिजन महिला के साथ वहां के सवर्णों द्वारा बलात्कार किया गया, जिसकी सूचना उक्त महिला ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई? यदि हां, तो इसमें कौन अभियुक्त हैं और इसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-11-72 को ग्राम बरौली, थाना घाटमपुर, जिला कानपुर की किसी हरिजन महिला के साथ वहां के सवर्णों द्वारा बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना थाना कोतवाली पर दर्ज नहीं कराई गई परन्तु दिनांक 14-11-72 को एक छड़छाड़ की घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली पर एक हरिजन महिला निवासिनी ग्राम बरौली ने दर्ज कराई थी जिसमें श्री पूती सिंह प्रधान को अभियुक्त बताया गया । विवेचना के दौरान वादिनी एवं गवाहों ने न्यायालय में बयान दे दिया कि उसके साथ कोई छेड़-छाड़ की घटना नहीं हुई । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा मुकदमें की जांच अन्तिम रिपोर्ट लगा कर समाप्त कर दी गई ।

*67—श्री राम कुमार दीक्षित—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मोहल्ला सिकन्दरपुर (गाजीपुर) के दो बच्चों का गायब होना

*68—श्री मनोहर लाल, श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर), श्री राम निहोर (जिला वाराणसी) तथा श्री राम जियावन (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17 सितम्बर, 1971 को सिकन्दरपुर, जिला गाजीपुर, थाना कोतवाली से भोलानाथ व शिवदास के दो बच्चे गायब हो गये थे और उसकी रिपोर्ट तत्काल वहीं लिखाई गई मगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गाजीपुर के मोहल्ला सिकन्दरपुर के निवासी श्री भोला नाथ ने थाना कोतवाली पर दिनांक 17-8-71 को एक लिखित रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने अपने एक लड़के तथा अपने भाई शिवदास राम के एक लड़के के उसी तिथि के 1 बजे दिन से गायब होने तथा खोजने पर उनका कुछ पता न लग सकने की सूचना दी थी तथा उन बच्चों के गायब होने में अमुक व्यक्तियों का हाथ होने का सन्देह व्यक्त किया था । इस रिपोर्ट को रोजनामचा आम में लिखकर बच्चों की खोज शुरू कराई गई थी । बाद में थाने पर धारा 364/365 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज करके मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना शुरू की गई । स्थानीय पुलिस की विवेचना से बच्चों के पता न लग सकने पर मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई । अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है ।

जिलाधिकारी, बिजनौर के बंगले से आय

*69—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती) तथा श्री किशन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी, बिजनौर के बंगले में कितनी एकड़ भूमि है और सन् 1970-71 तथा 1972 में इस जमीन पर कितने मूल्य की गेहूं, चना, धान आदि फसलें इन तीनों सालों में पैदा की गई है और इन फसलों द्वारा की गई आमदनी का कितना रुपया कहां जमा किया गया है? क्या उसका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस समय जिलाधिकारी, बिजनौर के बंगले में, बंगले की जमीन को शामिल करते हुए 3.92 एकड़ जमीन है। सन् 1970-71 तथा 72 में बंगले की जमीन पर पैदा की गई धान, गेहूं, चरी आदि फसलों का अनुमानित मूल्य का विवरण संलग्न तालिका "क" में दिया गया है। इन फसलों द्वारा की गई आमदनी का पूरा लाभ शासनादेश संख्या यू0 ओ0 1030 तीन-67-जी0 ए0 डी0, दिनांक 15-11-67 के अनुसार जिलाधिकारी, बिजनौर ने स्वयं लिया क्योंकि खेती उन्होंने अपने व्यय से कराई थी।

*70—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी तथा श्री किशन लाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सन् 1970 से पूर्व इस बंगले में कुल कितने पेड़ जिलाधिकारी के बंगले में किन-किन चीजों के लगे थे 1970 तथा 1971 में जो वृक्ष कटवाये गये हैं क्या उनकी सार्वजनिक नीलामी की गई थी। यदि हां, तो इससे कितना धन प्राप्त हुआ और वह कहां जमा किया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1970 में जिलाधिकारी, बिजनौर के बंगले के अहाते में 195 पेड़ लगे थे जिनका विवरण तालिका 'ख' में दिया गया है इनमें से 1970 में 23 पेड़ों का सार्वजनिक नीलाम किया गया जिससे कुल 2.206 0 प्राप्त हुआ जो सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया।

रामगंगा प्रोजेक्ट, कालागढ़ में एक बेलदार की मृत्यु

*71—श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 फरवरी, 1973 को रामगंगा प्रोजेक्ट, कालागढ़ में एक सहायक अभियन्ता ने एक बेलदार को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई? यदि हां, तो उस सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 13-2-73 को पुलिस चौकी कालागढ़ पर एक सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 8-2-73 की रात्रि में एक बेलदार को लाठी-थप्पड़ों से पीटे जाने की लिखित सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके आधार पर सहायक अभियन्ता के विरुद्ध धारा 308 भा0 द0 वि0 का मुकदमा कायम किया गया। दिनांक 14-2-73 को उक्त व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो जाने पर उक्त मुकदमा धारा 304 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। सहायक अभियन्ता को गिरफ्तार किया गया था जो जमानत पर छोड़े गये हैं। उन्हें निलम्बित किये जाने का आदेश भी दिया गया है।

---

†छापी नहीं गयी।

एशिया 72 मेले में उत्तर प्रदेश मंडप के निर्माण तथा साज-सज्जा पर व्यय

*72—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एशिया-72 मेले में उत्तर प्रदेश मण्डप के निर्माण तथा साज-सज्जा के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी तथा कितनी वास्तविक रूप से खर्च हुई है? क्या यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने जो प्रदर्शनीय वस्तुएं अपने प्रचारार्थ मुफ्त भेजी थीं उनके फर्जी वाऊचर बना कर सरकार से रुपया वसूला गया तथा उन वस्तुओं को प्रदर्शनार्थ मण्डप में भी नहीं रक्खा गया? यदि हां, तो क्या सरकार इस घोटाले की उच्चस्तरीय जांच करवायेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

एशिया—72 मेले में उत्तर प्रदेश मण्डप के निर्माण तथा साज-सज्जा के लिये आरम्भ में शासन द्वारा 12,00,000 रु0 स्वीकृत हुआ था। भारत मेला की बढ़ी हुई अवधि के व्यय को मिला कर तदर्थ रूप से रु0 3,75,000 और स्वीकृत हुआ। इस प्रकार अब तक रु0 15,75,000 की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। एशिया—72 और भारत मेला में मिला कर रु0 17,55,000 का व्यय अनुमानित है।

इसके अतिरिक्त गत वर्ष मार्च 72 में भूमि आरक्षण के लिये भारत सरकार को जो रु0 1,41,912 दिया गया था उसमें घटे हुए स्थान के मूल्य रु0 18,496 को छोड़कर रु0 1,23,516 भूमि आरक्षण पर व्यय हुआ। मुफ्त भेजे गये प्रदर्शनी वस्तुओं के फर्जी वाउचर बना कर सरकार से कोई रुपया नहीं वसूला गया। जो थोड़ा सा सामान खरीद कर मंगाया गया केवल उनका भुगतान किया गया और वह सामान स्टाक में उपलब्ध है। आकर्षक एवं महत्वपूर्ण प्रदर्शनीय वस्तुओं का उपलब्ध स्थान में डिस्प्लेयर की राय के अनुसार अधिक से अधिक प्रदर्शन किया गया।

उच्च स्तरीय जांच कराने का प्रश्न इसलिये नहीं उठता है।

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के पदों का प्रान्तीयकरण

*73—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के पदों का प्रान्तीयकरण करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह मामला शासन के विचाराधीन है।

ग्राम मरुआझाला (शाहजहांपुर) के श्री सोहन लाल बाल्मीकि तथा उनके भाई की पिटाई

*74—श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि ग्राम मरुआझाला, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के भंगियों (स्वीपर) के सारे परिवार की दिनांक 8 फरवरी, 1973 को पिटाई गई और जब कि वह थाना जैतीपुर रिपोर्ट लिखाने खून में लथपथ पहुंचे तो उनको अस्पताल नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था अब की गई और जिन्होंने मारा उनका 151 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत क्या चालान नहीं किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8—2—73 को थाना जैतीपुर, शाहजहांपुर पर श्री सोहन लाल बाल्मीकि निवासी मरुआझाला ने उन्हें तथा उनके भाई को नामजद अभियुक्तों द्वारा

मारने-पीटने एवं गाली-गलौज करने की सूचना दी जिसके आधार पर धारा 323/504/506 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग अंकित हुआ तथा घायलों को डाक्टरी परीक्षा कराने हेतु मेमो देकर अस्पताल जाने को कहा गया। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। प्रस्तुत मामले में धारा 151 भा० दं० वि० लागू नहीं होती।

लखनऊ नगर के बालिका इंटर कालेजों में अनट्रेन्ड अध्यापिकायें

*75—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में कितने बालिका इन्टर कालेज ऐसे हैं जिनमें जुलाई, 1971 से 31 जुलाई, 1972 तक अनट्रेन्ड अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गई तथा क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जुलाई 71 में सात विद्यालयों में तथा जुलाई 72 में केवल पांच विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्तियां की गईं। जुलाई 71 में सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरणों द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्ति कर लेने के पश्चात् अनुमोदन मांगा गया। छात्राओं की पढ़ाई की हानि न हो इस कारण अस्थाई अनुमोदन इस आदेश के साथ दे दिया गया कि भविष्य में अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्ति न की जाय। जुलाई 72 में अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्ति इसलिये की गई कि गणित, विज्ञान तथा व्यायाम विषयों हेतु अपेक्षित प्रशिक्षित अध्यापिकायें विज्ञप्ति के उपरान्त उपलब्ध नहीं हुईं।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को दिये जाने वाले ताम्र-पत्र के निर्माण का टेन्डर

*76—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को स्वाधीनता रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर दिये जाने वाले ताम्र-पत्र के निर्माण का टेन्डर मांगा गया था? क्या टेन्डर पूर्व निश्चित तिथि 30 जून, 1972 को न खोलकर 1 जुलाई, 1972 को खोला गया? क्या टेन्डरों की संख्या 9 थी जिसमें सब से कम राशि का टेन्डर उत्तर प्रदेश के व्यापारी का था और अधिक राशि का टेन्डर दिल्ली के एक व्यवसायी का था, जिसका टेन्डर स्वीकार करने से सरकार को एक लाख 20 हजार का घाटा हुआ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

जी हां। टेन्डर पूर्व निश्चित तिथि 1 जुलाई, 1972 को खोले गये।

जी नहीं। टेंडरों की संख्या 8 थी जो कानपुर और लखनऊ की फर्मों के थे। दिल्ली के किसी व्यवसायी ने टेंडर नहीं भेजा। टेंडर में दी गई शर्तों के अनुसार दो स्थानीय व्यापारियों का टेंडर सबसे कम था और उसको स्वीकार किया गया। इस कार्यवाही में सरकार को घाटे का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम बहादुर वर्मा, ग्राम अरूसा आजमपुर, जिला फैजाबाद की हत्या

*77—श्री जयराम वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि फैजाबाद जिले के थाना बसखारी के अन्तर्गत ग्राम अरूसा आजमपुर के निवासी रामबहादुर वर्मा की 17 जनवरी, सन 1973

को हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट कितने और किन-किन आदमियों के खिलाफ थाने में दर्ज कराई गई और उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 18-1-73 की शाम को थाना बसखारी जिला फैजाबाद पर इस आशय की लिखित सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 17-1-73 को अम्बू सिंह, नन्द किशोर सिंह व बाबू लाल तथा दो अन्य व्यक्तियों ने श्री राम बहादुर वर्मा निवासी ग्राम अल्सा आजमपुर की हत्या कर दी और लाश को छिपा दिया है। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 302/201 भा० द० वि० का कायम किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित दो अभियुक्त कल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं। लाश भी बरामद हो चुकी है।

*78—श्रीमती मसाली देवी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*79—श्री प्रेमनारायण अहेरवार—

[10वें बृस्पतिवार के लिये स्थगित]

*80—श्री राम निहोर राय तथा श्री धूम प्रसाद—

[10वें बृहस्पतिवार में तारांकित प्रश्न 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

थाना बनकटा (देवरिया) में दर्ज मुकदमें

1—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना बनकटा के अन्तर्गत 27 अक्तूबर, 1972 से 10 नवम्बर, 1972 तक कितने मुकदमे दर्ज हुए ? किन-किन व्यक्तियों को किस-किस दफा में चालान किया गया, उक्त मुकदमों में से कितने में चार्जशीट कितने मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई तथा शेष मुकदमें किस-किस स्टेज पर हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में थाना बनकटा, जिला देवरिया में 33 मुकदमें अंकित हुए। विवेचना के उपरान्त इन मुकदमों में से 30 में चार्जशीटें तथा 3 में अंतिम रिपोर्टें लगाई गईं। जिन लोगों का चालान किया गया उनके नाम-पते तथा सम्बन्धित धाराओं का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 122 पर)

सूचना विभाग द्वारा छपवायी गयी डायरियां तथा कैलेन्डर

2—श्री शिव कैलाश—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा सन् 1973 की कितनी डायरी (छोटी व बड़ी) तथा कितने कैलेन्डर छपवाये गये और उन्हें किस आधार पर किन-किन को मुफ्त वितरित किया गया तथा सरकार का इस पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

सूचना विभाग द्वारा 1973 की कोई डायरी छपवाई नहीं गई वरन् केवल एक प्रकार की 5,000 डायरियां क्रय की गई, जिन पर 11,809 रु0 20 पै0 व्यय हुए ।

(ख) कोई कलैण्डर नहीं छपवाया गया ।

(ग) शासन के कार्यकलापों के व्यापक प्रचार के लिए इन डायरियों को निम्नलिखित को निःशुल्क वितरण किया गया:---

सदस्य विधान सभा, सदस्य विधान परिषद्, मन्त्रि-परिषद् के सदस्य, श्री राज्यपाल, सभापति विधान सभा, विधान परिषद्, मुख्य सचिव एवं समस्त सचिव, जन संपर्क अधिकारी, दिल्ली, जिला सूचना अधिकारी, विभागाध्यक्ष, राजस्व परिषद् के सदस्य एवं सचिव, लोक सेवा आयोग के सदस्य, उत्तर प्रदेश के समस्त एम0 पी0, लखनऊ स्थित मान्यता प्राप्त संवाददाता, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सरकार के मंत्रि-मण्डल के समस्त सदस्य, महालेखाकार इलाहाबाद, जिलों के दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र, अन्य राज्यों के सूचना निदेशक, अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा अन्य राज्यों के राज्यपालों व चीफ कमिश्नरों आदि-आदि ।

3---श्री हरी सिंह विष्ट---

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न सं0 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

4---श्री हरी सिंह विष्ट---

[विस्तृत होने के कारण निरस्त]

5---श्री हरी सिंह विष्ट---

[11वें बुधवार के लिये अतारांकित प्रश्न सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

6---श्री हरी सिंह विष्ट---

[5 वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

7---श्री हरी सिंह विष्ट---

[8 वें सोमवार के लिये अता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

8---श्री भगौती प्रसाद---

[8 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

संसद सदस्य, श्री रामधन की जान का खतरा

9---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के संसद सदस्य, श्री रामधन ने प्रदेश सरकार को माह नवम्बर, दिसम्बर, 1972 में लिखकर लोक सभा में दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 को बयान देकर अध्यक्ष लोक सभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को यह सूचना दी कि उनकी जान खतरे में है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आजमगढ़ जिले के संसद सदस्य श्री रामधन से प्रदेश सरकार को माह नवम्बर-दिसम्बर 72 में जान को खतरा होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई बल्कि जून व जुलाई 72 में उनसे व भारत सरकार के माध्यम से उनकी जान को खतरा होने के सम्बन्ध में कुछ तार व पत्र प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए थे जिनके प्राप्त होते ही श्री रामधन की सुरक्षा के लिये समुचित व्यवस्था

कर दी गई तथा उन्हें दो शेडो भी दिये गये। दिनांक 22-12-72 के कथित बयान के बारे में अध्यक्ष लोक सभा के माध्यम से प्रदेश सरकार को कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

10--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्टरी, लखनऊ के लाभ-हानि का लेखा-जोखा

11--श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री भारत सिंह चौहान, श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री सच्चिदानन्द--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी सूक्ष्म यन्त्र फैक्टरी, लखनऊ का संचालन कब से प्रारम्भ हुआ और दिसम्बर, सन् 1972 तक इस फैक्टरी में कितना सरकारी धनराशि किस-किस मद में विनियोजित की गई और वित्तीय वर्ष 1971-72 का इस फैक्टरी का लाभ-हानि का लेखा-जोखा का विवरण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इस फैक्टरी का संचालन सन् 1950 से प्रारम्भ हुआ। दिसम्बर सन् 1972 तक इसमे कुल 62,56,476 रुपये की सरकारी धनराशि निम्नलिखित मदों में विनियोजित की गयी:--

1--भूमि	रु0	2,31,172
2--भवन	रु0	22,75,507
3--मशीनरी	रु0	33,94,186
4--फर्नीचर	रु0	2,64,663
5--फाउन्डेशन	रु0	90,948

वित्तीय वर्ष 1971-72 का लाभ-हानि का लेखा-जोखा का विवरण निम्न प्रकार है:--

1--उत्पादन पर कुल व्यय	1,26,56,264
2--उत्पादन पर कुल आय	1,27,66,725
3--पूंजी पर व्याज लगाने से पूर्व शुद्ध लाभ (+)	1,10,461
4--पूंजी पर व्याज	10,16,260
5--पूंजी पर व्याज लगाने के पश्चात् शुद्ध हानि (-)	9,05,799

हायडिल पुलिस सेल (मुजफ्फरनगर) द्वारा पकड़े गये केस

12--श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हायडिल पुलिस सेल, मुजफ्फरनगर द्वारा जिला मुजफ्फरनगर में पिछले 6 महीने में कितने चोरी के केस पकड़े गये और कितने केस पुलिस में रजिस्टर्ड कराये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार हायडिल पुलिस सेल मुजफ्फरनगर द्वारा जिला मुजफ्फरनगर में पिछले 6 महीने में 11 चोरी के केस पकड़े गये तथा यह सभी केस पुलिस में दर्ज कराये गये। संबंधित मुकदमें चालान के बाद न्यायालय में विचाराधीन हैं।

13--श्री हरीसिंह बिष्ट--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी (नैनीताल) के जनरल मैनेजर की दिल्ली की यात्रा

14--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन सिंह--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राजपत्रित अधिकारियों के प्रबन्ध में संचालित बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि० बाजपुर, (नैनीताल) के जनरल मैनेजर 1 अप्रैल, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक प्रत्येक माह में किन-किन तिथियों में कितनी बार फैक्टरी की कार से दिल्ली गये और किस कार्यावश जाते रहे और न सब यात्राओं क लिये उन्हें कितनी रकम दैनिक भत्ते के रूप में दी गई ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि फैक्टरी के आर्थिक वर्ष 1970-71 में फैक्टरी की जीपों व कारों पर पैट्रोल, मोबिल आयल तथा उन कार व जीपों की मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई थी, और वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में 31 जनवरी, 1973 तक उपरोक्त मद में कुल कितना पया खर्च हुआ, पूरा विवरण सदन के पटल पर रखन की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि० वाजपुर (नैनीताल) के जनरल मैनेजर 1 अप्रैल, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक प्रत्येक माह में जिन-जिन तिथियों में फैक्ट्री की कार से दिल्ली गये थे उससे सम्बन्धित पूरा बांछित विवरण संलग्नक 'क' पर तथा फैक्ट्री की कारों व जीपों की मरम्मत तथा पेट्रोल मोबिल आयल पर वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 (31-1-73 तक) में हुए व्यय से सम्बन्धित वांछित † विवरण संलग्नक 'ख' पर प्रस्तुत ह ।

बिजनौर जिले में कत्ल, डकैती तथा राहजनी की घटनायें

15--श्री किशन लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर में 1970-71, 1971-72 एवं जनवरी, 1973 तक कुल कितने कत्ल, डकैती, राहजनी की घटनायें हुई हैं और इस संबंध में अब तक कितने अपराधियों को पकड़ा जा चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में उपलब्ध है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 124 पर)

थाना शिवराजपुर (कानपुर) में डकैती एवं हत्या की घटनायें

16--श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के थाना शिवराजपुर में जुलाई सन् 1972 से अब तक कितनी डकैती एवं हत्यायें हुई हैं और इनमें से किन-किन में मुलजिमान पकड़े ग थे तथा चार्जशीट बनी और अवशेष में क्या हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कानपुर जनपद के थाना शिवराजपुर में जुलाई 1972 से अब तक (फरवरी 1973) कुल डकैती की 8 तथा हत्या की 4 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज हुई ।

---

† छापा नहीं गया ।

डकैती के 8 मामलों में कुल 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 7 मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है और एक मामले में जांच पूरी नहीं हुई है।

हत्या के 4 मामलों में कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। चारों मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

पी० सी० एस० की विशेष भर्ती के लिये प्रतियोगात्मक परीक्षा के संबंध में जानकारी

17--श्री राम कुमार दीक्षित--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में पी० सी० एस० के लिये इमरजेंसी रिक्रूटमेंट हुआ है? यदि हां, तो कितन स्थान थ, कितने लोगों ने आवेदन-पत्र दिये, कितने परीक्षा में उत्तीर्ण हुये और कितने लोग प्रत्यक्षीकरण हेतु बुलाये गये और किन-किन की नियुक्ति हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, उत्तर प्रदेश सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा में भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा एक विशेष भर्ती प्रतियोगितात्मक परीक्षा मार्च, 1972 में ली गई थी। इस परीक्षा के आधार पर 55 पदों को भरा जाना है। इस परीक्षा में कुल 8,404 अभ्यर्थी बैठे थे। लिखित परीक्षाफल के आधार पर 1,232 अभ्यर्थी व्यक्तित्व परीक्षा के लिये बुलाये गये, जिनमे से 55 अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त घोषित किये गये हैं। इन अभ्यर्थियों को नियुक्त हेतु आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्र के पांच जिलों को सीमावर्ती जिला घोषित करने की मांग

18--श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)--

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों की तरह पर्वतीय क्षेत्र के सभी आठ जिलों को सीमावर्ती जिले घोषित करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

शासन द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के अतिरिक्त शेष पांच पर्वतीय जिले देहरादून, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनीताल की प्लान योजनाओं का सम्पादन भी मुख्य सचिव शाखा के नियंत्रण में रखा जाय। इन पांच जिलों को सीमावर्ती जिले घोषित करने का कोई प्रश्न नहीं ह।

झिरौली (अल्मोड़ा) में स्थापित मैगनासाइट का कारखाना

19--श्री डूंगर सिंह बिष्ट--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के झिरौली में जो मैगनासाइट का कारखाना स्थापित किया है उसमें कितनी-कितनी पूंजी उत्तर प्रदेश सरकार तथा टाटा उद्योग की लगी है, संचालक मण्डल में कितने और कौन-कौन हैं, कारखाना कब तक तैयार हो जावेगा, कब से उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा, 1 फरवरी, 1973 तक कितने अधिकारी व कर्मचारी किन-किन पदों के किन वेतनमानों पर इस कारखाने में नियुक्त किये गये हैं, इनमें कितने स्थानीय एवं पर्वतीय क्षेत्र के हैं और कितने पर्वतीय क्षेत्र से बाहर के तथा कितने उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं? अधिकारी व कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या कितनी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 125 पर)

20--श्री डूंगर सिंह बिष्ट--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झिरौली (जिला अल्मोड़ा) में मैगनासाइट कारखाने के लिये 1 फरवरी, 1973 तक कितनी भूमि अधिग्रहण की है, किन-किन ग्रामों के कुल कितन परिवार भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हुये उनमें हरिजन परिवार कितने हैं, भूमि का मुआविजा किस रेट से देना निश्चय हुआ है ? क्या मुआविजा सबको दिया जा चुका है, बसबोला तथा झिरौली के ग्रामीणों ने क्या भूमि के बदले भूमि की मांग की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अभीष्ट सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 125 पर)

21--श्री डूंगर सिंह बिष्ट--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झिरौली में मैगनासाइट पत्थर को डेट बर्न्ट मैगनासाइट में परिणित कर उसको बेल पहाड़ न भेजकर वहीं पर ईंट बनाने का कारखाना स्थापित किया जावेगा जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने मैगनासाइट के कारखाने के उद्घाटन भाषण में कहा था कि डेट बर्न्ट मैगनासइट बनाने के बाद ईंट भी झिरौली या आस पास के स्थान पर बनाई जाय ? क्या मुख्य मन्त्री जी के इस आदेश व उद्देश्य के अनुसार उक्त कारखाने के संचालक मन्डल ने कोई निर्णय लिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अभी तक झिरौली में मैगनासाइट की ईंटें बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उद्योगों को क्रोम मैगनासाइट ब्रिक्स की आवश्यकता होती है । अल्मोड़ा क्षेत्र में क्रोमओर (क्रोमाइट) उपलब्ध नहीं है। अतः क्रोमओर को उड़ीसा से लाना पड़ेगा और उत्पादित ईंटों को फिर बिहार-उड़ीसा जहां पर मैगनासाइट को स्टील प्लान्ट्स में उपयोग किया जावेगा, ले जाना पड़ेगा। ऐसा करना अधिक व्यय साध्य होगा ।

बनकटा (देवरिया) के थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण

22--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत थानाध्यक्ष बनकटा का स्थानान्तरण झांसी रीजन में हो गया है ? यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जिला देवरिया के अन्तर्गत थानाध्यक्ष बनकटा, सब-इन्सपेक्टर श्री अली मेंहदी को झांसी रीजन में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश पारित हुये थे किन्तु यह आदेश प्रशासनिक दृष्टिकोण से अभी स्थगित रखे गये हैं। थानाध्यक्ष, बनकटा के कार्यभार से मुक्त कर श्री अली मेंहदी को थाना कोतवाली में सब-इन्सपेक्टर द्वितीय के पद पर फिलहाल स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

इसके विरुद्ध घूस लेने, एक अध्यापक को मारने-पीटने तथा एक व्यक्ति के प्रति घोर दुर्व्यवहार आदि की शिकायतों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

हिन्दी न्यूज एजेन्सियों को बिजली देने की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

आपके द्वारा एक हत्या हो गयी। आपको मालूम होगा, हिन्दी की हत्या अपनी संरक्षता में कर दिया। आप देखेंगे श्रीमन्, कल परसों से सब सदस्य यहां पर कहते आ रहे हैं कि जितनी न्यूज एजेंसीज और अखबार हैं सबको बिजली नहीं मिलती। आपने पी0 टी0 आई0 और यू0 एन0 आई0 को बिजली दिलवा दिया। हिन्दुस्तान समाचार, समाचार भारतीय, आज, जागरण और दूसरे समाचार-पत्र हैं, 12 टेलीप्रिंटर्स हैं। इस उत्तर प्रदेश के अन्दर अगर अंग्रेजी समाचार-पत्रों और न्यूज एजेंसीज को आप प्रश्रय देंगे तो हिन्दी की हत्या हो जायगी आपकी संरक्षता में। मैं चाहता हूं कि यह ऐसा प्रश्न है जिसको हम लोग कई दिन से आपके सामने रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

मेरे सामने विद्युत् मंत्री नहीं हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

राज्य मंत्री तो हैं।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)---

माननीय तिवारी जी ने एक आश्वासन दिया था अपने कक्ष में जा कर कि सारे अखबार वालों को, एजेंसीज तथा टेलीप्रिन्टर्स को नान स्टाप बिजली का वह प्रावधान करेंगे। यह दुख की बात है कि केवल पी0 टी0 आई0 तथा यू0 एन0 आई0 जो एजेंसीज हैं उनको टेलीप्रिन्टर्स से चालू रखने के लिये नान स्टाप बिजली दी गयी। लेकिन प्रदेश में मुख्यालय पर 13 टेलीप्रिन्टर्स हैं समाचार-पत्रों तथा एजेंसीज के जैसे आज, जागरण, स्टेटसमेन, हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस पत्रिका, मदरलैंड आदि के पास भी टेलीप्रिन्टर्स हैं उनको बिजली नहीं दी गयी। (व्यवधान) उनकी उपेक्षा की जा रही है। जनहित की उपेक्षा की जा रही है। मैं स्वयं पत्रकार रहा हूं। पत्रकार आन्दोलन से सामाजिक बेचैनी तथा प्रदेश में क्षोभ की लहर फैल रही है। मेरा निवेदन है कि यह जो आश्वासन दिया गया था उसका पहले इम्प्लिमेंट किया जाय और आश्वासन को मर्त रूप दिया जाय वर्ना यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

कृष्णानन्द राय, राम विलास पांडेय भी इस पर बोलेंगे। उसके बाद आप व्यवस्था दें। नारायणदत्त तिवारी जी आ गये हैं। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यू0एन0 आई0 तथा पी0 टी0 आई0 को बिजली दी गई जबकि प्रदेश में कुल मिला कर 13 टेली-प्रिन्टर्स समाचार पत्रों तथा एजेंसियों के हैं, उनको बिजली न दे कर पक्षपात किया जा रहा है। समाचार-पत्र तथा एजेंसीज सदन की विस्तृत रिपोर्टिंग भी करती हैं। इस प्रकार हिन्दी के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है और उसकी हत्या की जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सबको समान रूप से बिजली दी जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

नित्यानन्द स्वामी जी ने जो प्रश्न उठाया है समाचार पत्र तथा एजेंसीज को बिजली देने के सम्बन्ध में वह महत्वपूर्ण है। पहले भी यह विधान सभा में आ चुका है। यू0 एन0 आई0 तथा पी0 टी0 आई0 को बिजली दी गयी वह अच्छी बात है लेकिन प्रदेश के जो हिन्दी अखबार हैं उनको बिजली नहीं दी गयी। इनको बिजली देने की अविलम्ब व्यवस्था की जाय। चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन ऐसा करना पक्षपात मालूम पड़ता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी आज निश्चित रूप से आश्वासन दें और इन समाचार पत्रों को भी यू0 एन0 आई0 और पी0 टी0 आई0 की तरह बिजली दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, जैसा कि माननीय स्वामी जी ने कहा है कि यू0 एन0 आई0 और पी0 टी0 आई0 को बिजली दी जाने लगी। वह ठीक बात ह। लेकिन इसके अलावा अन्य समाचार पत्र भी हैं उनको भी बिजली दी जानी चाहिए। मैं उनकी इस बात पर एक शब्द यह भी जोड़ना चाहता हूं कि हमारे मुख्यालय लखनऊ के बाद भी जैसे बरनारस में "आज" है, कानपुर में नया जागरण है तथा और भी उत्तर प्रदेश में बहुत से हिन्दी व अंग्रेजी के समाचार-पत्र हैं जिनके पास कि टेलीप्रिंटर्स हैं, उनको भी यू0 एन0 आई0 और पी0 टी0 आई0 के समान बिजली की सुविधा दी जानी चाहिए। इसके अलावा प्रदेश में जनपदों के अखबारवालों को भी बिजली दी जानी चाहिए। इसमें वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए। अगर बिजली देनी है तो सभी समाचार पत्रों को दी जाय और नहीं देनी है तो इनसे भी वापस ले ली जाय।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, जैसा कि माननीय स्वामी जी ने कहा है वह ठीक ही कहा है सभी अखबारवालों को जिनके पास टेलीप्रिंटर्स हैं, बिजली देनी चाहिए। इन्होंने उन्हीं को बिजली दी है जो कि इंदिरा गांधी की नीतियों का प्रचार करते हैं। प्रदेश के अन्य अखबार इस सुविधा से वंचित रह जायं, उनके साथ पक्षपात किया जाय, यह ठीक नहीं है। वित्त मंत्री आश्वासन भी दिये हैं। इसलिये सभी अखबार वालों को बिजली दी जाय।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

आपने जो आदेश दिये हैं, उनका अधिकारी लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, इलाहाबाद से एक नार्दन इंडिया पत्रिका निकलती है जिसका कि स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके बहुत से रिप्रिजेन्टेटिव यहां पर भी आते हैं। उनके कार्यालय को भी 24 घंटे बिजली दी जाय जिससे वे भी लाभान्वित हो सकें।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैंने इस प्रश्न पर पहले भी निवेदन किया था। जो स्थानीय यू0 एन0 आई0 और पी0 टी0 आई0 की एजेन्सीज हैं उनको कल से ही बिजली बराबर दी जा रही ह। कल भी मेरे पास इस सम्बन्ध में टेलीफोन आया था कि यहां पर और भी एजेन्सीज हैं, हिन्दी समितियां हैं उनको भी बिजली दी जाय। इस सम्बन्ध में कल शाम को मुझे मालूम हुआ कि कहीं बिजली नहीं मिल रही है। कल ही इसके लिये भी आदेश हो गये हैं और आज से उनको बिजली मिल रही होगी। जहां तक अखबारों का सवाल है हमारे प्रदेश के जितने निष्पक्ष और निर्भीक हैं शायद ही वैसे अन्य देशों के अखबार हों लेकिन यह कहना कि इंदिरा गांधी की चहचही हो रही है और पक्षपात हो रहा है, यह ठीक नहीं है। जैसे जिसने कहा है वैसा किया जा रहा है। अगर कहीं नहीं मिल रही है....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जिनके पास टेलीप्रिंटर्स हैं उनको दी जाय।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

जो आपने आदेश दिये हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उनमें बड़ी बेचैनी फैली हुई है। इसलिये अपने कक्ष में जाने से पहले ही आप सदन को इसको बता दें।...

(व्यवधान)

श्री रामबिलास पांडेय--

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह था कि हमारे सदन में जो भी कार्यवाही होती है वह उस पेपर्स में स्थान नहीं पाती इसलिये उनको बिजली नहीं मिलती । मैं यह कह रहा था कि इंदिरा जी चाहती हैं कि उन पेपर्स को ही बिजली दी जाय जिसमें उनके कार्यों की प्रशंसा होती हो ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि उनका आदेश न्यूज एजेंसीज के लिये और जिनके पास टेलीप्रिंटर्स हैं, सब समाचार-पत्रों को बिजली देने का आदेश आज हो जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मुझे बतलया जाय जहां के लिये आदेश नहीं हुआ हो, यदि कहीं कमी रह गयी हो तो उसे बतलाया जाय ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत किसी को न हो सके।

श्री रामगोपाल संड--

कानपुर, वाराणसी, आगरा से सैनिक आदि जितने भी अखबार निकलते हैं उनको भी आज से 24 घंटे बिजली मिलेगी ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, एक सवाल पैदा हो गया माननीय मंत्री जी के उत्तर से । सवाल सिर्फ इतना है कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस प्रदेश में कितने टेलीप्रिंटर्स लगे हुए हैं । किन-किन अखबारों के और किन-किन को बिजली दी जाती थी और बाकी अखबार जिनको बिजली दी जाती थी उनको फिर से बिजली ज्यों की त्यों मिलती रहे, इसमें कटौती न की जाय, यह एलान करने में माननीय मंत्री जी को क्या दिक्कत है ? इतना अगरचे, मगरचे चूंकि और चुनान्चे क्यों कहा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

वे कह रहे हैं कि अगर कहीं गलती से बिजली देने से रह गया हो तो उसे बतलाया जाय, उसे दे देंगे ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार का प्रश्न कल उठाया गया था । उस पर नियम 49 आज आ रहा है । तो एक दफा जब उस विषय पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा होने वाली है तो उसके बाद उसी पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना उचित नहीं है । मैंने कहा तो इस बात को वे मान गये ।

दूसरा श्री हुकुम सिंह परिहार ने आते वक्त मुझे दिया था । उसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है । कल उस पर फैसला दूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

कल श्री शिवानन्द नौटियाल ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 वाला जो है वह मुझे सवा 11 बजे मिला है। उसको मैंने देखा नहीं है । इस पर फैसला दूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं निवेदन कर रहा था कि कल श्री शिवानन्द नौटियाल जी ने एक विशेषाधिकार का सवाल दिया था और मेरा ख्याल है कि वह उसी प्वाइंट को प्रेस करने के लिये खड़े थे । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस विशेषाधिकार के प्रश्न को उन्होंने कल उठाया था उस संबंध में आपने कोई जानकारी प्राप्त की जैसा कि आपने कल कहा था या नहीं ? अगर न की हो तो मेहरबानी करके माननीय सदस्य अगर और कुछ तथ्य सामने रखना चाहते हों इस सदन के सामने तो उसके लिये उनको इजाजत दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो सुनना ही नहीं चाहते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आपकी आज्ञा मेरे लिये शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने जानकारी हासिल की है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्, माननीय शिवानन्द नौटयाल जी ने जो प्रश्न कल उठाया था और जिसकी चर्चा अभी माननीय कल्पनाथ सिंह जी कर रहे थे, यह जो विधान सभा है इसमें फ्रीडम आफ स्पीच का हमें कांस्टीट्यूशनल राइट है । फ्रीडम आफ स्पीच के सिलसिले में अगर कोई सदस्य यह एलेज करता है कि उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा प्रोसीडिंग्स के आधार पर चलाया जा रहा है तो आर्टिकल 194 के अन्दर वह डिबार है। यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा का नहीं, हिन्दुस्तान के किसी भी लेजिस्लेचर का मौलिक प्रश्न है ।

मैं निहायत अदब के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इसका फैसला करने के प्रश्न को आप अपने सिर पर न लें । यह सारी विधान सभाओं के मान का सवाल है । मैं कह रहा था कि विधान सभा को अधिकार दिया जाय कि वह इस प्रश्न पर फैसला लें कि उसका अपमान हुआ है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

विधान सभा के नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार मैं करने वाला हूं और मैं बहुत कुछ जानकारी हासिल कर चुका हूं और मैं समझता हूं कि मैं आपको कल मौका दे दूंगा चर्चा करने के लिये और मैं आपको सुना दूंगा कि क्या बात है । (व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)--

इसमें माननीय सदस्यों के मौलिक अधिकारों और उनकी सुरक्षा का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बिना पूछे खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं । आप कृपया बैठिये ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

आप भी सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं आप बैठिये ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

विधान सभा का चलना असम्भव हो जायेगा (व्यवधान)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

कई दिन पूर्व माननीय चौधरी साहब ने एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न मुख्य मंत्री जी के खिलाफ उठाया था । उसके संबंध में आपने कोई निर्णय नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास कल उसका जवाब आ गया है । मैंने आर्डर दिया है कि उसको उनको दिखा दिया जाय और फिर उनको कुछ कहना हो तो कहें ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मैंने 301 में एक दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी उसको देखा नहीं है । उसको मैं पहले पढ़ लूं तब कहूंगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

कोई ऐसा नियम नहीं है कि 11 बजे के बाद न दिया जाय । यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष--

वह सब ठीक है लेकिन मैं पढ़ तो लूं ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

यह बड़ा महत्व का विषय है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप जबर्दस्ती कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय--

इसके बाद यहां से नाजायज प्रेशर डाल कर विरोधी दल के सदस्यों को सुविधा देने से रोका गया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह गलत बात है मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यह अभी आया है । मैं पढ़ तो लूं । इसके बाद देखूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न दिया था कि क्षेत्र समिति की नियमावली में परिवर्तन किया गया है और जिसकी सूचना कल सदन की मेज पर रखी गई । जो परिवर्तन हुआ है उसमें आप देखेंगे कि नियम 7 में परिवर्तन करने की बात कही है ।

श्री अध्यक्ष--

जब नियम का सवाल आये तो कहिये ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

माननीय नित्यानन्द स्वामी का काम रोको प्रस्ताव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड वाराणसी के चेयरमैन के विरुद्ध अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बारे में है । यह छापकर बांटा गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में भ्रष्टाचार की कोई अंतिम सीमा है तो उससे आगे बढ़कर पंडित बद्री दत्त मिश्र का गाथा है । वाराणसी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि 36 हजार का एक जगह ब्याज का गोलमाल है और 20 हजार रुपये के करीब वार्षिक गोलमाल है ।

श्री अध्यक्ष--

आप सब कह डालेंगे । इससे फायदा क्या है ? आप पहले इस में प्रश्न कर लें और उत्तर मिलने के बाद आप इस को उठायें ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप इस पर वक्तव्य करा दें, वह हो जाय तो पूरी स्थिति आ जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

आप जानकारी पहले हासिल कर लें, पहले अल्पसूचित प्रश्न कर लें उसके बाद जरूरत हो तो वक्तव्य भी हो जाय ।

दूसरा यह श्री सुरेंद्र विक्रम तथा श्री राम बिलास पांडेय का पुलिस सिपाहियों तथा हेड कांस्टेबिलों द्वारा गठित एसोसियेशन के विरुद्ध कार्यवाही से असंतोष के विषय में । इसमें भी यह पूछने की बात है क्योंकि उन्होंने जो एसोसियेशन बनाया है, कहां तक सरकार ने उसको रोका है, गवर्नमेंट से पहले आप पूछ लें ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

आप सरकार से पुछवा कर बतायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

हां, वह बतायेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

इस संबंध में हमारा एक प्रश्न किया हुआ है उसे आप केवल एक्सपीडाइट करा दें ।

श्री अध्यक्ष--

वह करा देंगे ।

एक यह तीसरा श्री कल्पनाथ सिंह और श्री बंशीधर पांडेय का है प्रदेश के किसानों की फसल बरबाद होने पर भी उनसे सभी प्रकार की सरकारी वसूली किये जाने के संबंध में । इस विषय में भी आप प्रश्न कर लें ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

प्रश्न क्या कर लें, प्रश्नों की जो हालत है वह आप देख लें, हमारा यह प्रश्न बहुत ही अविलम्बनीय है, निश्चित है और लोकमहत्व का भी है ।

श्री अध्यक्ष--

यह निश्चित नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह बिल्कुल निश्चित है । सारे सूबे के किसानों की फसल, आलू, जौ, गेहूं, अरहर और मटर की सारी फसल खराब हो गई है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा नहीं है, फसल बहुत अच्छी है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस पर सदन में बहस होने दीजिये । एक तरफ तो किसानों की फसल खराब हो गई है और दूसरी तरफ सरकार ने सारी वसूलयाबी जारी कर दी, उनकी कुर्की की जा रही है और उनके खिलाफ वारन्ट जारी कर दिये।

श्री अध्यक्ष--

इस पर आप बजट की बहस में चर्चा कर सकते हैं, यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इसे आप नियम 52 में ही कर दें, आप वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य दिलवा देंगे ।

एक यह श्री बांके लाल का है गंडक नहर की शाखा के टूट जाने से 50 गांवों की रबी की फसल को क्षति के बारे में इसको भी स्वीकार नहीं किया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, हम ने 301 में जो दिया है उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

उस पर कल फैसला देंगे । कल मौका देंगे ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

हमारे देवरिया में हमारे क्षेत्र में नारायणी कैनाल की शाखा जाती है, हमारे क्षेत्र में अनायास नहर टूट गई और इस तरह से अपने आप ज्यादा पानी छोड़ दिया गया और उससे नहर टूट गई जिससे तमाम गांव जलमग्न हो गये।

श्री अध्यक्ष--

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

श्री बांके लाल--

हमारे यहां के 50 गांव जलमग्न हो गये और नहर के अधिकारी बराबर सिंचाई-कर वसूल कर रहे हैं । सरकार से कहा जाय कि वह वहां से सिंचाई कर की वसूली न करें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें, पहले उन को आप बाध्य कर दें कि ऐसा हुआ और स्वीकार हो जाय तो यह बात हो जाय ।

1973–74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 6–स्टाम्प, अनुदान संख्या 7– निबन्धन, अनुदान संख्या 8– राज्य विधान मंडल, अनुदान संख्या 39–अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें, अनुदान संख्या 51–पेन्शनों का राशि मूल्य, अनुदान संख्या 4–बिक्री कर तथा अनुदान संख्या 53– ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (क्रमागत)

*श्री राजनाथ सिंह (जिला गाजीपुर)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं विद्युत् परिषद् के कुछ कार्यों के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहा था । उन सुझावों में एक सब से प्रमुख सुझाव यह था कि जब विद्युत् परिषद् के पास सामान की कमी है और जब तक सरकार की तरफ से किसानों को यह आश्वासन नहीं मिल जायगा कि आपके पंपिंग सेट्स के कनेक्शन दे दिये जायेंगे और वह चालू कर दिये जायेंगे। मुझे याद है कि इस वर्ष 7 फरवरी से 15 मार्च तक एक स्पेशल ड्राइव, विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें किसानों को यह आश्वासन दिया गया था कि इस अवधि में किसानों को अधिक से अधिक बिजली दी जायगी लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहता हूं कि 7 फरवरी से 15 मार्च तक जो विशेष अभियान चलाया गया, उस अवधि के अन्तर्गत किसी एक किसान को भी बिजली नहीं दी गयी और न नये पंपिंग सेट्स का निर्माण ही हुआ। जब इनके पास सामान ही उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार के अभियान चलाना किसानों को झूठा और कोरा आश्वासन देना उचित नहीं होगा।

आप जानते हैं कि परिवार नियोजन विभाग की ओर से नसबन्दी का कार्य आरम्भ तब होता है जब कि सारा सामान एकत्र कर लिया जाता है और साज-शय्याओं का प्रबन्ध हो जाता है यदि वह तैयार नहीं होता तो अभियान नहीं चलाया जाता।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् की ओर से जितनी मैन्टीनेंस डिवीजन्स हैं, उन्हीं स्थानों पर ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए भी डिवीजन्स खोले गये हैं। मेन्टीनेन्स डिवीजन्स में आज मेन्टीनेन्स का भी काम होता है और कन्सट्रक्शन का भी काम होता है। परिणाम यह होता है कि एक डिवीजन के लोग तो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनके जिम्मे कोई काम नहीं है और मेन्टीनेन्स डिवीजन मेन्टीनेन्स का भी काम करता है और कन्सट्रक्शन का भी, नतीजा यह होता है कि वे निर्माण-कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। हर जिलों में ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए एक डिवीजन खुला है और उसके लिये आपने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसिस्टेंट इंजीनियर्स और लाइन इन्सपेक्टर्स का प्राविधान तो किया गया है और वे लोग डिवीजन्स में पहुंच भी गये हैं लेकिन उनके जिम्मे कोई काम नहीं सौंपा गया है। वे बैठे-बैठे वेतन लेते हैं और मेन्टीनेंस डिवीजन ही इस सारे कार्य को पूरा करता है ।

हमारे गाजीपुर जनपद में आर० ई० डिवीजन खुला है, इस जिले में 4 तहसीलें हैं, तीन तहसीलों में तो असिस्टेंट इंजीनियर्स की व्यवस्था कर दी गयी है लेकिन सैदपुर

---

†28 मार्च, 1973 को कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनाथ सिंह]

तहसील जो कि सबसे बड़ी तहसील है, जहां पर कन्सट्रक्शन का काम भी बहुत ज्यादा है, वहां पर कोई कन्सट्रक्शन डिवीजन नहीं खोला गया है। यह बात समझ में नहीं आती है कि जहां पर काम कम है, वहां पर तो सारे अधिकारी भेज दिए जायं और जहां पर काम ज्यादा है, वहां पर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती है और जिनकी नियुक्ति होती है उनके जिम्मे काम नहीं सौंपा गया है क्योंकि आर० ई० डिवीजन का कोई विभाग और न वे कोई काम ही करते हैं। उनकी जिम्मेदारी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें भी वेतन देना पड़ता है।

विद्युत् परिषद् के संबंध में एक और सुझाव यह देना चाहता हूं कि जब पम्पिग सैटों या बिजली की किसी लाइन का निर्माण होता है तो जिस किसी किसान को बिजली देनी होती है तो वहां पर आपकी लाइन पहुंच जायगी, खंबे गड़ जायेंगे, वायरिंग हो जायगी जिसमें सरकार के 20–25 हजार रुपये का खर्चा हो जायगा, काश्तकार भी पंपिग सैट से सम्बन्धित सामान खरीद लेगा लेकिन उसे कनैक्शन नहीं मिलेगा। आपके इंजीनियर साहब कह देते हैं कि स्टाक में मीटर नहीं है। 100 रुपये के मीटर के न मिलने के कारण आपके 20–30 हजार रुपये का खर्च और काश्तकार का 7–8 हजार खर्च होने पर वह प्रतीक्षा करता रहता है लेकिन उसे कनेक्शन नहीं मिलता है। एक उदाहरण मैं आपको अपने ही जिले का देता हूं। वहां पर एक लाइन का निर्माण होना था। वायरिंग नहीं हुआ था तो जब मैंने इस सम्बन्ध में विभाग से जानकारी प्राप्त करनी चाही तो विभाग ने बताया कि अभी इसका एस्टीमेट तैयार नहीं हुआ है। ओब्जर्वेशन के लिए भेजा गया है। सन् 1971 में वाराणसी डिवीजन के ई० ई० ने एस्टीमेट तैयार करने को कहा और यह कहा कि इसी महीने के अन्दर एस्टीमेट बनाकर भेज दिया जाय लेकिन जनवरी, 1973 तक एस्टीमेट बन कर नहीं गया। जब इसके विषय में मैंने जानकारी की तो कहा कि एस्टीमेट नहीं बना। मैंने पूछा कि सन् 71 में एस्टीमेंट मांगा गया था और 73 तक वह नहीं बन पाया। वहां के सब डिवीजन के असिस्टेंट इंजीनियर का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया। जब 2 वर्ष बाद भी एस्टीमेंट नहीं बन पाया, तो जो किसान हैं और पम्पिग सेट लगाना चाहते हैं, वे कैसे सम्भव हो पायेंगे। मान्यवर, जहां पर अधिक मांग होती है, वहां पर हमारी सरकार विशेष ध्यान देती है। हमारी सरकार रचनात्मक कार्यों में अधिक रुचि रखती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको ज्ञात होगा कि सारे भारतवर्ष में केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी का मन्दिर है, जो कि रचनात्मक कार्य करते हैं, जब कि शंकर के मन्दिर गांव-गांव और घर-घर में हैं, यद्यपि वे विध्वंसात्मक कार्य करते हैं। तो मान्यवर, रचनात्मक कार्य करने वालों की पूंछ नहीं है। विध्वंसात्मक कार्य करने वालों से हमारी सरकार भी डरती है, हम भी डरते हैं और जनता भी डरती है। जब इनके सारे कार्य पूरे हो गये, तो इस सरकार को रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिये। आज किसान की जो रात-दिन आवश्यकता है, वह है विद्युत की। जब तक उनको पूरी तरह से विद्युत नहीं प्राप्त होती, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती।

मान्यवर, हमारा विद्युत् परिषद् का हर साल घाटा होता है। घाटे होने का कारण यह है कि इनके कार्य-कलाप दूषित हैं। इनके जो मीटर लगे हैं, अगर उनको ध्यान से देखें तो 50–60 फीसदी मीटर दोषी होंगे। एक किसान जो 50 बीघा सिंचाई करता है और एक किसान जो 10 बीघे सिंचाई करता है, उन दोनों की यूनिट देखी जाय तो 50 बीघे वाले की यूनिट कम होती है। इससे स्पष्ट होता है कि आपके मीटर दोषी हैं। अगर मान लीजिये यूनिट जहां पर ठीक है, और एक किसान या उपभोक्ता पैसा नहीं देता है तो उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते हैं लेकिन लोग डाइरेक्ट कनेक्शन करके बिजली ले लेते हैं और दाम नहीं देना पड़ता है। इसलिये मैं एक

निश्चित सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सिंचाई विभाग में राजस्व अधिकारी होते हैं, उसी तरह से विद्युत विभाग में भी राजस्व अधिकारी होने चाहिये जो कि देखें कि कहीं अगर गलत काम हो रहा है, तो उसको दण्डित किया जाय। जब तक विद्युत परिषद् में राजस्व अधिकारी की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इसी तरह से गल्तियां होती रहेंगी और कमियां मौजूद रहेंगी। तो एक मेरा सुझाव राजस्व अधिकारी के बारे में है और दूसरा जैसा कि मैं बता चुका हूं, समय से एस्टीमेंट बनाने के बारे में है। आपका जो आई० ई० डिवीजन है, उसके पास काम नहीं है। उसको बैठकर वेतन न दें।

मान्यवर, गत वर्ष जब फसल तैयार हुई और कट कर खलिहान में पहुंच गई तो वर्षा हो गयी। उससे काफी फसल नष्ट हो गयी। इस साल किसान खेत काट चुके हैं। हाई यील्डिंग वेराईटी के हो सकता है, कि बाकी हों। तो ऐसे समय में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहली अप्रैल से कम से कम 25 अप्रैल तक 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था करें ताकि थ्रेशर के द्वारा दाने निकाल लिये जायं और जो गत वर्ष का कटु अनुभव था वह न हो क्योंकि अगर वर्षा हो गई तो इतना प्रयत्न जो हम कर रहे हैं, थोक व्यापार हाथ में लेने जा रहे हैं, वह सब बेकार चला जायेगा और सारा गल्ला नष्ट हो जायेगा। इसलिये किसानों के हित को देखते हुये बिजली की व्यवस्था आपको करनी होगी।

एक बात मैं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आप स्थानान्तरण करते हैं और फिर रोक देते हैं, नतीजा यह होता है कि न तो वह वहां पर काम कर सकता है और न वहां ही काम होता है जहां ट्रांसफर किया गया था। अतः आप ट्रांसफर न रोकें। इससे जो क्षति पहुंचती है काम में, उसका नुकसान न होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)––

मान्यवर, आज बिजली जितनी आवश्यक है––चाहें वह उद्योग हो या खेती-उतनी शायद दूसरी वस्तु नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता कि किसान के लिये खासतौर से, शत्रु नम्बर (1) जितनी बिजली है, उतनी दूसरी चीज नहीं। क्योंकि जितनी भी बरबादी का कारण है वह बिजली है और इस बिजली बोर्ड की व्यवस्था चाहें इनके स्टेशन्स हों या सब-स्टेशन्स बहुत खराब है और इनकी दुर्व्यवस्था के कारण किसान पिस रहा है। आज स्थिति यह है कि इंजीनियर के स्ट्राइक के बाद लगातार बिजली के फेलियोर्स हुये और अब तक 6 घंटे से अधिक यह लोग बिजली देने में असमर्थ हैं। यह समय गेहूं की मड़ाई का है और गन्ने की सिंचाई का है। अगर सरकार ने जो ऊंचे-ऊंचे वायदे और आश्वासन दिये हैं, वह नहीं पूरे किये तो तबाह हो जायेंगे। मैं तो अपने जिले से कल ही लौटकर आया हूं और वहां तो 6 घंटे भी थ्रेशर के लिये बिजली नहीं मिल रही है। अब एक स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि हमारे जिले में लगभग 1,000 कन्ज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको डिसकनेक्शन की नोटिस मिल गई है और यह नोटिस उनको मिली है जिनके ऊपर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामधारी शास्त्री]

2 हजार रुपया बकाया है। यह सब लोग एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गये। लगातार कई घंटे कोशिश करने के बाद भी वहां कोई पुरसाहाल नहीं। यह हालत केवल हमारे यहां ही नहीं है सब जगह है जहां बोर्ड के कार्यालय हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तमकोही ब्लाक के भोला नाम के एक व्यक्ति को जब बाध्य किया तो उन्होंने कहा कि भूल हो गई और उस बिल का रुपया 500 और बढ़ा दिया। हिसाब बताना तो दूर रहा, 500 रु0 की बिल में और वृद्धि हो गई। दूसरे आदमी ने उन लोगों को खुश कर दिया तो 200 रु0 कम कर दिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई व्यवस्था आज नहीं है। हमारे देवरिया जिले में मेरी सूचना के अनुसार करीब 4 हजार कनेक्शन ऐसे है जहां उनके पास मीटर नहीं है और मीटर है तो चलते है। यह लगातार एक साल से नहीं, पिछले 3 सालों से कोई मीटर नहीं है और है तो चलते नहीं है।

सन् 1952 से 57 तक श्री राम सुभग वर्मा देवरिया के सदस्य थे। उन्होंने दो वर्ष पहले विभाग के आदेश के अनुसार पांच रुपया मीटर ठीक कराने के लिए जमा किया। दो वर्ष हो गये। आज तक कोई उनका मीटर चेक करने नहीं आया। मान्यवर, अगर देखा जाय तो दो ट्यूबवेल्स पर ऐसा औसत आ जायगा कि इनका ट्रान्सफारमर बेकार पड़ा हुआ है। कोई विभाग का आदमी उठाने वाला नहीं है। जिस गांव में मैं रहता हूं वहां 10 ट्यूबवेल्स हैं। तीन ट्रांसफारमर्स बेकार पड़े हैं और जो चाहता है उसमें एक पुर्जा निकाल ले जाता है। मैंने मौखिक रूप से विभागीय अधिकारियों से कहा कि इनको उठवा लीजिये लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब बिजली के कनेक्शन लिये गये तो एग्रीमेंट में इस बात की गुंजाइश थी कि हम जब चाहें बिजली का इस्तेमाल करें। लेकिन आज स्थिति यह है कि केवल छः घंटे आप बिजली देते है। तीन रुपया पर हार्स पावर पर-मन्थ आप लेते हैं। तीन पैसे सरचाज और बढ़ा दिया है। 22 पैसा प्रति यूनिट किसान से लिया जाता है जब कि उसे तीन चार घंटे ही बिजली मिल पा रही है। हमारा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना है कि आपने जो एग्रीमेंट किया, जो नियम बनाये तो आपने यह नहीं कहा कि तीन चार घंटे बिजली देंगे। उसमें तो यह था कि कन्ज्युमर अपनी सुविधानुसार और इच्छानुसार बिजली का इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन जब आप उसे बिजली नहीं दे सकते तो कोई औचित्य नहीं रहता है कि तीन रुपया प्रति हार्स पावर के हिसाब से किसान से लें और तीन पैसा प्रति यूनिट बढ़ायें। जब सरकार या बिजली विभाग अपने वायदों को पूरा नहीं कर सकते और बिजली नहीं दे सकते तो आप सरचार्ज पाने के अधिकारी नहीं है। आप की जो पुरानी दर हैं उसे घटना चाहिए। जब तक आप इतने सक्षम नहीं हो जाते कि किसान को इतनी बिजली दे सकें कि वह अपनी इच्छानुसार और सुविधानुसार कंज्यूम कर सके तब तक तीन रुपया पर हार्स पावर प्रति मास के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। मंत्री जी उस पर ध्यान दें।

इसी तरह से बिजली के बिल मनमाने तरीके से बनते हैं तो उसको चेक करने के लिए भी कोई मशीनरी होनी चाहिए। मान्यवर, यह चुनाव का वर्ष है और बड़ा हल्ला है कि बड़ी तादाद में बिजली के कनेक्शंस दिये जायेंगे। नये कनेक्शन की बात करते हैं लेकिन अभी तो पुरानों को ही कनेक्शन नहीं मिल पाये हैं। कल मंत्री जी ने हाउस में जरूर कहा कि हम कोशिश करेंगे कि नये कनेक्शन न दिये जायं। लेकिन जिन लोगों ने पैसा जमा कर रखा है, एग्रीमेंट भर रखा है और छः-छः महीने बिजली नहीं लगायी जाती है तो यह विभाग की लापरवाही है। बिजली विभाग में कोई सुनवाई नहीं होती। एक दूसरी दुविधा बड़ी पुरानी चल रही है। मैं यह कहने में नहीं चूक सकता कि हिंडालको को बिजली दो पैसे से कम में देंगे और यह सारा खमियाजा किसानों से लेंगे। लोक लेखा समिति और प्रतिनिहित विधायन समिति ने बराबर

इस पर अपनी राय जाहिर की है। मैं आपका ध्यान प्रतिनिहित विधायन समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के पृष्ठ 19 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं इसकी 2–3 लाइनें पढ़ रहा हूं:—

"जब 11 जुलाई, 1972 को अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् समिति के समक्ष साक्ष्य के लिये आये तो उन्होंने बताया कि एक प्रश्न के उत्तर के संबंध में उन्होंने हिन्डालको को बिजली दिये जाने से होने वाली हानि की गणना की थी जो 2.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। इस प्रकार गत तेरह वर्षों में यह हानि 32.5 करोड़ रुपये हो चुकी है। समिति की राय में लोक राजस्व को इसी भारी घाटे का उत्तरदायित्व शासन को ओढ़ना ही पड़ेगा। इस प्रकार की भूल लोकतंत्र में अक्षम्य है।"

मान्यवर, सरकार की ओर से कहा गया है कि हमने इकरार कर दिया है और उस इकरार को तोड़ने में हमें बड़ी कठिनाई है। इस पर भी समिति ने पृष्ठ 17 पर अपनी राय जाहिर की है :—

पैरा 43

"हिंडालको के साथ किये गये एग्रीमेंट के पैरा 10 के अनुसार हिंडालको को बिजली 1.997717 पैसे पर यूनिट दी गयी जो उत्पादन की लागत का लगभग एक-चौथाई है। इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 59 के अनुसार बोर्ड अपना कार्य हानि पर नहीं चलायेगा और बिजली की दरों को समय-समय पर तद्नुसार परिवर्तित करता रहेगा। उक्त ऐक्ट की धारा 49 (4) के अनुसार राज्य विद्युत परिषद् बिजली के सम्भरण की दरे और शर्तें नियत करने में किसी व्यक्ति को अनुचित अधिमान नहीं देगा। उक्त दोनों को उपबन्धों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 29 अक्तूबर, 1959 को जब शासन ने हिंडालको के साथ यह इकरारनामा किया उस समय राज्य विद्युत् परिषद् को ऐसा इकरारनामा हिंडालको के साथ करना सम्भव नहीं था क्योंकि इसमें उक्त ऐक्ट की धारा 49 (4) तथा 59 का उल्लंघन होता यदि राज्य विद्युत् परिषद् ऐसा इकरारनामा करता तो वह आरव्ध धतः शून्य (void ab initio) होता।"

मेरे कहने का मतलब यह था कि समिति ने जब यह कहा कि आप हिंडालको को जिस दर पर बिजली दे रहे हैं उत्पादन लागत उसकी 4 गुनी है तो कोई औचित्य नहीं है कि आप बिरला के इस कारखाने को उत्पादन लागत से कम दर पर बिजली दें? आप सारा घाटा पूरा करने की चेष्टा किसान से कर रहे हैं।

कृषि आज कल सबसे जरूरी उद्योग है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वे खेती को प्राथमिकता दें बजाए अल्यूमिनियम के उत्पादन के। उन्होंने सेठ जी के साथ तो लिखित इकरारनामा कर दिया मगर किसानों के साथ उनका बिना लिखा हुआ इकरारनामा है। यह लाजमी है कि किसान को सस्ती दर पर बिजली दें क्योंकि अन्न जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अल्यूमिनियम के बिना तो शायद काम चल भी जाये लेकिन बिजली के बिना नहीं चल सकता है।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो दिनांक 26 जुलाई, 1972 को विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था।

पृष्ठ 43—पैरा 158

"समिति को खेद है कि अल्यूमिनियम कम्पनी के साथ किये गये इकरारनामे की धारा 12 (ख) (1) के अन्तर्गत जब अक्तूबर, 1967 से जून, 1968 तथा अक्तूबर, 1968 से

[श्री रामधारी शास्त्री]

जून, 1969 की अवधि में सूखे के कारण बिजली का उत्पादन घट गया था तो इस पावर स्टेशन पर उपलब्ध बिजली की दर के अनुसार अल्मूनियम कम्पनी को वितरित नहीं किया गया। बिजली की सप्लाई दर के अनुसार घटाई नहीं गई। उसके विपरीत दामोदर घाटी निगम से ली गई बिजली में से कम्पनी को करार के हिसाब से दर अनुसार बिजली सप्लाई करने के अतिरिक्त 20.94 लाख यूनिटें अधिक रियायती दर से सप्लाई की गई जिसके कारण 103.57 लाख रुपये की हानि परिषद् को हुई। समिति को बताया गया कि उक्त अवधि की 2 करोड़ 8 लाख रुपये की वसूली की कार्यवाही बहुत दिनों से चल रही है। 31 दिसम्बर, 1971 को जब बिजली काटने का नोटिस कम्पनी को दिया गया तो उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया। समिति यह समझने में असमर्थ है कि बिजली काटने का नोटिस कम्पनी को जारी करने में चार वर्ष का विलम्ब क्यों किया गया जब कि इकरारनामें के अनुसार इस प्रकार का नोटिस जारी किया जा सकता था। समिति को बताया गया कि 1969-70 में भी एक नोटिस कम्पनी को दी गई थी लेकिन फिर कम्पनी और सरकार के बीच कोई समझौता होकर मामले को आर्बिट्रेशन के लिये दे दिया गया।

मान्यवर, इस समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बिरला के साथ पक्षपात किया गया है और नोटिस के बावजूद समझौता हो गया। क्या हो गया, मालूम नहीं है। मैं समझता हूं कि चुनाव के लिये करोड़ों रुपया ले लिया गया होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड व्यापारिक संस्था है। उसी दृष्टिकोण से इसे कार्य करना चाहिये। कांग्रेस समाजवाद का नारा लगाती है और पूंजीपतियों का साथ देती है। यह बात समझ में नहीं आती है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस विभाग में कुछ दिन पूर्व हड़ताल हुई थी उसका ज्ञान सभी माननीय सदस्यों को है। मैं उस विषय में विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। उनकी कुछ मांगें पूरी हो गई हैं। टेकनिकल आदमी ही बोर्ड में अध्यक्ष पद पर रहेगा यह मान लिया गया है। यह प्रसन्नता की बात है लेकिन कुछ और समस्यायें अभी बाकी हैं। उनकी सेवा की शर्तें स्पष्ट नहीं हैं। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 10, 10 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हैं। पांच-पांच वर्ष हो गये हैं लोगों की दक्षता रोक पड़ी हुई है। वह दफ्तर से निकलती नहीं है। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो 4, 4 और 5, 5 वर्ष से मस्टर रोल पर चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पी0 डब्लू0 डी0 और सिंचाई विभाग के समान ही इस विभाग में तीन वर्ष से लगातार काम करने वालों को रगुलर कर दिया जाना चाहिये। मान्यवर, यह तो कारपोरेशन है। यहां तो वहां से भी अच्छी सेवा शर्तें होनी चाहिये। इससे अच्छी व्यवस्था तो प्राइवेट स्कूलों में है। वहां ट्रेन्ड टीचर एक साल के प्रोबेशन पर होता है और अगर उसके बाद उसको नोटिस नहीं मिलता है तो वह इप्सो फैक्टो कन्फर्म हो जाता है। इस तरह के नियम बिजली विभाग में भी होना चाहिये। जब सेवा शर्तें ठीक होंगी, वेतन मान ठीक होंगे, तो काम भी अच्छा होगा और कार्य कुशलता रहेगी। बहरहाल यह लोग जब इन्टरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो इनको कम्पटीशन फेस करना पड़ता है। उसमें आने के पांच साल बाद कहीं यह लोग इंजीनियर बन पाते हैं और एक मेरे मित्र ने बताया कि वह और एक हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोनों साथ थे। आज वे सहायक इंजीनियर हैं और वह जिलाधिकारी हो गये। कारण यह है कि आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 की नीचे प्रतियोगिता नहीं होती और अन्त में केवल एक प्रतियोगात्मक परीक्षा देनी पड़ती है और बड़े अफसर हो जाते हैं और उनका डंडा उनके सर पर चलता है। इसलिए वे बड़े असन्तुष्ट हैं। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दहातों की हालत तो ठीक करें ही नये सिरे से ताकि किसानों को कष्ट न हो, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सर्विस कंडीशंस में भी पर्याप्त सुधार होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि राज्य की योजनाबद्ध कृषि और औद्योगिक कार्यक्रम की बिजली "किंगपिन" है, बिजली जान है। इसीलिये सीमित समय में मैं अपने भाषण में राज्य विद्युत् परिषद् के कार्यकलापों तक अपने को सीमित रखूंगा। सर्वप्रथम मैं राज्य के कृषक वर्ग का मुकदमा बिजली के संभरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत करूंगा। मान्यवर, कृषक वर्ग की ओर से निश्चितरूप से वर्तमान शासन बधाई का पात्र है कि उसने निःशुल्क ट्रांसफार्मर को चोरी की अवस्था में उनको रिप्लेस करने की योजना बनाई है और साथ ही कृषक वर्ग की

(इस समय 12 बजकर 57 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

ओर से वर्तमान शासन इसलिए भी बधाई का पात्र है कि न्यूनतम गारन्टी कि प्रथा समाप्त कर दी। परन्तु मेरा निश्चित मत है कि गत वर्ष में जहां तक कृषकवर्ग को बिजली के संभरण की बात है, उस क्षेत्र में कृषक वर्ग के साथ बड़ा अन्याय किया गया। मान्यवर, यह बात समझ में आने योग्य है कि अनावृष्टि के कारण राज्य के जलाशयों में पानी कम इकट्ठा हुआ, इसलिए स्वाभाविक था कि बिजली का कम उत्पादन हुआ, लेकिन माननीय मन्त्री जी से बड़े अदब से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि इस राज्य के अन्दर बर्षा आम तौर से 30 सितम्बर को समाप्त हो जाती है। क्या उस वक्त उनको मूल्यांकित करने का समय नहीं था कि इस राज्य में आइन्दा जल से पैदा होने वाली विद्युत् कितनी होगी? और जब यह मूल्यांकन हो सकता था तो उसी समय विभिन्न वर्गों के विद्युत् संभरण के ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं किया गया? मेरी पहली शिकायत विद्युत् मंत्री से यह है कि न शासन की ओर से, न राज्य विद्युत् परिषद् की ओर से इस सम्बन्ध में सामयिक कदम उठाया गया। मैं निश्चित याददाश्त से कह सकता हूं कि कम बिजली उत्पादन की दशा में उसकी सप्लाई पर नियंत्रण के सम्बन्ध में पहली कैबिनेट की बैठक 16 नवम्बर, 1972 को हुई थी जिसमें प्रथम बार बिजली के संभरण और उसको नियंत्रित करने का फैसला लिया गया और उस वक्त यह फैसला किया गया कि कृषक वर्ग को 16 घंटे बिजली दी जाय। क्या यह सही नहीं है कि 16 नवम्बर से पूर्व औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे बिजली मिलती रही थी? डिस्टिलरीज को और डोमस्टिक पावर 24 घंटे मिलती थी, लेकिन कृषक वर्ग को चन्द घंटे बिजली अनियमित रूप से मिल रही थी। इससे कृषक परेशान था। इतना ही नहीं, खेद की बात यह भी है कि मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहता हूं कि उपरोक्त निर्णय जो कृषि हेतु 16 घंटे बिजली देने का था उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। मैं दावत देता हूं मंत्री जी को कि रैंडम सम्पिलिंग से अपने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित ग्रामीण पावर स्टेशंस को चेक कर लें कि उनसे ग्रामीण क्षत्रों में 16 नवम्बर के कबिनेट के फैसले के अनुसार कितने घंटे बिजली दी गयी या नहीं दी गयी? मुझे पूर्ण आशा है कि नतीजों से उन्हें निराशा होगी।

इसका नतीजा यह हुआ, आप भी सहमत होंगे कि वर्तमान वर्ष में खाद्य की स्थिति कितनी जटिल है। इस वर्ष सूखा के कारण खरीफ की फसल खराब हो जाने के कारण कृषि का सारा कार्यक्रम रबी की हाईईल्डिंग वैराइटीज पर निर्भर था।

यह भी आम जानकारी है कि गेहूं कि हाई ईल्डिंग वेरायटीज को पलेवा कर के बोना पड़ता है आप खुद सोचें, 16 नवम्बर को जब काश्तकारों को बिजली देने की बात शासन ने सोची और हाई ईल्डिंग वेरायटीज को बोने का कार्यक्रम पहली से 30 नवम्बर तक ही सीमित है तो क्यों कर प्रदेश के अन्दर हाई ईल्डिंग वेरायटीज को पलेवा कर के बोना सम्भव हो सकता था

[श्री शिवराज सिंह]

पड़ोसी प्रदेशों हरियाणा और पंजाब के अन्दर वहां के शासन ने 15 अक्तूबर, 1972 से 24 घंटे बिजली कृषकों को दी और इन राज्यों के अन्दर पलेवा कर के हाईईल्डिंग वेरायटीज बोयी गयी। उत्तर प्रदेश में समय से बिजली न मिलने के कारण 40 फीसदी हाई ईल्डिंग वेरायटीज को किसान को बिना पलेवा के बोना पड़ता और 40 फीसदी को पलेवा करते-करते इतनी देर हो गयी कि वह बोयी नहीं जा सकी और केवल 20 फीसदी हाई ईल्डिंग वेरायटीज पलेवा करके बो सके। इस प्रकार कृषक वर्ग को सरकार की नीतियों और राज्य विद्युत् परिषद् की उदासीनता के कारण इस वर्ष बहुत भारी छति पहुंची है। आप यह तो जानते होंगे कि हाई ईल्डिंग वेरायटी के लिये सब से महत्वपूर्ण पहला पानी होता है जबकि गेहूं उपज कर क्राऊन रूट स्टेज पर होता है तब 21 दिन के अन्दर पानी देना नितान्त आवश्यक है और अगर 21 दिन के अन्दर पानी नहीं मिलता है तो गेहूं के अन्दर क्राउनिंग नहीं होता है। यहां के किसान को इस अवधि में पानी नहीं मिल पाया क्योंकि उसे बिजली नहीं मिली। इसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे पानी के अवसर पर भी कृषक वर्ग को बिजली नहीं मिली और इस तरह से गेहूं कि खड़ी फसल को बहुत क्षति पहुंची है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्दर दोहरी फसल बोने का भी कार्यक्रम इसी विभाग का है। दोफसली क्षेत्र वह होता है जो मूंगफली उखाड़ कर बोया जाता है, धान काट कर बोया जाता है, गन्ने की पेड़ को काट कर बोया जाता है। वह गेहूं देर से बोया जाता है। देर से बोये गेहूं के लिये आबपाशी नितान्त आवश्यक है। दोफसली क्षेत्र में बोया गेहूं आज प्रदेश में हजारों एकड़ है और वह गेहूं आज दूध की अवस्था में है। होली के बाद इस प्रदेश में गरम हवा चलने लगती है। अगर उस गेहूं को पानी नहीं दिया गया तो मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि वह गेहूं सूख जायेगा और उसके अन्दर कोई गेहूं का दाना नहीं पड़ेगा। इसलिये नितान्त आवश्यक है कि दोफसली गेहूं को पानी देने के लिये बिजली सप्लाई की जाय। 1970-71 में क्या हुआ था? दुर्भाग्यवश आपको भी याद होगा कि इस प्रदेश के अन्दर असमय वर्षा हुई और खलिहान में लायी हुई तमाम उपज भीग गयी और सड़ गयी और काफी क्षति हुई। मैं मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस वक्त खलिहान में जो फसल इकट्ठा होने वाली है उसको उगाहने के लिये थेशर्स को 15 अप्रैल से 30 मई तक 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था अवश्य कर दें अन्यथा जो फसल खलिहान में इकट्ठा होगी वह असामायिक गरमी की वर्षा के कारण नष्ट हो जायगी।

इसके अलावा यह भी है कि पानी न मिलने के कारण इस वर्ष राज्य में आलू की फसल को बहुत नुकसान हुआ। आपने रात में पानी दिया। आलू में नियन्त्रित पानी दिया जाता है, उसमें फ्लड इरीगेशन नहीं किया जा सकता। इसलिये जब किसान को रात को बिजली मिली तो वह आलू में आबपाशी नहीं कर सका। बिजली के कारण पानी न मिलन से आलू की पैदावार में ही 33 प्रतिशत की कमी हुई है। इस प्रकार यदि क्षति का मूल्यांकन किया जाय तो पता चलेगा कि काफी क्षति कृषक समाज की हुई है केवल बिजली न मिलने के कारण सिंचाई की व्यवस्था न होने पर। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृषक वर्ग की समस्याओं पर विशेष रूप से विचार करने की कृपा करें।

दूसरी बात मैं विद्युत् परिषद के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैंने अभी माननीय विद्युत मंत्री जी को इसके लिये तो बधाई दी कि उन्होंने ट्रांसफार्मर चोरी होने पर निःशुल्क ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने की व्यवस्था की है, किन्तु मुझे इस संबंध में यह भी कहना है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार, रहा है। चोरी गये ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने के लिये कोई सिद्धान्त नहीं अपनाया जाता हो न ही कोई फर्स्ट कम फर्स्ट आदि का सिद्धान्त ही अपनाया जाता है, यह पूर्णतया अधिकारियों

की मर्जी पर है कि वे जिसको चाहे पहले रिप्लेस कर दें। इसलिये इसमें काफी भ्रष्टाचार की गुन्जायश है।

इसी तरह से इस्टीमेट्स बनाने में भी कृषक वर्ग से निश्चित रूप से बड़ी रिश्वत ली जाती है। पहले इस्टीमेट्स बहुत ज्यादा बना दिया जाता है ताकि कृषक परेशान हो जाये और बाद में उससे रिश्वत लेकर उस इस्टीमेट्स को काफी कम कर दिया जाता है। यदि माननीय मंत्री जी इस बात की सूचना मंगा लें कि कितने इस्टीमेट्स ऐसे हैं जो बार बार परिवर्तित किये गये हैं तो उससे ही उनको पता चल जायेगा ? आखिर क्यों परिवर्तित हुये ? पहले ज्यादा के दिये गये फिर कम क्यों किये गये ? इसी से पता चल जायेगा कि वहां कितना इसमें भ्रष्टाचार है।

मीटर रीडिंग भी कभी समय से और ठीक नहीं होती है। आपके यहां मीटर रीडर्स की संख्या भी बहुत कम है। 3–3, 4–4 महीने में कभी वे मीटर चेक कर लिया करते हैं वरना घर बैठे ही उसकी रीडिंग लिख देते हैं और कभी यह रिपोर्ट दे देते हैं कि वहां ताला बन्द मिला। यही नहीं, मान्यवर, कृषकों से रिश्वत ले-लेकर रीडिंग कम दिखा दी जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मीटर रीडिंग की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिये, उसको सील आदि करके ठीक प्रकार से रखा जाना चाहिये ताकि इसके कारण जो लाखों करोड़ों का नुकसान होता है वह न होने पाये।

मेरे लिये यह संतोष की बात है कि माननीय मंत्री जी ने अब इस विद्युत परिषद के अध्यक्ष और सेक्रेटरी के पद पर चीफ इंजीनियर को नियुक्त किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट में भी इसी तरह की सिफारिश यह भी थी और यह कार्य उसी सिफारिश के अनुरूप हुआ है। यह खुशी की बात है। उस रिपोर्ट में यह भी एक सिफारिश थी कि जितने भी कारपोरेशन्स बनाये जायें उन में इन पदों पर सेक्रेटरीज को नहीं रखा जाना चाहिये।

मान्यवर, इन्डियन इलैक्ट्रीसिटी ऐक्ट की धारा 59 में यह भी लिखा है कि राज्य विद्युत परिषद् को ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाना चाहिये जिससे उसको नुकसान हो। जब सेक्रेटरी ही उसका चेयरमैन हो और सेक्रेटरी ही बोर्ड में अधिक संख्या में हो तो निश्चय ही परिषद् के कामों में शासन का हस्तक्षेप होता है।

मान्यवर, हिन्डालको और कैमिकल्स के बारे में चर्चा हो रही थी उनके माध्यम से जो 3–4 करोड़ की प्रतिवर्ष हानि होती रही, वह स्थिति बहुत ही असन्तोषप्रद है और इसको हल करने का प्रयास करना चाहिये। जो हमारी प्रतिनिहित विधायन समिति थी, उसकी फाइंडिंग है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय सदस्य से। अभी आपने कहा कि यह जो 3–4 करोड़ का लास हुआ, वह विद्युत परिषद की गल्ती से हुआ, लेकिन मेरा कहना है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। जो अब तक कानून नहीं बनाया कि जो कानून है उसको अवैध ठहराया जा सके।

श्री शिवराज सिंह—

मैं यादव जी से अनुरोध करूंगा कि जब उनका समय आवे तो वह अपनी बात कहें तो मैं कह रहा था कि प्रतिनिहित विधायन समिति की जो फाइंडिंग थी, उसको राज्य विद्युत परिषद् ने स्वीकार कर लिया है और उसने माना है कि इन अनुबन्धोंकी वजह से 100 करोड़ रुपये की हानि होने की सम्भावना विद्युत परिषद को है। इनका जो वार्षिक वित्तीय विवरण, 73–74 का है उसके पृष्ठ 20 पर यह दिया हुआ है, उन्होंने स्पष्ट रुप से हमारी प्रतिनिहित विधायन समिति के फाइंडिंग्स को इस सम्बन्ध में स्वीकार किया है। राज्य विद्युत परिषद् को धारा 69 का उल्लंघन करने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य विद्युत परिषद को इस प्रकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। इसलिये कनोरिया और हिण्डालकों को जो सस्ते दर पर बिजली दी जा रही है, उसकी सरकार पूर्ति करे अन्यथा और कोई वह व्यवस्था करे, जो प्रतिनिहित विधायन समिति ने अपनी सिफारिशों में सुझाई है, जिससे राज्य विद्युत परिषद् को इतने भारी भारी नुकसानों से बचाया जा सके।

इसी तरह से इस राज्य में 16 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनियां हैं और 12 नगर इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग्स हैं। जब राज्य में एक सी योजना बनाई गई है, एक सा कार्यक्रम समान विकास के लिए निर्धारित किया गया है इन प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी कम्पनियों और इन नगर पालिका अंडरटेकिंग्स, जिनकी संख्या क्रमशः 16 और 12 है, के अस्तित्व का क्या औचित्य है। मैं विद्युत मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों प्रकार के संस्थानों का भी शासन शीघ्र अधिग्रहण कर ले और इन्हें भी राज्य विद्युत परिषद को सौंप दे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट की धारा 49 में लिखा हुआ है कि बोर्ड अपने कंज्यूमर्स के सम्बन्ध में अन्ड्यू फेवर ट तय करते समय किसी के साथ नहीं दिखाएगा। किन्तु मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस भावना के विपरीत क्या यह सही नहीं है कि इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर कारपोरेशन के अन्दर 21 नये पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली ी जाती है, जबकि अन्य शहरों में यह 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जाती है? मान्यवर, यह भेद भाव क्यों है? किसानों के साथ भी न्याय नहीं किया जाता है। उनको बिजली 120 पैसे प्रति यनिट पर दी जाती जाती है, जबकि हैवी इंडस्ट्रीज को प्रथम 170 यूनिट पर सवा 9 पैसे की दर से दी जाती है, उसके ऊपर 7.55 पैसे यूनिट और उसके ऊपर 7.75 पैस यनिट पर दी जाती है तो देखने की बात यह है कि उद्योगों को बिजली पौने सात पैसे और किसानों को बिजली 20 पैसे के दर पर दी जाती है, यह असमानता यह भेदभाव क्यों है, यह वह अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिस ऐक्ट का मैंने पहले हवाला दिया, उसके अनुसार केवल लाइसेंसी से टू-पार्ट टेरिफ, ग्रेड टैरिफ लिया जायेगा, लेकिन यहां टू-पार्ट टैरिफ कंज्यूमर्स से वसूल किया जा रहा से है। उसको इस तरह से लेने का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह से आज काश्तकारों 3 रुपया प्रति हार्स पावर लिया जा रहा है। रनिंग चार्ज 20 नये पैसे प्रति यूनिट लिया जा रहा है। माननीय प्रतिनिहित विधायन समिति ने इस प्रश्न को जांचा। और विधि परामर्श से राय ली। विधि परामर्श का यह मशविरा मिलता है कि इस प्रकार किसानों पर, भी टू-पार्ट टैरिफ लादने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि राज्य विधि परामर्श की राय यह है कि टू पार्ट टैरिफ समाप्त करना चाहिए। फिक्स्ड चार्ज जो किसानों से ले रहे हैं इसको समाप्त कर दें और रनिंग चार्ज को किसी तरह से एडजस्ट कर लें। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि किसानों को एक पासबुक दे दी जाय। उसके अन्दर बिजली के जो देय चार्जेज हों बोर्ड के वह अंकित कर दिये जायां, जितना रुपया वह दे दें वह लिखा दिया जाय और शेष रहें वहभी अंकित हो जाया करे। इससे किसानों के पास निश्चित रूप से विभाग स जितनी लेनदेन है उसकी तसदीक गरहे।

एक बात और कहना चाहता हूं। और यह वह है। मुझे आपत्ति यह है कि हिंडालको और कनोरिया केमिकल्स क साथ जो इकरारनामा हुआ उसके अन्दर निश्चित रूप से यह

प्राविधान है कि जब कभी सूखा के कारण या लड़ाई के कारण या दूसरी विपत्तियों के कारण बिजली का उत्पादन कम होगा तो उनकी बिजली प्रोरेटा घट जायगी। गत वर्षों में ऐसी अवस्था आयी कि ऐसे वर्षों में बिजली घटाने का प्रयत्न किया जाय। विद्युत् परिषद् से आर्डर्स किये गये लेकिन वह केवल निर्देशन तक महदूद थे। उन यूनिट्स को डाइरेक्शन दिया कि अपनी बिजली कम कर दो यद्यपि टेकनिकली या मैकेनिकली कोई इंतजाम नहीं किया गया जिसके माध्यम से उससे अधिक बिजली मिलने की सम्भावना न रहती। जब उन्होंने कमी नहीं किया बल्कि डाइरेक्शन के होते हुए भी उन्होंने बिजली ज्यादा खर्च की तो उन्होंने अधिभार लगाया। परन्तु खेद की बात है कि कनोरिया केमिकल्स जो छोटी यूनिट है उस पर इस प्रकार का अधिभार 40 लाख के लगभग आज भी शेष है। हिंडालको अधिभार करोड़ों में होगा ऐसा मेरा अनुमान है। भविष्य में जब बिजली की कटौती की जाय तो उनके स्व-विवेक पर छोड़ना उचित नहीं है। भविष्य में जब निश्चित रूप से कटौती की जाय तो मेकैनिकली की जाय और जिस प्रकार काश्तकारों से एरियर्स लैण्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल किये जाते हैं, बड़े उद्योगपति से भी जिन पर बड़ी बड़ी रकमें बकाया है, उनसे भी लैण्ड रेवेन्यू की तरह से वसूली की जानी चाहिए।

राज्य विद्युत् परिषद् को जो कर्जा सरकार देती है उस पर ब्याज ज्यादा चार्ज करती है। जिस ब्याज पर शासन को ऋण प्राप्त होता है उसी ब्याज पर वह ऋण विद्युत परिषद् को दिया जाना चाहिये।

गत वर्ष की सबसे बड़ी घटनाओं में एक घटना यह है कि राज्य विद्युत् परिषद् के इंजीनियर्स न स्ट्राइक किया। यह बड़े दुख की बात थी। इसलिए भी यह दुख की बात है कि स्ट्राइक उस वक्त हुई थी जब कि गेहूं की फसल अपने क्राउन रूट स्टेज पर थी, जब कि पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक ऐसे साल के हिस्से में जब कि राष्ट्र के लिए खाद्यान्न का उत्पादन राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न था उस वक्त उनकी सेवाओं की जरूरत थी, उस वक्त स्ट्राइक हुआ, इस बात का मुझे बहुत खेद है। प्रश्न यह है कि इस तरह के स्ट्राइक को रोकने के लिए क्या प्राविधान किया जाय। इस सम्बन्ध में प्रतिनिहित विधायन समिति अपनी एक रिपोर्ट दे चुकी है। राज्य की विभिन्न सेवाओं में आज स्ट्राइक होने का कारण क्या है? कारण केवल यह है कि इस विधान मंडल पर राज्य सेवाओं से संबंधित जो कानून बनाने का उत्तरदायित्व है उसको उसने नहीं निबाहा है। मैं संविधान के अनुच्छेद 309 को पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार से है। "इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समुचित विधान मंडल के अधिनियम संघ या राज्य के कार्यों से संबद्ध लोक सेवाओं और पदों के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेंगे।" आवश्यकता इस बात की है कि राजकीय सेवाओं से सम्बन्धित उनकी भर्ती की शर्तों तथा उनकी सेवाओं से संबंधित राज्य विधान मंडल निश्चित कानून तथा उसके अन्तर्गत नियम बनाये और उसके खिलाफ जो भी व्यक्ति डिसएफक्शन फैलायेगा उसको सजा मिलेगी। अंग्रेजी शासन काल में एक एक्ट था इंस्ट्रूमेंट टु डिसएफेक्शन पुलिस ऐक्ट, 1922, इसके अन्तर्गत पुलिस के अन्दर अगर कोई भी व्यक्ति डिसफेक्शन फैलायेगा तो दण्ड का भागी होता था। आज परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गयी हैं कि विधान मंडल राज्य की सभी सेवाओं से संबंधित उनकी भर्ती व सेवा संबंधी कानून तथा नियम बनाये जिससे राज्य की सेवाओं पर समुचित रूप से तथा समान रूप से नियंत्रण हो सके अन्यथा जो इंफेक्शन राज्य विद्युत् परिषद् से फैला है वह सभी विभागों में फैल जायगा और इससे राज्य को बड़ी क्षति उठानी होगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

जनाब स्पीकर साहब, भाई कल्याण सिंह ने जो कटमोशन पेश किया है मैं उसकी ताईद करता हूं। जानबेवाला, बिजली हमारे प्रदेश तथा देश के जन जीवन के लिये निहायत जरूरी चीज है। उसकी जरूरत यों तो और जगह बहुत आती है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत उसकी हमारी खेती के लिये है। मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बजट को पेश करने पर मुबारकबाद देता अगर मैं यह देखता कि इसमें किसानों को राहत देने के लिये उन्होंने कुछ इन्तजाम किया है और किसान मेहनत मशक्कत करके जो खेती करता है, अनाज पैदा करता है उससे उसको सहूलियत दस्तयाब होगी। लेकिन अफसोस यह है कि माननीय मंत्री जी ने उस तरफ कोई ध्यान कतई नहीं दिया। बरअक्स में देखता हूं कि बिजली बड़े बड़े सेठों को दी जा रही है। किस भाव पर दी जा रही है इसका उदाहरण अभी दिया जा चुका है कि हिन्डालको तथा कनोडिया केमिकल्स को दो पैसे से कम प्रति यूनिट पर वह दी जा रही है जबकि आज उसकी पैदावार लागत 12 पैसे से अधिक होगी।

सन् 60 में यह मुआहिदे किये गये थे और जैसा हमारे भाई शिव राज सिंह ने कहा कि वह मुआहिदे खत्म किये जा सकते है लेकिन वे नहीं किये जा रहे हैं। क्यों नहीं किये जा रहे है इसलिये कि कल पैसे की जरूरत होगी तो साहूकार ही काम आयेंगे। किसान के काम में नहीं आयेगी इसलिये उसको गैरजरूरी समझ कर कोई तवज्जह नहीं दी गई। यही नहीं, श्रीमन्, आप बिजली की दरों को देखें। दूसरे लोगों को जो बिजली दी जा रही है वह किसान को दी जाने वाली बिजली के तीन गुने से भी ज्यादा है। रबर फैक्टरी की दरों को आप देखें तो उन्हें भी तीन गुने से ज्यादा बिजली किसानों से दी जा रही है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि आखिर यह सरकार उनके बारे में क्या जजबात पैदा करना चाहती है। देश की उन्नति के लिये किसान ठहरा, पैदावार बढ़ाने के लिये किसान ठहरा तो दूसरी तरफ सेठ साहूकारों से पैसा पैदा करने के लिये और उस पैसे का इस तरह से इस्तेमाल करने से मैं तो यही अन्दाजा लगा सकता हूं कि इसमें कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट है।

श्रीमन्, मेरी बात को सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि सन् 1962-63 से लेकर आज तक जो बड़े-बड़े उद्योगपति, जैसे बिड़ला ब्रादर्स है, इनकी वजह से हमको 20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। खुदा जाने, मंत्री जी की समझ में कब तक यह बात आये और कब तक ये मुंह मोड़ते रहेंगे। अब तक जो व्यक्ति श्री आर० के० त्रिवेदी, इस विद्युत् बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने एक रिपोर्ट में लिखा है, जिसे कि मैंने अखबारों में पढ़ा है, उसे मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उसे सुनकर आप अचम्भे में पड़ जायेंगे। उन्होंने लिखा है कि इस बोर्ड में जिसको कि अभी केवल 12 साल ही हुये है उसमें 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की मशीन बेकार पड़ी हुई हैं और 10 लाख रुपये से ज्यादे का सामना गायब है। आज तक उसकी जांच नहीं की गई, आडिट करने की कार्यवाही नहीं की गई। हमारी सरकार के पास कोई भी सहारा, कोई भी सूरत और कोई भी कानून नहीं है कि वह इसे रोके। कहते हैं वह एक आटोनामस बाडी है। मेरा अन्दाज है कि वह बोर्ड आपके अख्तियार से बाहर है। मेरी आवाज सदायेसहारा है। चूंकि मेरा फर्ज है इसीलिये मैं कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे यहां बिजली की कमी है जो कि यह सरकार हमारी जरूरियात को पूरा नहीं कर रही है। 40 फीसदी की कटौती हो रही है। यह सरकार हमदर्दी की सरकार कही जाती है। किसानों के लिये तो 75 प्रतिशत बिजली में कटौती हो रही है। उनका यह तज्करा है कि गेहूं बोने के समय पानी देने केलिये उन्हें बिजली नहीं मिलती, खेतों को सींचने के लिये पानी नहीं मिलता जिसकी वजह से हम फसल की सिंचाई नहीं कर सके। जब बारिश हुई, पानी मिल गया तब हमारी फसलें तैयार हुईं और तब तैयार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई जब अन्य जगहों की फसल कट चुकी थी। अब आप रात में बिजली दे रहे हैं। आप यह बतायें कि हम कैसे थेशर को चलायें कैसे खेती करेंगे। इस बात का जिक्र मंत्री जी ने अपने भाषण में भी नहीं किया है और न कोई संकेत ही किया है। अगर आप आइन्दा इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो खुशहाली नहीं आ सकती है और हम यह कहने पर मजबूर होंगे कि हमारी फसल हमें नहीं मिली, हमारा गल्ला हमको नहीं मिला और जब यह नहीं हो पायेगा तो हमारा प्रदेश भूखों मरेगा जैसा कि पड़ोसी प्रदेशों की हालत है वैसी ही हालत हो जायेगी। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि चाहे आप एयर कन्डीशंड कोठियों में रहना बन्द कर दें लेकिन किसी भी सूरत में किसान को 18 घंटे से कम बिजली न दी जाय। चाहे कहीं कितनी ही कटौती करनी पड़े, चाहे सीमेंट फैक्टरी में कटौती करनी पड़े, चाहे रबर फैक्टरी में कटौती करनी पड़े, चाहे कहीं कुछ भी करना पड़े लेकिन किसानों को बिजली देने में कटौती न की जाय और जो कटौती की जा रही है उसे रोका जाय। जैसे आलू को ही ले लें। आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अगर कोल्ड स्टोरेज के लिये भी बिजली की कटौती रहेगी तो आलू सुरक्षित नहीं रह पायेंगा और कल जब बोने का वक्त आयेगा तो आलू का बीज भी नहीं मिल पायेगा। तो चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, कोल्ड स्टोरेज के लिये आप बिजली अवश्य दें जिससे हमारा आलू का बीज सुरक्षित रह सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि अगर पहले से इन्तजाम होता तो बिजली का इतना संकट न होता। मैं माननीय मंत्री जी को सुनाना चाहता हूं लेकिन वे सुन नहीं रहे हैं। एक राम गंगा प्रोजेक्ट बना है जिसे जून, 71 तक तैयार हो जाना चाहिये था लेकिन हमारी सुस्ती के कारण वह नहीं बन पाया। फिर कहा गया कि जून, 75 तक जरूर तैयार हो जायेगा और अब कहा गया कि मार्च, 73 तक तैयार हो जायेगा लेकिन अफसोस है कि करोड़ों रुपये की योजना जिसका काम शुरू हुए वर्षों हुए मार्च, 73 तक भी पूरा नहीं हो पायेगा और मुझे अन्देशा है कि शायद 4–6 साल और लग जायेगा और अगर सरकार की तवज्जह यही रही तो वह पूरा नहीं हो पायेगा। अजीब हैरत होती है कि वहां के लोग चाहते हैं, वहां के कर्मचारी चाहते हैं कि हम इस योजना को जल्दी तैयार करके बिजली के उत्पादन को बढ़ा दें यदि उनकी डिमांड को मान लिया जाय। वे कहते हैं कि हम छुट्टी भी नहीं लेंगे अगर उनकी छुट्टी के बदले में तनख्वाह कैश में मिल जाय। अगर हमारी सरकार इस तरफ तवज्जह करे और उनकी इस डिमांड को मान ले तो जो काम दो साल में होने वाला है उसी को वे आधे साल में पूरा करके दे देंगे। मालूम नहीं सरकार की अक्ल में यह बात क्यों नहीं आती है। यह मामूली अल्फाज अगर माननीय मंत्री जी सुन कर इस तरफ तवज्जह करें तो एक बहुत बड़ी बात हल हो जायगी।

उपाध्यक्ष जी हमारे यहां यू० पी० में बहुत जगह 12–14 लाइसेंसी कम्पनीज हैं जो उपभोक्ता को बिजली देती हैं। एक अजीब बात है कि उनको कम पैसे पर बिजली दी जाती है और वे उपभोक्ताओं को ड्योढ़े और दुगुने पैसे लेकर बिजली देती है और हमारी सरकार देखती रहती है कि बीच की वे कम्पनियां उपभोक्ता को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाती हैं। बीच से ये कम्पनियां हट जायं तो उपभोक्ताओं को फायदा पहुंच सकता है।

सुना था राज कर्मचारियों ने हड़ताल की, लेखपालों ने हड़ताल की लेकिन कभी मालूम नहीं था, कभी गुमान नहीं था, कभी यह खयाल नहीं था कि वे पढ़े लिखे लोग जो गजटेड आफिसर हैं और बाज बाज की तनख्वाह हजार-हजार रुपये है, 500 रुपये से कम तो किसी

[श्री शफीक अहमद खां]—

की है ही नहीं, जो कोट और पतलून पहनते हैं और लंच टाइम पर लंच करते हैं और जिन्होंने ऊंची से ऊंची टेक्निकल एजूकेशन हासिल की है उन्होंने जनवरी, 16 से जनवरी, 24, 1973 तक हड़ताल की जिसकी वजह से हमारे उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा और वह नुकसान किस तरह से पहुंचा। अगर उनका मुतालबा जायज नहीं था, नाजायज था तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ऐसे नाजायज मुतालबे को जिससे नेशन को और हमारे प्रदेश को नुकसान पहुंचा हमारी सरकार ने क्यों मान लिया? हर बात आपने मान ली। क्यों मान ली? अगर मान लेने के काबिल थी तो मैं आपके जरिये से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या हुई कि उस वक्त उनकी बात क्यों नहीं मानी गई जब वह अपनी मांग पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जायेंगी तो हम हड़ताल कर देंगे। इस पर गौर फरमाइये और हमको मुतमईयन कर दीजिये। इस की पूरी जिम्मेदारी इस बहरी और गूंगी सरकार की है। उनकी बात न मानने से हमारे प्रदेश को दो करोड़ रुपये का घाटा पहुंचा दिया।

मैं आपके जरिये मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब कोई मांग लेकर आपके पास आये, चाहे वह बुनकर की तहरीक हो या किसी की तहरीक हो, आप एक लिमिटेशन कर दीजिये कि इतने आदमी जब जेलखाने जायंगे, इतने आदमी जब मर जायेंगे, या इतना सरकारी नुकसान कर दिया जायेगा तब तुम्हारी बात हम मान लेंगे। एक लिमिटेशन कर दीजिये, एक हद मुकर्रर कर दीजिये कि इतना सरकारी नुकसान करने के बाद तुम्हारी बात मान ली जायेगी। इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस रफ्तार से बिजली की लाइनें बिछाई जा रही हैं पता नहीं क्यों बिछाई जा रही हैं, इसलिये बिछाई जा रही हैं कि इलेक्शन आ रहा है, मंत्री जी अपनी कांस्टीटुयेंसी में तशरीफ ले जायंगे और लोगों से कहेंगे कि हमने इतनी बिजली की लाइनें बिछा दी हैं, आप लोगों को बिजली मिल जायेगी, लेकिन जब आपके पास बिजली है ही नहीं तो आप यह सब करके क्या करेंगे? कहां से लोगों को बिजली देंगे? आज कल कोल्ड स्टोरेज और किसानों के पम्पिंग सैट्स तक को तो बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो फिर यह क्यों कर रहे हैं? क्यों प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? आपको इस सब को रोक देना चाहिये। आपको साफ कहना चाहिये कि हम मजबूर हैं। हमारे पास बिजली नहीं है। जब बिजली हमारे पास हो जायेगी तो नई लाइनें बिछा दी जायेंगी। आपको धोखा नहीं देना चाहिये।

मेरी आपके जरिये मंत्री जी से दरख्वास्त है कि आपके महकमे में लाइनमैन, लाइन इन्सपेक्टर और इंजीनियर वर्षों से चले आ रहे हैं और उनका तबादला नहीं हो रहा है। आप उनका तबादला कर दीजिये। जब आप ही तबादला नहीं कर पायेंगे तो कौन करेंगे। मैं एक मिसाल देकर बताता हूं कि मेरे क्षेत्र में धोखा देकर 6 महीने से बिजली जल रही है। एल9 आई0 ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को धोखा दिया होगा। मुझसे आपने फरमाया था कि आप उसकी बाजपुर्स करेंगे। मैं आपके जरिये मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह मेरी हैसियत और मंत्री जी की हैसियत को ठोकर मारता है। राजेन्द्र सिंह उसका नाम है। वह कहता है कि मुझे कोई नहीं हटा सकता है। मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है और मैं इसमें मंत्री जी की तौहीन महसूस करता हूं। आप रात के 12 बजे तशरीफ ले गये और मुझसे आपने कहा कि आप बाजपुर्स करेंगे। लेकिन आप क्या बाजपुर्स करेंगे? हम किस में हैं पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। एम0 एल0 ए0 शिकायत करते फिरें लेकिन मंत्री जी भी उसका तबादला नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। वाकई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक आटोनोमस बाडी है और उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। मैं तो महज बोलने के लिये खड़ा हो गया हूं। बदकिस्मती से मेरी आवाज जंगल में बारिश करने के मानिन्द होगी और उसका कोई असर नहीं होगा।

इसके अलावा मैं सेल्स टैक्स के बारे में कहूंगा। मैं आपको यकीन दिला दूं कि सेल्स टैक्स की एसी रेवन्यू है अगर उसे इस सूबे में इमानदारी से वसूल किया जाय, विभाग के कर्मचारी और अफसर ईमानदारी से काम करें तो मौजूदा स्टेट की रेवेन्यू उससे दुगुनी हो जायगी। दो किस्म के खाते लोग रखते हैं और इस्पेक्टर सेल्स टैक्स के और वहां के अफसर और अहलकार सब मिल कर नम्बर 2 के काम को कराते हैं जिससे टैक्स की चोरी होती है। बिलखसूस ईटों के भट्टे वाले कभी सही हिसाब नहीं रखते कि कितनी ईंट तैयार हुई कितने की बिकी और क्या मुनाफा हुआ, उनके कागजात को कोई नहीं पकड़ता, जबकि उनका पकड़ना बहुत ही आसान है। देहातों में माल के साथ ईट की पर्ची दी जाती है, आसानी से वहां से वह पर्चियां इकट्ठी करके उनके बिक्री के हसाब को पकड़ा जा सकता है और अगर उन्होंने हिसाब में वह बिक्री नहीं लिखी है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है लेकिन सब को मालूम है कि कोई पकड़ नहीं होती और वह न0 2 का व्यापार जारी किये हुये ह। नीचे से ऊपर तक विभाग में रिश्वत चल रही है। वही हिसाब है कि जब काबे से ही कुफ्र उठा तो फिर मुसलमानी कहां रहेगी। अब मैं पूंछता हूं कि 31 मार्च, सन् 72 तक कितना सेल्स टैक्स बाकी है तो बताया जाता है कि 42 लाख का रुपया बाकी है। किसान के ऊपर अगर 42 पैसे भी बाकी रह जाते हैं तो उसे जेलखाने भेजा जाता है लेकिन यह सेठ साहूकारों का मामला है तो वसूली नहीं की जाती। न मालूम कितना पैसा माफ हो गया है। जो मंत्री महोदय के हरदिल अजीज और चाहने वाले होंगे उनका माफ भी हो गया होगा, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि कितना माफ हो गया। इन शब्दों के साथ मैं इन कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने हमें इस विवाद में भाग लेने का अवसर दिया। माननीय विद्युत मंत्री जी ने अनुदान संख्या 4, 53, 7 आदि जो सदन में प्रस्तुत किये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। आजकल बिजली की बड़ी कमी है, मैं इस संबंध में 2–4 सुझाव दूंगा। पिछले साल भी लोक लेखा समिति के कुछ अनुभव मैंने सदन में रखे थे परन्तु खेद है कि जो सही तथ्य यहां प्रस्तुत किये गये उनके संबध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमें यह नहीं मालूम हुआ कि जो त्रुटियां पकड़ी गई थीं उन पर कोई कार्यवाही हुई या नहीं। जब विद्युत परिषद् का गठन हुआ और उसके मेम्बरों का चयन हुआ तो विद्युत् ऐक्ट में जो क्वालिफिकेशन्स का प्राविधान था जैसे चेयरमैन वह हो जिसे कामर्शियल अनुभव हो और मेम्बर वह ही हो जिसे टेक्निकल जानकारी हो, उसी आधार पर वह चयन उस समय हुआ। आरम्भ में ही श्री श्रीपति जी, आई0 ए0 एस0 को रखा गया, उनके जमाने में भी काफी घाटा हुआ। उसके बाद माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने श्री एस0 एन0 सिंह को एक टेक्निकल व्यक्ति मानकर नियुक्त किया लेकिन उनके काल में भी घाटा हुआ और इस सदन में भी उनके विषय में काफी घोटाले की चर्चा चली और फिर उन को भी हटाया गया। उसके बाद श्री आर0 के0 त्रिवेदी आई0 ए0 एस0 चेयरमैन बने जो हर तरह के वित्त तथा नियमों के जानकार थे और वह 45 करोड़ के घाटे को 4 करोड़ तक ले आये। निश्चित रुप से श्री त्रिवेदी के अनुभव का प्रदेश को काफी लाभ मिला लेकिन उनके कार्यकाल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने हड़ताल की, इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर्स ने हड़ताल की, उनकी मांग थी कि आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 के अधिकारी बोर्ड में न रखे जायं। इसको मैं नहीं मानता। वह भी अनुभव के आधार पर काम करते हैं, उनका भी अनुभव और विवेक होत है। टैक्नीकल आदमी का भी विवेक होता है।

[श्री रामलाल भाई]

हमारे मुख्य अभियन्ता इस बोर्ड के सदस्य थे जो टैक्नीकल तजुर्बा रखते हैं, श्री आर० के० त्रिवेदी जी कामर्स का भी तजुर्बा रखते हैं क्योंकि काफी दिनों तक उन्होंने सरकार के वित्त विभाग में काम किया है । निश्चित रूप से उनके समय में बोर्ड में प्रगति हुयी लेकिन उन्होंने कुछ अनिमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने कुछ इन्जीनियर्स के विरुद्ध जांच करवायी, कुछ को सस्पेंड किया और इस पर सबने एक मत होकर हड़ताल का बहाना बनाया । हड़ताल के कारण भी बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी हुयी । रिहन्ड में इन्होंने फाटक तोड़ दिया जिससे नेवी के जवानों को बुलाया गया और उनके द्वारा जंजीर निकलवाकर फाटक लगाये गये जिससे जल का स्तर बहुत कम हो गया । आज इन्हीं कर्मचारियों के कारण बिजली के लिये हाहाकार मची है । परेशानी है । इस हड़ताल के दौरान जिन लोगों ने बिना खाये पिये कार्य किया उनके प्रयास से प्रदेश में 75 प्रतिशत तक जनरेशन होने लगा था । लखनऊ शहर में भी रोशनी हो गयी और सब जगहों में रोशनी मिलने लगी । अगर ये तत्पर नहीं होते तो बिल्कुल अन्धकार मय हो जाता लेकिन इन लोगों ने काफी संभालने की कोशिश की ।

इन्हीं दिनों विद्युत परिषद् के एक अधिकारी श्री टी० एन० मिश्रा हैं जिन्होंने अकेले लखनऊ का कार्य भार संभाले रखा, और बिना खाये पिये काम पर डटे रहे । इन्जीनियर्स एसोशिएशन के एक पदाधिकारी श्री भूपाल सिंह जी हैं, जिनके खिलाफ पिछली लोक लेखा समिति ने लाखों रूपये की अनियमितताओं के सम्बन्ध में चार्ज लगाया था कि उन्होंने अनियमित ढंग से लाखों रुपये का सामान खरीदा, इसकी जानकारी के लिये माननीय मंत्री जी को लिखित रिपोर्ट भी दी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी । जिन मिश्रा जी का मैंने अभी जिक्र किया कि वे लखनऊ में अपनी ड्यूटी पर बिना खाये पिये डटे रहे, सुना है उनकी बर्खास्तगी का उन्हें नोटिस दिया गया और उस नोटिस को उनके मकान पर चस्पां कर दिया । ऐसी परिस्थिति में विदाई के समय यदि कोई साधारण जानवर भी काम करता है तो उसकी भी पूजा होती है । न पूजा, न पुरस्कार, उनकी रोजी रोटी भी छीनी जा रही है । उनको नोटिस दिया जा रहा है । और कहा जा रहा है कि फरार हैं, इसलिये आपको सर्विस से बर्खास्त किया जा रहा है ।

इन्जीनियर्स की एक और मांग है कि उनके विरुद्ध जांच विजीलेन्स बोर्ड के द्वारा हो। बोर्ड के बारे में हमारे मंत्री जी कहते हैं कि बोर्ड एक आटोनोमस बाडी है, उनका उस पर कोई प्रभुत्व नहीं है ।

जहां तक उनकी आई० ए० एस० केडर के चेयरमैन के स्थान पर इंजीनियर की नियुक्ति की मांग का सम्बन्ध है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनकी इस मांग का कि विजीलेन्स बोर्ड के द्वारा हो, मैं समर्थक नहीं हूं । मैं निवेदन करूंगा कि जो भी विजीलेन्स का काम हो, वह सरकार द्वारा हो और उसकी रिपोर्ट वह सरकार को भेजे ताकि जिन अधिकारियों के काले कारनामें हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही हो सके । इस पर माननीय सभी सदस्य सहमत होंगे ।

लोक लेखा समिति में कोयले की बात प्रस्तुत हुयी, लाखों रुपये का कोयला खरीदा गया । हमने पूछा कि खराब कोयला क्यों खरीदा गया । उत्तर दिया गया कि खराब था पर मुनाफा से बेच दिया गया । एक रूपये टन के मुनाफे पर बेच दिया गया बिना लोडिंग और अनलोडिंग का खर्चा जोड़े । उदाहरण स्वरूप अगर वह 20 रुपये में खरीदा गया तो 21 रुपये में बेच दिया गया । नीचे की मशीनरी इतनी ठप्प है कि ये अपना अलग से प्रभुत्व जमाये रखते हैं 1967 में विरोधी दलों की जब सरकार थी, उस समय गलत ढंग से कनौडिया को 10 लाख रुपये माफ किया गया । हमने आपत्ति उठायी तो उत्तर मिला कि कैबिनेट द्वारा यह निर्णय लिया गया । मैंने कहा कि फाइल मंगाइये । उसमें देखा कि कैबिनेट का कोई डिसीजन

नहीं था । समिति को भी गुमराह करने की विभाग ने कोशिश की । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुनः उस फाइल को मंगा लें । 10 लाख जो कनौडिया जी को माफ किया गया है, उसका कोई औचित्य नहीं है । अधिकारियों ने मनमाने ढंग से काम किया है । मंत्री जी फाइल मंगाकर जांच करवा लें ।

बकाये के सम्बन्ध में, मान्यवर, विद्युत परिषद् में छोटे-छोटे उपभोक्ताओं को जब बिल आता है तो कुछ रिबेट का लालच भी दिया जाता है और ये तत्काल जमा कर देते हैं । लेकिन करोड़ों रुपये बड़े-बड़े उपभोक्ताओं पर बकाया है, उसकी वसूली के सम्बन्ध में क्या हो रहा है। करोड़ों रुपये पड़े हैं वसूली के लिये, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं देते । अगर छोटे उपभोक्ता के अगेंस्ट बकाया है, तो उसका कनेक्शन काट देते हैं और उससे हर वर्ग को काफी परेशानी होती है, मंत्री जी तक दौड़ते दौडते ये थक जाते हैं । कोई सुनवाई नहीं होती । एम0एल0ए0 को भी इन छोटे-छोटे केसेज के पीछे मंत्री जी तक दौड़ना पड़ता है । अतः जो नीचे की छोटी मशीनरी है, विद्युत परिषद् उनको निर्देश दे ताकि नियमों के अनुसार शीघ्र काम हो। स्वयं मंत्री जी ने अभी पत्रकारों को बिजली देने का आदेश कर दिया लेकिन शायद अभी तक उनको बिजली नहीं मिल सकी । मंत्री जी के बार-बार आदेशों के बावजूद भी वहां के कर्मचारी उनका पालन नहीं करते हैं । अधिकारी का अब यह रवैया है कि तनख्वाह न बढ़ी, तो उन लोगों ने हड़ताल कर दिया । जिन लोगों ने हड़ताल नहीं की, उनको मारा जा रहा है और जिन्होंने हड़ताल की, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है । यह अनुचित कार्य है ।

मान्यवर हमारे गोरखपुर में छोटे उद्योग हैं जो 3,4,माह कार्य कर के सामान तैयार करते हैं एक महीने के अंदर लगन के दौरान बचते हैं । उनको बिजली देने के लिये हमने मंत्री जी को लिखा । मंत्री जी ने लिख दिया कि सहानुभुति पूर्वक विचार करेंगे । हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन अभियन्ता को उस आदेश की कापी दिया । उन्होंने कहा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार तो हम भी कर रहे हैं, हम कहां कड़ाई कर रहे हैं ? तो जैसे कि किसानों की मांग थी कि उनको 24 घंटे बिजली दें, उसी तरह से इस उद्योग के लिये भी बिजली मिलनी चाहिये । किसानों को तो अवश्य ही 24 घंटा बिजली मिलनी चाहिये ।

मान्यवर, दूकानों के टाइम काफी बदल गये हैं । साढ़े छः बजे उनको बिजली देते हैं, जबकि वह दूकानों के बन्द करने का समय होता है, । इससे ग्राहक और दूकानदार दोनों को परेशानी होती है । जब बिजली आती है, तो दुकानें बंद हो जाती हैं । इसका समय बढ़ा दें । कम से कम 8 बजे तक दुकान खुली रहे ।

बकाये के सम्बन्ध में जो विद्युत परिषद् का ब्योरा है, उसमें 1967–68 में काफी बकाया रहा है । उसके बाद 69–70 में बकाया में वृद्धि हुई अब भी काफी बकाया नया हैं जो बकाया आता है, उसकी वसूली हो जाती है । मैंने पी0ए0सी0 में प्रश्न भी पूछे कि वर्ष–बार कितना-कितना बकाया है । लेकिन आंकड़े नहीं आये । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम इनकी वसूली तेजी से करायें । सौभाग्य से इस वर्ष कोई नया कर नहीं लगाया गया । लेकिन अगर बकाये की रकम की वसूली तेजी से हो, तो काफी प्रगति हो सकती है । हमारा विकास होगा । प्रदेश का विकास होगा ।

मान्यवर, आज किसानों को तो बिजली नहीं मिल रही है लेकिन शादियों में जहां कम पावर के बल्बों से काम चल सकता है, सैकड़ों ट्यूब लगाये जाते हैं । इसी तरह से हमारे गोरखपुर में सर्कस चल रहा है । उनको भी बिजली दी गयी है । सर्कस को क्या आवश्यकता है बिजली देने की ? जानवरों का तमाशा देखने की क्या जरूरत है ? कम से कम उन इन्सानों का जो

[श्री रामलाल भाई]

भूखे मर रहे हैं, तमाशा देख कर कुछ विचार करते ताकि जन-कल्याण होता। जानवरों के नाचने-कूदने से कोई काम होने वाला नहीं है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बिजली दी गई है उसमें नकली मीटर लगा दिया गया है जिससे हजारों युनिट की वह बचत करता है और बिजली के अधिकारी रोज सरकस आकर देख जाते हैं। मैं तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकस वाले को बिजली देने की क्या आवश्यकता थी? मैंने वह स्वयं देखा कि एक पुराना मीटर लगा दिया गया है जो कि काम नहीं कर रहा है। यही बिजली छोटे 2 उद्योगों को दिया जाना चाहिए।

अब मैं कुछ सेल्स टैक्स के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने सेल्स टैक्स की काफी वसूली की है तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। वह इसलिये भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपने यहां एक सेल भी कायम कर दिया है। लेकिन अपने अधिकारियों को थोड़ा आगाह कर दें कि छोटे-मोटे दूकानदारों को अकारण ही बन्द कर देते हैं, परेशान करते हैं वह न करें। मैं आपके माध्यम से लिखित रिपोर्ट दे रहा हूं, और अगर आज्ञा हो तो मैं उसे पढ़ कर सुना दूं—

"सेवा में सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी की बीड़ी सिगरेट इत्यादि की दूकान मुहल्ला साहबगंज में स्थित है। प्रार्थी सेल्स टैक्स बराबर अपने नाम से अदा करता है। दिनांक 5-3-73 को सेल्स टैक्स सहायक अफसर और नायब तहसीलदार साहब चपरासी सहित जीप से मेरी दूकान पर आये। वह राम लखन वल्द हीरालाल के नाम का वसूली प्रमाण-पत्र लिए थे।"

दूकानदार ने मना किया कि उसके पास कोई बकाया नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती 104.80 रुपये वसूल करके ले गये। वह बराबर चिल्लाता रहा, बकाया नहीं है, लेकिन कौन सुनता है। उसने यहां तक कहा कि आप कार्यालय से कन्फर्म कर लीजिये, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दुकानदार ने सेल्स टैक्स कार्यालय में निवेदन किया इसके बाद बिक्री-कर कार्यालय के यहां से एक पत्र आया—

"मेसर्स हीरालाल.....

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 8-3-73 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध 59-60 में केवल 32 रु0 की वसूली जारी की गई थी जो 59-60 को वसूल कर लिया गया था आपके विरुद्ध अन्य वसूली का प्रमाण-पत्र वर्ष 59 60 के लिये नहीं जारी किया गया है। जो वसूल प्रमाण पत्र पहले जारी किया गया था उसमें राम लखन का नाम नहीं लिखा गया था केवल हीरालाल बीड़ी मर्चेन्ट साहबगंज का नाम लिखा गया था।" अब आप के जिम्मे बकाया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका तो उपचार है। कोर्ट में दावा कर दें।

श्री राम लाल भाई—

लेकिन इसके बाद रिफन्ड करने का आश्वासन दिया गया। हमारे पास रसीद हैं। इसी तरह से एक पान वाला है। उसके यहां भीड़ होती है। एक दिन सेल्स टैक्स आफीसर उसकी दूकान पर आये और पान के लिये कहा तो उसने कहा बाबूजी इन सब को देने के बाद दूंगा। बस गुस्सा हो गये और कुछ हैवी एकाउन्ट का सेल्स टैक्स लगा दिये। उसने कहा भी कि नियमानुसार जो होता हो वह लीजिये, तो उन्होंने लाल-पीले होकर कहा कि 'खींच कर मारूंगा।' मेरे क्षेत्र का मामला है, इस तरह के मैं कई एक एक्जाम्पिल दे सकता हूं। इसी तरह से चौरा-चौरी में एक फर्म है जंगीराम जवाहर लाल, वहां भी सेल्स टैक्स आफीसर ने

मनमाने ढंग से 1968–69 और 70 का 1,40,000 टैक्स लगा दिया। जब मैंने कहा कि इसकी तो इतनी पूंजी ही नहीं है कैसे देगा, तो कहा कि जो मेरे जी में आयेगा करूंगा। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अपने अधिकारियों को आगाह कर दें कि अनावश्यक दूकानदारों को परेशान न करें।

इसी तरह से अपील में कई साल तक लटकाये रहते हैं। उनके कोर्ट की एक विचित्र स्थिति है। उनका कोर्ट साढ़े 3 बजे खुलता है और 8 बजे तक दूकानदार को फुरसत देते हैं। कभी कभी वापस कर देते हैं कि आज अब सुनवाई नहीं होगी। कम से कम जैसे सब आफिस दस बजे खुल जाते हैं और सारे हिन्दुस्तान में दस बजे कोर्ट भी खुलती है तो माननीय मंत्री जी कहें कि यह भी दस बजे तकलीफ किया करें। इतना ही नहीं इससे सरकार को भी नुकसान होता है। काफी केसेज दो चार रुपया लेकर पेंडिंग डाले रहते हैं।

अब मुझे बिक्री कर के बकाये के बारे में कुछ निवेदन करना है। मार्च, 1969 में कुल बकाया 45 करोड़ 87 लाख था और इसमें बिक्री कर का बकाया 23.65 करोड़ था। मार्च, 1970 में कुल बकाया 51 करोड़ 72 लाख तथा और इसमें बिक्री कर का बकाया 27 करोड़ 83 लाख था। मार्च, 1972 में 59.49 करोड़ बकाया था और इसमें 32.02 करोड़ बिक्री कर का आज तक बकाया है। समझ में नहीं आता कि सेल्स टैक्स का इतना बकाया क्यों रहता है जबकि यह पैसा ग्राहकों से वसूल किया जाता है। इसमें माननीय मंत्री जी क्यों ढिलाई करते हैं। 53, 54, 55, 56 से वह बकाया चला आ रहा है। अगर छोटे दुकानदारों पर बकाया होता है तो उनको घसीटना आसान है। लेकिन जिन बड़े बड़े दुकानदारों पर बकाया है उनको कोई नहीं देखता। छोटे दुकानदार को तो बन्द भी कर देते हैं। अगर वह दस पांच रुपया देकर निकल गया तो निकल गया नहीं तो दिन में यह लोग उसका स्वागत करते ही हैं और रात में मच्छर उसका स्वागत करते हैं। मैंने दो एक का जिक्र खुद माननीय मंत्री जी से भी किया था। मान्यवर, अब लोन की बात है। आपका कोआपरेटिव विभाग है। कृषि विभाग से खाद लेकर बांटने की बात थी। सन 59 से आज तक 20 करोड़ का खाद लेकर कोआपरेटिव विभाग बेच कर बैठा हुआ है। किसानों से उसका पैसा भी वसूल कर लिया। लेकिन कृषि विभाग का खाता साफ कोआपरेटिव ने साफ नहीं किया। जो 14 लाख का लोन कोआपरेटिव को दिया जा रहा है तो 20 करोड़ का लोन और देकर कृषि विभाग का खाता भी साफ कर देते। तो अच्छी बात होती। लेकिन क्या गोलमाल है इसका पता नहीं लगता आज तक कोई रिपोर्ट ही नहीं है कि बकाया के बारे में क्या कर रहे हैं। इसी तरह से फाइनेंस कारपोरेशन की हालत है। इससे जनता को फायदा हुआ है लेकिन छोटे लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। उन्हें कानपुर जाना पड़ता है और अगर किसी को पांच हजार रुपया प्राप्त है तो उसे पहले ढाई हजार खर्च करना पड़ता है। झांसी में उद्घाटन हुआ था तो मान्यवर 40 हजार रुपया उद्घाटन पर खर्च हुआ। जब हम समिति में बैठते हैं और संतुष्ट होना चाहते हैं तो अधिकारी लोग उत्तर देने के लिये तैयार होकर नहीं आते। माननीय मंत्री जी कम से कम इतना तो कह दें कि समिति के सम्मुख जो अधिकारी साक्ष्य के लिए आया करें तो तैयार होकर आया करें।

(श्री बंशीधर पांडेय के कुछ कहने पर)

श्री पांडेय जी की तरफ से मेहरबान सिंह जी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। वह बतलायेंगे। अधिकारियों से पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। इस माननीय सदन

[श्री रामलाल भाई]

द्वारा हम चाहते हैं कि साक्ष्य के संबंध में जो अधिकारी आएं,प्रश्नों का उत्तर न दे सकें,मगर समिति के सामने तो उत्तर दें। हम लोग भी सन्तुष्ट हो जाते, पर जब अधिकारी रिटायर हो जाते ह तो उत्तर आता है। विद्युत परिषद् का मामला पिछली बार लोक लेखा समिति में उठाया गया था। जबाव आया कि "सुपरवाइजर निकाल दिया गया, दरवाजे का चपरासी हटा दिया गया। बीसों लाख रुपये के ट्रासफार्मर चोरी चले गये और एक चपरासी को हटा दिया गया इनका सबसे बड़ा कार्य है कि 5 रु0 के चौकीदार को निकाल दिया गया। इस मशीनरी को भी ठीक करना होगा।

उपभोक्ताओं के मीटरों में काफी हेर फेर चल रहा है। जो एक बल्ब जलाता है उसको 35 रु0 देने पड़ते हैं और जो 10 जलाते हैं उनको 20 रु0 देने होते हैं। यह सब घोटाला है। इसकी छानबीन होनी चाहिए।

ताम्बे के तार की चोरी होती थी। अब अल्मूनियम के तार लगा रहे हैं। मैंने निवेदन किया था कि गोरखपुर जिले में कितने मीटर ताम्बे के तार को हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े कैसे मिलेंगे। अब तो और चोरी का मौका मिलेगा। जो तार उतारा जायेगा उसको तो बेच दिया जायेगा। कोई लेखा जोखा नहीं है। उलटफेर में आमदनी का साधन बना रखा है। ताम्बे के तार की चोरी, ट्रांसफार्मर की चोरी और बिजली की चोरी रोकी नहीं जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि त्रिवदी जी न बड़ी कोशिश की और विद्युत परिषद् का घाटा 4 करोड़ रह गया। निश्चित है उन्होंने सराहनीय कार्य किया। आई0 ए0 एस0 अधिकारी न रखे जाएं, बड़ी अच्छी बात है, टेक्निकल आदमी आ गये। पहले भी टेकनिकल आदमी थे। ऐसी बात नहीं है कि पहले टेक्निकल आदमी नहीं थे। यह भी अनुभव है। टेक्निकल आदमी विद्युत परिषद् के चैयरमैन बनाये गये हैं। दखते हैं हम लोग कितनी प्रगति होती है। इन शब्दों के साथ मैं विद्युत मंत्री जी क बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री मेहरबान सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

मुझे आपने छोड़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बाद में समय देंगे।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

मान्यवर, बिक्री-कर तथा विद्युत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये जो प्रस्ताव वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उस पर मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं और कुछ अपनी भावनाएं भी प्रकट करना चाहता हूं। श्रीमन्, हर साल विद्युत परिषद् में घाटा ही दिखलाया जा रहा है। अब की साल भी इसमें काफी घाटा दिखलाया गया है और कोई प्रगति आज तक इस विभाग न नहीं की है। बिजली की कमी होती जा रही है और घाटा बढ़ता ही जा रहा है। बड़े दुःख की बात है। साथ ही साथ इतना भारी आन्दोलन अभियन्ताओं ने शुरू किया। हम लोग सोचत थे कि विद्युत परिषद् कुछ प्रगति दिखलायेगा। एसा नहीं हुआ। अच्छा होता व इस तरह का आन्दोलन न करते और आई0 ए0 एस0 आफिसरों के खिलाफ लान्छन न लगाते। इससे पहले भी वहां पर टक्नोक्रेट्स थे और इन्जीनियर साहबान विद्युत परिषद् क चेयरमैन रहे। उस समय बहुत ज्यादा घाटा था जब श्री त्रिवेदी आई0 ए0 एस0 आफिसर ने चार्ज लिया था। पिछले डेढ़-दो सालों के अन्दर उनके समय काफी प्रगति

दिखलायी गयी । अभी लोक लेखा समिति में बहुत से आफिसरान आये थे––इंजीनियर साहेबान भी थे और श्री त्रिवेदी जी भी थे । श्री राम लाल भाई ने भी बतलाया । हमें पता चला कि त्रिवेदी जी चेयरमैन के आने के पहले इस विभाग में कोई स्टोर की जांच नहीं की जाती थी । स्टोर्स में करोड़ों रूपये का माल मार्च में खरीदा जाता है अगर ऐसा था तो बड़ी ज्यादती की बात थी । त्रिवेदी जी का जब एवीडेन्स लिया गया तो उन्होंने कहा कि वह इसके रजिस्टर बनवा रहे हैं और एक दो साल में वह पूरे हो जावेंगे ।

श्री नेत राम सिंह––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हाउस में कोरम नहीं है और बिजली सम्बन्धी कोई मन्त्री भी नहीं है ।

श्री मेहरबान सिंह––

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह से और विभाग आन्दोलन करेंगे जैसा कि इस वर्ष अभियन्ताओं द्वारा किया गया तो सरकार चलना मुश्किल हो जावेगा । इसको प्रोत्साहन न दिया जाय ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)––

कोरम नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)––

खुदा जाने बुलबल का क्या हाल होगा,
खिज़ां जाते-जाते, बहार आते-आते ।।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मेहरबान सिंह––

श्रीमन्, मेरा कहना है कि प्रशासन में कड़ाई से काम लीजिये ताकि सभी विभाग अपना-अपना काम ठीक से करें । सभी अधिकारी सादगी से रहने की कोशिश करें । जब आन्दोलन चल रहा था तो मैंने देखा कि अभियन्ता टेरीलीन का सूट पहने हुये थे और टाई लगाये हुये थे । जब लोग सादगी से नहीं रहेंगे तो तनख्वाह बढ़ाने की बात करेंगे । पर यह इन्फक्शन बढ़ता जावेगा और मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सरकार कोई न कोई कदम उठावे । पे कमीशन की रिपोर्ट आ गई है । मेरा ख्याल है कि उसको इस तरह से लागू करने की कोशिश की जाय कि आन्दोलन करने की नौबत न आवे । आज कम बिजली न मिलने से करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है । श्रीमन्, अब मैं अपने इलाके की विद्युत के सम्बन्ध में दो चार बातें कहना चाहता हूं । पिछले वर्ष मंत्री जी ने बीसों लाख ब्लाक में जाकर बिजली का उद्घाटन किया था । वहां स्पूंसी में मासी से हाइडिल से बिजली आनी थी । लेकिन उसको मासी से या और किसी ग्रिड से नहीं मिलाया गया केवल एक जनरेटर लगा दिया गया । वहां एक आध घंटे बिजली दी जाती है । जनता में काफी रोष है और यह मांग है कि उसे मासी से बाकायदा ग्रिड से मिलाया जाय साथ ही थैलीसैण तक लाइन ले जाने का पहले विचार था लेकिन अब 10 मील नीचे बैजराव तक ही ले गये हैं । मैं आशा करता हूं कि वह थैलीसैण तक लाइन ले जाने का कष्ट करेंगे ।

[श्री मेहरबान सिंह]

एक आवश्यक मांग चोंदकोट का है। वहां कृषि में बहुत कम उत्पादन होता है। वहां पर उद्योग-धंधे की बड़ी आवश्यकता है और बगैर बिजली के वहां पर कोई उद्योग-धंधा पनप नहीं सकता है। मंत्री जी उस इलाके में अवश्य बिजली देने का कष्ट करेंगे, यह मेरा आग्रह है। यही मांग नैनीडान्डा तथा पैजान विकास खंड की है।

श्रीमन्, अभी हाल में हिंडालकों के संबंध में कई बातें कही गयीं और चर्चा आयी है कि 1.99 पसे पर यूनिट पर बिजली दी गयी है। उनसे जो एग्रीमेंट किया गया है वह कई बार हाउस में आ चुका है और एग्रीमेंट सही है। यह भी कहा गया है कि देश पर कोई आपत्ति आये, जैसे पाकिस्तान या चायना से लड़ाई हुई, तो एग्रीमेंट बदला जा सकता था, लेकिन कार-पोरेशन के कर्मचारियों की गलती से वक्त पर पेश न होने की वजह से यह नहीं किया गया। अब भी अगर एग्रीमेंट नहीं बदला जा सकता तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो अल्मूनियम वह पदा करते हैं उसे बजाय बंगलौर भेजा जाय या विदेशों में भेजें, उसकी यू0 पी0 में ही एजेंसियां दकर छोटे-छोट बरतन बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जैसे कि मुरादाबाद में बरतन बनने के उद्योग धन्धे हैं। बैकवर्ड एरिया में अल्मूनियम शीट्स देकर ऐजेंसी खुलवाई जायं। पिछले वर्ष जब लोक-लेखा समिति हिंडालकों को देखने गयी तो पता चला कि 5 लाख रुपया रोज उनकी शुद्ध आमदनी है। मान्यवर, जिस कम्पनी की शुद्ध आमदनी 5 लाख रोज की ह उनको इतनी स ती बिजली मिले और काश्तकार को 9 आने पर यूनिट मिले यह कहां तक न्यायपूर्ण है? इसलिए मैं आशा करता हूं कि वहां से जो प्रोडक्शन होता है उसका उपयोग यू0 पी0 में ही किया जाय एजेंसियों के माध्यम से, जैसे कि चन्द्रभानु गुप्ता जी ने भी कहा था। खास कर बैकवर्ड एरिया में एल्युमूनियम के चादरों को देकर बरतन और कड़ाही इत्यादि जो काश्तकारों के काम में आती हैं बनवाई जायं। मैं सरकार से आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि सरकार अवश्य इस पर कुछ कार्यवाही करेगी।

श्रीमन्, आज बिजली के उत्पादन में जो कमी है वह हमारे इंजीनियर्स के कारण है। असल में बड़े बड़े डैम जो बनने थे वे स्नो-फेड नदियों पर बनने चाहिये थे। गरमियों में उन नदियों में पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि बरफ गल कर आ जाता है। अगर उन नदियों में डेम बनाये जाते तो बराबर बिजली मिलती और कभी भी उसकी कमी नहीं होती। अब 25 वर्ष बाद कुछ लोगों को पता चला है और टेहरी में एक डम बनने जा रहा है। लेकिन उसमें 2 साल से कोई प्रगति नहीं हो रही ह। मैं अनुरोध करूंगा कि इस डेम को जल्दी बनाने की कोशिश करें।

धन्यवाद।

एक सदस्य--

उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ की ओर से किसी को नहीं बोलने दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या इधर के लोगों को न बोलने दिया जाय? जो बार-बार इस तरह से कहता है उसका नम्बर कट जाता है।

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बिक्री कर, ब्याज वाले ऋण और अग्रिम का अनुदान पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सब से पहले मैं अपने माननीय मंत्री जी को उनकी कार्य कुशलता और दक्षता के लिये धन्यवाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना चाहता हूं। इस हाउस में बिक्री कर के बारे में कई प्रश्न उठाये गये कि किस तरह से बिक्री-कर के संसाधनों को बढ़ाया जाय। आपको जानकर हर्ष होगा कि जहां यह रकम 34 करोड़ आती थी हमारे मंत्री जी की कार्यकुशलता और विभागीय दक्षता के कारण यह रकम ठीक दूनी हो गयी है। अब 80 करोड़ हम बिक्री कर के द्वारा वसूल करने जा रहे हैं और उसको वसूल करने की मशीनरी भी तेज कर दी गयी है।

बकाया की बड़ी बात होती है। आप देखें कि बकाया में काफी ऐसा धन है जो विभिन्न कोर्ट्स के द्वारा रुका हुआ है। कोई भी सरकार कोर्ट्स के आर्डर के विपरीत वसूली नहीं कर सकती। लेकिन क्या हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह नहीं कहा कि 10—12 करोड़ रुपया बकाया में से वसूल करने जा रहे हैं। इसके लिये हमें उनकी प्रशंसा करनी ही चाहिये।

बेरोजगारी हटाने के लिये 50 लाख रुपया लघु उद्योग निगम को दिया है। जो हमारे नवयुवक और टेक्निकल परसोनेल बेकार हैं उनके लिये सरकार ने यह व्यवस्था की है। इसके लिये भी मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

जब हम बिजली के प्रश्न पर आते हैं तो आप देखें कि 2—3 वर्षों से किस तरह से चतुर्मुखी बिजली के विकास का कार्य किया गया है। पिछले साल विद्युत मंत्री ने 30 गांवों में विद्युतीकरण किया है। आज विरोधी दल आरोप लगाता है कि हरिजनों के लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन 25 हरिजन गांवों को बिजली दी जा चुकी है। हमारे मंत्री जी सरकार की नीति के अनुरुप अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको उनकी तारीफ करनी चाहिये। यही नहीं, ऐसे क्षेत्र जो दुर्भिक्ष से परेशान रहते हैं उनके लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बना दिया है। उसके द्वारा जो ब्लाक पिछड़े हुये हैं, जो सूखे से और दैवी आपदाओं से पीड़ित होते हैं उनमें 10—12 गांवों में बिजली देने की योजना बनायी है। यही नही बल्कि ऐसे इलाकों के लिये जैसे बुन्देलखंड, पहाड़ी क्षेत्र और वह इलाका जहां लाइन ले जाने में काफी खर्च होता है। माननीय मंत्री जी ने 15 प्रतिशत रिटर्न घटा कर 8 प्रतिशत कर दिया है। इससे गरीबों को राहत मिलने जा रही है। क्या हम इस कार्य की प्रशंसा किये बिना रह सकते हैं। यहीं नहीं, जहां चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1400 मैगावट बिजली पैदा करने का लक्ष्य था हम उससे भी आगे जा रहे हैं। क्या इस सदन को यह मालूम नहीं है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने केन्द्र से तथा अन्य प्रदेशों से लड़ाई लड़-लड़ के इस प्रदेश के लिये कई योजनायें स्वीकार करवायी हैं और अन्य प्रदेशों से अधिक बिजली लेने का प्रयास किया है? हमारी सरकार ने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये बराबर प्रयास किया है और उसके लिये हमें माननीय वित्त मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहिये।

जहां तक इस विद्युत परिषद् की आलोचना का प्रश्न है, आप आलोचना कीजिये, मगर जो वास्तविकता है उसे तो स्वीकार कीजिये। तामिलनाडू वगैरह अन्य राज्यों में जो बिजली दी जाती है उस पर सरकार सब्सीडी देती है। हमारे विद्युत परिषद् का कई करोड़ रुपया तो हर साल सूद में चला जाता है। उद्योगों वगैरह को भी जो सुविधायें हमारे यहां अन्य प्रदेशों के मुकाबले अधिक दे रखी हैं यदि उनको और इस सूद की रकम को जोड़ा जाय विद्युत परिषद् के मुनाफे में तो यह घाटा बहुत कम हो जायेगा। फिर इस घाटे को कम करने की दिशा में काफी योजनायें भी बनायी जा रही हैं। उस ओर तेजी से प्रयास जारी है। जो तरह तरह की योजनायें विद्युत परिषद् द्वारा बनायी जा रही हैं उससे निश्चय ही 1973—74 में 3—4 करोड़ का घाटा कम हो जायेगा।

[श्री राम प्यारे]

मान्यवर, अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमें अपने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिये। हमारे यहां कहीं भी बिजली ले जाने के लिये काफी दूर-दूर तक ट्रांसमीशन लाइन को ले जाना पड़ता है। इसके कारण भी बिजली बोर्ड को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। फिर किसानों की मिनिमम गारन्टी को भी हमारी सरकार ने खत्म कर दिया। ट्रांसफारमरों की चोरी का भी उत्तरदायित्व सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। क्या यह सब प्रयास सरकार के सराहनीय नहीं कहे जा सकते ? इस सब के लिये तो आपको माननीय विद्युत मंत्री को बधाई देना चाहिये थी।

यह कहा गया कि स्टोर में 5 करोड़ रुपये का माल पड़ा हुआ है। इसकी बड़ी आलोचना हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने की। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े विद्युत परिषद् के बजट में अगर यह 5 करोड़ का सामान स्टोर में है तो यह कितने परसेंट हुआ ? जहां रिहन्ड और टेहरी जैसी बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही हों वहां 5 करोड़ का सामान स्टोर में रखना कोई गलत बात नहीं कही जा सकती। ऐसी बात नहीं है कि कोई बिला जरूरत सामान खरीद लिया हो।

जहां तक बड़े-बड़े उद्योगों को बिजली देने की बात है, उसमें भी हमारी सरकार ने काफी दृढ़ता दिखाई है। किसानों को भी बिजली देने की कोशिश की गयी है और दी गयी है। इसको कोई राजनीति का प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं है। हिन्डालको की बड़ी चर्चा यहां की गयी। मैं नहीं समझता कि विरोध पक्ष का कोई भी सदस्य यह पसन्द नहीं करेगा कि उसके क्षेत्र में कोई उद्योग न लगाये जायं। सभी चाहेंगे कि उनके यहां नये-नये उद्योग स्थापित किये जायं। मैं केवल अच्छी बातों के लिए कहता हूं, खराब कामों के लिए नहीं, बुरे कामों के लिए मैं समय समय पर उनकी आलोचना किया करता हूं। मैं कोई रियायत नहीं चाहता किसी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इतना मैं अवश्य चाहता हूं कि अल्मूनियम फैक्टरी के लिए या इसी तरह की अन्य बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जो सुविधाएं दूसरे सूबों में दी जाती हैं, वे यहां भी अवश्य दी ज य। उन्हें बन्द करके आप उनके साथ अन्याय न करें। जो कम्युनिस्टों का प्रदेश केरल है वहां भी यहां से सस्ती बिजली दी जाती है। (व्यवधान) मैं तो माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि आप पूरी छानबीन करके देखिए कि नेशनलाइजेशन के उद्देश्य से किस तरह इसमें काम किया जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि एक आयोग बनाना चाहिए जो सारी बातों पर विचार करे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उधर से हिण्डालको के खिलाफ जो समय समय पर मांग उठाई जाती है उसमें सच्चाई यह है कि उनका पत्र आया है उसमें इन्हीं लोगों के सबसे ज्यादा हस्ताक्षर हैं। फिर पता नहीं वह कैसे यहां पर उनकी आलोचना करते हैं ?

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

हम लोगों ने देखा है कि आप उनके पक्ष में लोगों से हस्ताक्षर कराते यहां घूम रहे थे।

श्री राम प्यारे—

कानपुर की आपकी कांफ्रेंस में क्या हुआ था, यह हमें सब पता है। हम सब लोगों की पोल जानते हैं। उस कांफ्रेंस के लिए कहां से धन आया था यह हमको सब पता है। यहां पर किसी को समाजवाद विरोधी कहना आसान है, लेकिन अपनी नीतियों में परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है। आज कृषि साधनों को बढ़ाने के लिए ट्रांसमिशन लाईनों की जो गांव-गांव में आवश्यकता है, वह ट्रांसमीशन लाईन कैसे खींची जा सकती हैं जब तक कि हमारे पास पर्याप्त अल्मूनियम न हो। जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा है अपने भाषण में अल्मूनियम की बड़ी मांग ह, इसके लिए सेन्टर से उन पर दबाव पड़ रहा है, डिफेंस के लिए उसकी बड़ी मांग है। चौधरी चरण सिंह बड़ी बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब उनकी

थी तो क्या वह यह अनुबन्ध तोड़ नहीं सकते थे ? उस समय उन्होंने इन्हें क्यों नहीं तोड़ा । इससे स्पष्ट है कि वह यह ऊपर के मन से कह रह हैं । जब वह शासन में, सत्ता में रहते हैं तब तो कुछ करते नहीं है और फिर उधर जाने पर बातें बनाते हैं।

बड़े खेद की बात है कि हिण्डालको को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है । हिण्डालको के साथ कोई पक्षपात सरकार को नहीं करना चाहिये और नहीं किया गया है । हमारी सरकार ने कोई पक्षपात नहीं किया है, जो किया है, ठीक किया है और प्रदश के हित में किया है । मंत्री जी ने दृढ़ता के साथ कहा है कि जब तक किसानों को बिजली की जरूरत है, हमको उसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता बनी रहेगी । हिन्डालको को कोई आश्वासन सरकार की तरफ स दिया गया है तो हर हालत में उसको पूरा करना चाहिए । गुप्ता जी कह चुके हैं कि यह इंडस्ट्री गुजरात में जा रही थी, उसको किसी तरह स यहां लाया गया है । उस समय कुछ विशेष आश्वासन सरकार ने उसे दिये थे, तब वह वहां जाने से रूकी थी, अब उनकी पूर्ति अवश्य ही करनी चाहिए । अनेक विद्वानों का मत है कि कृषि पर से जब तक जनसंख्या का भार हटा कर उद्योग पर नहीं लाया जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा । इंग्लण्ड में आप देखें वहां पर कृषि पर भार का परसेंटेज बहुत कम है, वे इसलिए आगे बढ़े हैं । खास कर हिन्दुस्तान और अपने प्रदेश में जहां 85 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है, इंडस्ट्री का विकास करना बहुत आवश्यक है । जब अल्मूनियम का कारखाना बनेगा, बढ़ेगा तो अन्य छोटे-छोटे कारखाने स्थापित होंगे । इससे यहां से बेकारी और बेरोजगारी दूर होगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ऐसा आयोग सरकार बनाये जो तमाम बातों को देखे । 1959 में जो अनुबन्ध हुआ था । रिहन्द का 10 परसेंट लोड पर हुआ था । आज घाटा दिखाया जाता है जब एक ग्रिड में मिला दिया गया है । 1966-67 के बाद लास दिखाया जा रहा है । इसका कोई कारण होगा । इसकी छानबीन होनी चाहिए ।

मन्त्री जी ने कहा कि कृषि के लिये वरीयता देंगे और देते रहेंगे । लेकिन दुनिया का सिद्धांत है । कृषि बनाम उद्योगीकरण नहीं चल सकता है ।दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । तभी प्रदेश का विकास होगा । बिजली को बढ़ाने के लिये मन्त्री जी ने बहुत से सुझाव रखे हैं, 24-25 रखे हुए हैं । उससे विकास होगा । मन्त्री जी को इसके लिये धन्यवाद देना चाहिये । कोटा के पास सर्वे करवा रहे हैं । आप उस योजना को कार्यान्वित करें क्योंकि कोयला वहीं पर है । रिहन्द का पानी है । यही नहीं वहां पर जो और जिन सुविधाओं की टेक्निकल प्वाइंट आफ व्यु से जरूरत है वह उपलब्ध है । यदि रेणुसागर में बिजली की सुविधा पैदा की जा सकती है तो कोटा नाम के स्थान पर पावर हाउस न बनायें ।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । इस बार जो बोर्ड का संगठन किया गया है वह ठीक है । सदन के दोनों तरफ से मांग की गयी थी कि चेयरमैन टेक्निकल आदमी होना चाहिये । वह हुआ । इससे टेक्निकल और नान टेक्निकल की लड़ाई समाप्त हो जायगी । भाई जी कह रहे थे कि त्रिवेदी जी ने अच्छा काम किया । यह इंजीनियर भी महसूस करते हैं । उत्तर प्रदेश ने जो निर्णय लिया है, उसके बाद केन्द्रीय मन्त्री राव साहब ने जो सिंचाई और विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष थे उनको अब सेक्रेटरी का पद दे दिया है तो उत्तर प्रदेश लीड लेने वाला है। विद्युत मन्त्री जी ने एक लीड लिया है । इसके लिये मन्त्री जी की प्रशंसा होनी चाहिये क्योंकि उन्होंने नयी शुरुआत किया है । अध्यक्ष के अतिरिक्त दो और इंजीनियर्स को बोर्ड का मेम्बर बनाया है, अब 6 हो गये हैं । इस प्रदेश का द्रुतगति से विद्युतीकरण शुरू हो सके इसके लिये मन्त्री जी कितना परेशान हैं । दिल्ली से बिजली मांग रहे हैं । यदि भाखड़ा में पानी आ गया तो दिल्ली से बिजली मिल जायगी । राजस्थान से, कोटा से बिजली लेने का प्रयास कर रहे

[श्री राम प्यारे]

हैं। भरतपुर मथुरा लाइन बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी प्रयास किया जा रहा है। मन्त्री जी, जो आपकी नीति है, उसके सब कायल हैं, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं जो लोग वहां से निकाले जाते हैं चाहे थोड़ा सा घाटा लगे उनको आप बिजली दीजिये। डेमोक्रेसी में संतोष बहुत बड़ी चीज है। 45 हजार लोग रिहन्द बांध से निकाले गये। उनको बिजली दीजिये। लेकिन परिषद् कहती है कि घाटा लगेगा। मैं कहता हूं कि ज्यादा घाटा नहीं लगेगा उनको बिजली दीजिये। आपने उनकी जमीन ले लिया। छोटे-छोटे टुकड़े उनको दिये हैं। अगर बिजली दे देंगे तो छोटे छोटे उद्योग लगा कर अपनी गुजर कर लेंगे। यही टेहरी के लिये आता है। टेहरी बांध की योजना के कारण टेहरी के लोगों में आन्दोलन की बात आ गयी है। उनको आप आश्वासन दीजिये भूमि का बाजार रेट से मुआविजा देंगे। बसाने की व्यवस्था करेंगे। प्रायरटी बेसिस पर आप उनको बिजली देंगे। अब कई योजनायें बन रही है हम लोगों के क्षत्रों में बहुत सी बिजली की योजनायें बनने वाली हैं।

आधी बिजली हमारी कांस्टीट्युएन्सी में होने जा रही है। इधर सरकार ने काफी प्रशासनिक सुधार किया है।

इंजीनियर लोग हड़ताल कर रहे थे उसके पक्ष में मैं नहीं था। उसके कुछ कारण थे जैसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से जो वह घरों पर काम लेते थे उस पर सरकार ने अंकुश लगाया, काम करने के तरीके में कुछ तब्दीली की गयी, आडिट परचेज का नहीं होता था उसके लिये प्रिआडिट की व्यवस्था की नये सब कारण थे जिससे हड़ताल की नौबत आई थी। बजट पेश करते हुए जैसा विद्युत मन्त्री जी ने कहा था हमको पिछली बातों को भूल कर उनको प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि बिजली की दशा में सुधार हो सके। अभी हम बिजली के मामले में देश भर में आधे से भी पीछे हैं। हमारे यहां 90 किलोवाट बिजली प्रति घंटा प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो पाती है जब कि सारे देश में 220 किलोवाट बिजली प्रति घंटा प्रति व्यक्ति उपलब्ध है। लिहाजा आलोचना न करके हमको सुझाव देने चाहिये क्योंकि यह राष्ट्रीय अहम समस्या है। अगर बिजली इस प्रदेश से निकल जाय तो जंगल की सभ्यता में हम पहुंच जायेंगे। बिजली की कमी होने से तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में भी कमी की गयी। हमारे यहां की कार्यक्षमता इंजीनियर्स की अन्य प्रदेशों से कम नहीं है। केन्द्रीय विद्युत मन्त्री ने लोक सभा में कहा था कि थरमल पावर स्टेशन के सम्बन्ध में जो कार्यक्षमता उत्तर प्रदेश के इंजीनियर्स की है वह किसी दूसरी जगह पर नहीं है। जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनके काम की तारीफ हमको करनी चाहिये और निश्चित रूप से सदन को उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिये। आज उनको जंगलों में काम करना पड़ता है जहां पर शिक्षा तथा मेडिकल सुविधाओं की कमी होती है और जहां उनको काफी रोगों का सामना करना पड़ता है। आपने रिहन्द में रिहन्द प्रतिकर भत्ता 20 परसेन्ट के हिसाब से दे दिया है, उसी प्रकार ओबरा में भी यह प्रतिकर भत्ता दिया जाना चाहिये। उनका यह भत्ता पिछले 4, 5 वर्ष से बन्द हो गया है।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)---

उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य तो डाक्टर श्यामकिशोर से भी आगे निकल गये।

श्री रामप्यारे---

मैं एक हकीकत रख रहा हूं। ओबरा में कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला, जहां प्रोजेक्ट बना है वहां के लोगों को मुआविजा निश्चित रूप से दे दें। 45 हजार रिहन्द बांध से निर्वासित हुए थे। उनको सरकार

बिजली नहीं मिल पाई है जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस रजत जयन्ती के अवसर पर जिन्होंने त्याग किया है उनको अवश्य बिजली आप दें। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों की जो मांग है समय रहते हुए उसका निपटारा कर दें। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को उनकी दक्षता तथा दूरदर्शिता के लिये बधाई देता हूं और तहे दिल से बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उधर के लोग भी उनको सर्व-सम्मति से पास करेंगे।

श्री शफीक अहमद खां—

श्रीमन् आज लाल बत्ती नहीं दिखाई पड़ रही है।

*श्री नेतराम सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं माननीय कल्याणसिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बिजली और बिक्री-कर दोनों ही ऐसे विषय हैं जिनमें कि भ्रष्टाचार चरम सीमा तक व्याप्त है और इतना ही नहीं इसमें काले धन से कमाई करने के लिये एक बहुत बड़ा तरीका बन गया है। मैं अपने प्रदेश के मंत्री माननीय तिवारी जी को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहूंगा लेकिन शिष्टाचारी जरूर कहूंगा। लेकिन शिष्टाचार जो है वह शिष्टाचार से ही पैदा हुआ है और बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मान्यवर, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन वास्तविकता की ओर जाना चाहता हूं। सरकार किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिये ट्यूबवेल लगाने के लिये तथा अनेक इन्डस्ट्रीज खोलने के लिये उन्हें बिजली देने के लिये प्रयास कर रही है लेकिन वह सब इसलिये दे रही है कि चूंकि सन् 74 में चुनाव आ रहा है। यह सरकार उस पर विचार करेगी कि हमने बिजली दी है। मैं कहता हूं कि बिजली की लाइनें बिछा देने से आपको वोट मिलने वाला नहीं है, वोट तभी मिलेगा जब आप पूर्णतया किसानों को बिजली मुहैया करेंगे। इस बिजली के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस वक्त बिजली की मात्रा किसानों को देने के लिये बहुत कम कर दी है। मात्रा ही बिजली की कम नहीं मिली लेकिन पिछले दो महीनों से तो मिल ही नहीं रही। मान्यवर, उन्होंने 3 रुपया प्रति हार्स पावर किसानों पर सरचार्ज लगाया था। उसे खत्म करने की कोई बात नहीं कही गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सरचार्ज जो लगाया गया था वह समाप्त कर दिया जाना जाहिये।

(इस समय 2 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए)

दूसरी बात यह है कि अब तक किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाती थी। लेकिन यह देखा गया है जैसा कि केवल मेरे क्षेत्र की ही सूचना नहीं बल्कि सारे प्रदेश की सूचना है कि केवल 5–4 या 3 घंटे से ज्यादा बिजली किसानों को नहीं दी जा रही है। मेरे क्षेत्र में 1 बजे बिजली दी जाती है और 6 बजे बन्द कर दी जाती है। यदि बिजली पूरी चले तब 5 घंटे बिजली दी जाती है वरना कभी-कभी 3 या 5 घंटे में ही वह बन्द कर दी जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे वे घोषणा कर चुके हैं कि 10 घंटे किसानों को बिजली दी जायेगी, वही चालू रखी जाय। वैसे तो फसल मारी गई थी पानी न मिलने के कारण लेकिन जो रही सही थी और कट रही है उसे निकालने के लिये सरकार के पास बिजली नहीं। यदि बिजली आप 15-15 घंटे न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेतराम सिंह]

दे पाये तो सारी फसल चौपट हो जायेगी । मैं निवेदन करूंगा कि बिजली की मात्रा को बढ़ाकर 24 घंटे कर दी जाय । तभी आपकी योजना सफल हो सकती है। ईख के लिए पानी, सब्जी के लिये पानी और प्रेशर के लिये बिजली की विशेष आवश्यकता है ।

मान्यवर, ट्यूबवेल का जो मीटर सिस्टम है, वह गलत है । इससे भ्रष्टाचार को लम्बा बढ़ावा मिलता है । प्रायः यह देखा गया है कि मीटर लगने पर जो उसकी चेकिंग करने वाले कर्मचारी होते हैं, लाइन मैन या मीटर रीडर होते हैं वे किसानों को तरह-तरह से परेशान करते हैं । वे किसानों को मीटर उल्टा घुमाने के और दूसरे-दूसरे तरीके बतला कर उनसे आधा, चौथाई या हर महीने कुछ पैसे देने की बात करते हैं जिससे बिजली की बड़ी लम्बी-चौड़ी हानि होती है और सरकार को भी हानि होती है। सरकार ने अब हर जिले में पुलिस इंस्पेक्टर की नियुक्ति की है । उनके द्वारा किसानों को बुरी तरह से चूसा जाता है, उनसे पैसा ठगा जाता है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । सरकार को चाहिये कि वह मीटर सिस्टम को समाप्त कर और जिस तरह से पहले बुलन्दशहर और दूसरे पश्चिमी जिलों में डायरेक्ट लाइन होती थी, उसी तरह की व्यवस्था कर दें, इससे एक तो ट्यूबवेल का मीटर भी ज्यादा नहीं बढ़ सकेगा और उसे सरकार को भी घाटा नहीं होगा और बोर्ड गति कर सकेगा । जैसा कि अभी सभी बन्धुओं ने कहा--कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बड़ा घाटा है, बोर्ड में बड़ा भ्रष्टाचार है और अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड के लिये एक हाई कमीशन की नियुक्ति कर दी जाय ताकि वह मामले की सही जांच कर सके ।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि सरकार द्वारा गांवों के विद्युतीकरण की बात कही जाती है लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी राय में विद्युतीकरण की परिभाषा क्या है । केवल यही समझते हैं कि एक लट्ठा ले जाकर गांव के नजदीक लगा दिया और वह विद्युतीकरण की लिस्ट में आ जाता है । मेरे क्षेत्र के कुछ गांवों में भी यही नमूना है कि उसे बिजली तो दी नहीं गयी और पेपर्स में, सदन में तथा बाहर भी कहने को कह तो दिया जाता है कि हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया लेकिन यह बिलकुल निराधार है । मेरे क्षेत्र के अन्दर किसी भी हरिजन बस्ती को आज तक बिजली नहीं दी गयी । मेरी बात को सत्य मानते हुए माननीय मंत्री जी को चाहिये कि इस बात की जांच करावे । यदि मेरी बात गलत होगी तो उसके लिये म उत्तरदायी हूंगा ।

मान्यवर, अब मैं किसानों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं । अधिकांश देखा गया है कि यदि 10 हार्स पावर का ट्यूबवेल कहीं सेक्शन होता है जिसमें लाइन लगाने के लिये 4 फर्लांग की छूट होती है तो 3 फर्लांग का मेटीरियल लाइन इंस्पेक्टर बचा लेता है और उसी तरह से यदि 5 हार्स पावर का कोई, ट्यूबवेल सेक्शन होता है जिसमें 1 फर्लांग की छूट होती है तो तीन फर्लांग का मैटीरियल लाइन इंस्पेक्टर बचा लेता है । इसलिये मैं कहता हूं कि मेरी बात को सत्य मानते हुए माननीय मंत्री जी इसकी जांच करेंगे और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ।

अब मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बिक्री-कर के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । इस देश में बिक्री-कर की जो प्रथा चल रही है वह भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा बढ़ावा देती है । इससे न तो सरकार को लाभ हो पाता है और न उपभोक्ता को जो कि बिक्री-कर अदा करता है । बिक्री-कर के सम्बन्ध में हमारे सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं । सरकार को चाहिये कि बहुसूत्रीय बिक्री-कर के स्थान पर एक सूत्रीय बिक्री-कर लगावें क्योंकि मेरा अनुमान है कि बहुसूत्रीय बिक्री-कर की वजह से सारे आदमी परेशान होते हैं । सरकार को चाहिये कि बिक्री-कर को एक सूत्रीय करके उस उत्पादन को करके रूप में कर दें । जिस स्थान पर चीज का उत्पादन हो उसी स्थान पर इस टैक्स को लगा दिया जाय

और उस पर अपनी मुहर लगा दी जाय ताकि बिक्री कर की वजह से लोग परेशान न हों। इससे पूरा कर वसूल हो सकेगा। ऐसा देखा गया है कि जो बिक्री करते हैं वे उसकी वजह से ज्यादातर इतने परेशान रहते हैं कि बहुतों का व्यापार भी ठप हो जाता है और उसकी वजह से सरकार का भी बहुत रुपया मारा जाता है। यहां तक कि अगर 1000 रु0, टैक्स मिलना है तो उसमें से मुश्किल से 100 रुपया वसूल होता है और 900 रुपया का सरकार को नुकसान होता है।

मान्यवर, इसको हल करने के लिये उत्पादन कर लगा दें और बेचने वालों के लिये लाइसेन्स दे दें और पांचों में इनको बांट दें। जैसे नगर महापालिका, नगर पालिका और टाऊन एरिया नोटिफाइड एरिया और गांव सभायें और इसी तरह से 100, 50, 25, 20 और 5 रुपये लाइसेन्स के रख दें। इससे आपके टैक्स की चोरी नहीं हो सकती है। सारा टैक्स सरकार के यहां आ सकता है। इतना कह कर मैं माननीय कल्याण सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट की लड़ाई बिजली विभाग में समाप्त हुई और मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने न्यायोचित मांग को स्वीकार करके इंजीनियरों के सामने एक चैलेंज दिया है। मेरी बुद्धि के अनुसार इंजीनियर परीक्षा के उस मैदान में खड़े हैं जिसमें कुछ दिन पेश्तर ब्यूरोक्रेट्स खड़े थे। प्रदेश में विद्युत की इस मौजूदा क्षमता से वे उत्पादन बढ़ा सकेंगे इसमें उनका इम्तहान होने वाला है और वह परीक्षा जनता लेगी, प्रशासन लेगा और यहां के सभी आफिसर्स लेंगे। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि जो नया तजुर्बा प्रदेशीय सरकार ने बिजली के विभाग में प्रारम्भ किया है, वह सफल होगा। जितने टेक्निकल डिपार्टमेन्टस् हैं, चाहे पी0 डब्लू0 डी0 हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, कोआपरेटिव हो, एग्रीकल्चर हो, शुगर केन का हो, इरीगेशन का हो या एल0 एस0जी0 डी0 का हो, इन सभी में टैक्नीशियन्स को प्रोत्साहित किया जायगा।

जिस तरह से मनुष्य के जीवन के लिये दवा और खाद्यान्न आवश्यक होते हैं उसी तरह से प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिये बिजली की आवश्यकता महसूस की जाती है। हमारा प्रदेश बिजली के उत्पादन में और कंजम्पशन में दूसरे प्रदेशों से बहुत पीछे है। यह खुशी की बात है कि बहुत सी स्कीमों में जिनके ऊपर बजट पर सामान्य चर्चा में मैंने स्वयं अपने विचार रखे हैं। जैसे नरोरा का पावर स्टेशन, टेहरी डैम, और ओबरा का थर्मल स्टेशन आदि बिजली को बढ़ाने के लिये सरकार ने सक्रिय कदम उठाये हैं, उससे बिजली की कमी अवश्य दूर होगी ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से आशा रखूंगा, जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि योजनायें जितनी शीघ्र पूर्ण की जायेंगी उतनी ही जल्दी और शीघ्रता से हमारा प्रदेश अपना विकास करने में सफल हो सकेगा।

हमारे प्रदेश में करीब 24–25 प्रतिशत बिजली मुश्किल से कृषि कार्यों के लिये दी जाती है। मुझे खुशी है कि मन्त्री जी ने अब 12 घंटे बिजली कृषि कार्यों के लिये दिये जाने की घोषणा की है। लेकिन इससे कुछ दिन पहले केवल 6 घंटे कृषि कार्यों के लिये बिजली दी जा रही थी और काश्तकार बिचारा मजबूर था। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि उत्पादन पर ही मुनहसिर करती है, इसलिये इधर ध्यान देकर बिजली अधिक से अधिक कृषि कार्यों के लिये दें, चाहे दूसरे, कार्यों में बिजली की कटौती उन्हें करनी पड़ें लेकिन कृषि के लिये बिजली की कटौती करने पर विचार न करें। अगर 12 घंटे से ज्यादा दे सकते हैं तो देना चाहिये उस समय तक जब तक कि प्रदेश में बारिश नहीं हो जाती है। इस साल सर्दी में भी बारिश नहीं हुई इसलिये हमारे यहां काश्तकार को जो ईख बोना था वह नहीं बो सका पलेवा करके ही वह ईख बोये।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

हमारी ओर गेहूं में अभी दो पानी और देने हैं। गेहूं की फसल को काटने के बाद उस को उठाने का सवाल आता है ताकि किसान फसल तैयार करके सरकार को बेच सके और जनता के लिये अनाज का प्रबन्ध हो सके। इसके लिये यह आवश्यक है कि किसानों को 15 जन तक 12 घंटे अवश्य ही बिजली मिलती रहे वर्ना हमारी गेहूं की खेती को और आगे की गन्ने की फसल को भारी हानि होगी, न थ्रेशिंग ठीक हो सकेगा और न ईख को पानी लग सकेगा और जो ईख पहिले बोया गया है उसकी भी परवरिश नहीं हो सकेगी। मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि गत वर्ष सरकार ने निर्णय लिया कि चोरी गये ट्रांसफार्मर्स का रुपया किसानों से न लिया जाय, बड़ी जद्दोजेहद के बाद यह चीज मानी गई थी लेकिन आज भी जो ट्रान्सफार्मर्स जल जाते हैं या चोरी हो जाते हैं तो कई माह तक उनको रिपेयर या रिप्लेसमेन्ट नहीं होता। किसान महीनों तक पानी से वंचित रहते हैं सरकारी नलकूप से तो बहुत से किसान पानी पाते हैं और जो निजी नलकूप हैं उन का अकेला ही सही, काश्तकार भी पानी से महरूम हो जाता है। मैं चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर्स की रिपेयर्स को टाप प्रायर्टी दी जाय और ट्रांसफार्मर की स्थापना तीन चार पांच दिन के भीतर कर दी जाय। मेरी जानकारी है कि रिपेयर जब की जाती है तो जितने क्वायल उसमें लगने चाहिये उस से कम वजन के क्वायल लगाये जाते हैं और माल बचा लिया जाता है जिससे वह फिर जल्द फूक जाती है। इसलिये स्टैंडर्ड तरीके से रिपेयर होनी चाहिये और ट्रांसफार्मर्स जल्द से जल्द रिप्लेस किये जाने चाहिये।

बिजली के न्यूनतम चार्जेज 3 रुपया प्रति हास पावर सरकार लेती है लेकिन उसके साथ सप्लाई की कुछ न्यूनतम गारंटी भी सरकार की तरफ से होनी चाहिये। जब 24 घंटे बिजली दी जाय तब तो वह गारंटी जस्टीफाइड है लेकिन 6 घंटे ही बिजली मिले तो चार-चार माह तक ट्रांसफार्मर जला पड़ा रहे और बिजली न मिले क्या तब भी वही मिनिमम चार्जेज पड़ने चाहिये? क्या हर हालत में उसे मिनिमम चार्जेज देय होंगे। मिनिमम चार्जेज के साथ बिजली की सप्लाई की भी गारन्टी होना चाहिये। मुझ जैसे व्यक्ति के तो यह बात समझ में नहीं आती कि बिजली की सप्लाई की तो कोई गारन्टी न हो और मिनिमम चार्जेज किसान से लिये जायं।

इसके अलावा जहां तक लासेज की बात है, लाइन लासेज तो इस प्रदेश में सब से ज्यादा है लेकिन ज्यादा लासेज होने का कारण चोरी भी है। एक तो आप के मीटर रीडर, मीटर रीडिंग के लिये नहीं जाते, वह वेतन पूरा लेते हैं। और घर पर बैठकर ही मीटर रीडिंग करते हैं। वह बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले रहते हैं और बराबर उन की फर्जी रीडिंग होती है और मीटर टेम्परिंग होती है और लास दिखाये जाते हैं। मैंने एक बार पहले भी सुझाव दिया था कि यदि मुमकिन हो सके तो 50 हास पावर या 100 हासपावर के जो बड़े बड़े कन्ज्यूमर्स हैं उनके मीटर पावर सब-स्टेशन पर ही स्थापित कराये जायें, इस से शायद कुछ चोरी रुक सके, इस पर विचार किया जाय।

जहां तक बिलिंग का मामला है आज हर जगह रांग बिलिंग की चर्चा है। आंख मूंद कर बिल भेज दिये जाते हैं और जब किसान उनके पास जाता है तो उस से कहते हैं कि तुम 50 प्रतिशत हमें छोड़ दो। किसान परेशान भागा भागा फिरता है। कोई मौके पर मीटर नहीं देखता और रांग बिलिंग के बाद सौदे करते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से और बिजली बोर्ड के चेयरमैन से निवेदन करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था करें कि राग बिलिंग न हो और जो कर्मचारी ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाय।

जहां तक ओल्ड ड्यूज के रिएलाइजेशन का प्रश्न है यदि काश्तकार के पास थोड़े से भी ड्यूज रह जायं तो कनेक्शन काट दिये जाने की धमकी दी जाती है और काट भी दिया जाता है लेकिन हिन्डेलको का कनेक्शन कोई नहीं काट सका। उस पर तो शायद करोड़ों रुपये के ड्यूज बाकी हैं। लिहाजा मैं यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय मन्त्री जी छोटे काश्तकार के प्रति उतनी कड़ाई न करें और कड़ाई करें भी तो उन बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ करें जिन पर बड़ी

ड्यूज बाकी है और जिनकी वसूलयाबी से आप विद्युत का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लासेज के और क्या कारण हैं? बिजली के खंभे लग गये हैं, लाइन लग गयी है साल भर से, लेकिन उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दी गयी है। सरकार का खर्चा तो हो गया लेकिन उपभोक्ताओं को बिजली न मिलने के कारण कोई आमदनी नहीं हो रही है, इसलिये इन लासेज को बचाने के लिये जल्दी कनेक्शन दें जिससे आमदनी भी जल्दी प्रारम्भ हो जाय।

जहां तक स्टोर्स की फिजिकल चेकिंग का सवाल है, उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपये का माल विद्युत परिषद् क्रय करता है। मैं इस विभाग में 2 महीने रहा हूं, मैंने मालूम किया था कि कितने वर्ष पूर्व इसका फिजिकल चेकिंग हुआ था तो पता चला कि दसों साल से कभी भी इसके स्टाक का फिजिकल चेकिंग नहीं हुआ था। कितना माल इशू किया गया किसी लाइन के लिये और कितना माल यूटिलाइज हुआ, उसका कोई पता है या नहीं? सबका चेकिंग होना चाहिये। आज चोरी से बचाने के लिये, लाइनों पर तांबे के तार को रिप्लेस किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् ने कितना तांबे का तार रिप्लेस करके वापस प्राप्त किया है। उसकी चेकिंग की जाय कि लाइन खींचने में तांबे के कितने वजन के तार लगे थे। इससे यह अन्दाजा लग सकेगा कि कितना तांबे का तार उस समय इशू किया था और कितना अब उतारा है और अगर कहीं कोई अन्तर है तो जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से यह हुआ उनके खिलाफ एक्शन लिये जाने की आवश्यकता है।

जैसे मैंने पहले भी कहा हमारे प्रदेश में बिजली की बहुत बड़ी कमी है और जितनी कमी है उसको पूरा करने के लिये सरकार का ध्यान है, यह खुशी की बात है लेकिन जब तक यह काम पूरा न हो जाय प्रायरिटी के आधार पर बिजली किसानों को देते रहें और उस समय तक हिन्डेलको के साथ कोई एग्रीमेंट न करें क्योंकि आज आप ही किसान को 6 घंटे बिजली दे रहे हैं, हिन्डेलको तो एक जगह है वह बिजली ही बिजली खाता है। इसलिये जितनी बिजली उसे मिलेगी वह उसे निगल जायगा, खा जायगा। मेरी प्रार्थना है कि जुलाई के महीने से पहले जब तक नया जेनेरेशन नहीं होता, जब तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के नये पावर स्टेशन से आपकी अतिरिक्त बिजली मुहइया नहीं होती उस समय तक हिन्डोलको को कोई बिजली न दी जाय। वहां जितना घाटा प्रति यूनिट बोर्ड को हुआ है वह पुराना भी पूरा करा लें और तब नया लोड नो प्रोफिट नो लौस बेसिस पर दें और उसी समय दें जब खेती की आवश्यकता से आप बिजली फालतू समझें।

लासेज जो होते हैं, उनका एक कारण यह भी है कि लाइनों का विस्तार किसी योजनाबद्ध ढंग से नहीं हो रहा है। अगर एक किसान ने चाहा, तो लाइन यहां खींच दी, और इण्डस्ट्री ने चाहा तो लाइन वहां खींच दी। इससे मैटेरियल वेस्ट होता है, लासेज भी ज्यादा होते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि बिजली का विस्तार एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार हो। उससे मटेरियल भी कम खर्च होगा और हमारे लासेज भी कम होंगे। मान्यवर, जहां तक गांवों के इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, यह कहा जाता है कि हरिजनों की बस्तियों में बिजली दी जा रही है। 25, 30 हजार गांवों में बिजली जा चुकी है। लेकिन जिन गांवों में बिजली जा चुकी है, वहां बिजली पहुंचनी भी चाहिये। शाम 7 बजे बंद कर देंगे तो गांव वाले कहेंगे कि उन्होंने बिजली के ऊपर एक हजार रुपया खर्च कर दिया, फिटिंग कराई और जिस समय बिजली की आवश्यकता हुई तो उस समय बिजली मिलती नहीं। तो जिन 30 हजार गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन वह करा चुके हैं, वहां बच्चों की पढ़ाई के लिये, काश्तकारों को चारे की कटाई आदि के लिये भी सूर्यास्त के बाद भी बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश की आय में सबसे बड़ा अंशदान बिक्री-कर का है और आज 80 करोड़ रुपये की आमदनी उससे प्रदेश के एक्सचेकर को होने लगी है। इसके लिये

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

हमारे वित्त मन्त्री और सेल्स टैक्स कमिश्नर बधाई के पात्र हैं। लेकिन 36 करोड़ रुपया ओल्ड ड्यूज का अभी बकाया है। बड़ा व्यापारी चालाक है, वह कोर्ट स्टे ले लेता है। इसलिये दिक्कत हो जाती है सरकार को उस रुपये के वसूल करने में। लेकिन फिर भी मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि चाहे चुनाव का वर्ष हो (और वर्ष है) शासन के स्तर से, मन्त्री जी के स्तर से, राज्य मन्त्री जी के स्तर से, सेल्स टैक्स कमिश्नर के स्तर से, कोई मोहलत उन आदमियों को न दी जाय जिन पर बड़ी-बड़ी रकमें बकाया है। एकाध प्रदेश को छोड़कर (बिहार और उड़ीसा को छोड़ कर) सम्पूर्ण देश में सबसे पीछे हमारा प्रदेश है, प्रति व्यक्ति की आमदनी के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण से। इसलिये इस प्रदेश में नये टैक्स की ज्यादा गुन्जाइश है ही नहीं। आवश्यकता है कि प्रदेश के विकास के लिये जितने हमारे ड्यूज पेंडिंग हैं, जिनका रियलाइजेशन होना है, उनको कड़ाई के साथ रियलाइज कराया जाय। एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा सकता है अगर उसका रियलाइजेशन न किया जाय, लेकिन उससे प्रदेश के विकास मे ढिलाई आती है। जितनी कड़ाई से वसूली होगी, उतना उस पैसे का सदुपयोग किया जा सकेगा विकास के कामों में। चाहे सेल्स टैक्स का बकाया हो, चाहे किसी गन्ना मिल-मालिक पर पर्चेज का बकाया हो, चाहे किसी दूसरे विभाग का---एक्साइज आदि का बकाया हो। 36 करोड़ तो केवल सेल्स टैक्स का ही बकाया है, बिजली का काफी बकाया है---अरबों रुपये बकाया होगा इस प्रदेश मे जिसको आपको वसूल करना है। इसलिये माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि नये टैक्स न लगाकर---जैसा कि उनकी खुद स्कीम है---पुराने टैक्सेज को कड़ाई के साथ वसूल करायें। बड़े खुशी की बात है कि सरकार की चेक-पोस्ट बनाने की योजना है, जो सेल्स टैक्स की चोरी होती है दिल्ली के साथ, राजस्थान के साथ, हरियाना के साथ, या दूसरे प्रदेशों मे साथ, इसको कड़ाई के साथ चेक करने मे यदि सफल हो जायेंगे, तो एक बहुत बड़ी धनराशि इसके जरिये से प्राप्त हो सकेगी और अपने प्रदेश की आमदनी में इजाफा होगा।

इसके अलावा, मान्यवर, मैं एक बात और बोगस फर्म्स के विषय में कहना चाहता हूं। मेरी अपनी जानकारी में है कि बहुत सी फर्म्स बोगस नाम से व्यापार करती हैं और जब उन पर काफी ड्यूज हो जाते हैं तो वह तख्ती बदल देती है और दूसरे नाम से तख्ती लगा लेती हैं और रजिस्ट्रेशन करवा लेती है। यह माननीय मन्त्री जी सेल्स टैक्स कमिश्नर और सेक्रेटरी की जानकारी में भी होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें। इस प्रकार से यदि बोगस फर्म्स नहीं पनप सकेंगी तो सरकार की आमदनी की भी क्षति नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी के अनुदानों का जो उन्होंने पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, अभी वीरेन्द्र वर्मा जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने अपने भाषण में सबसे ज्यादा तारीफ सरकार की कर दी। सरकार के एक गुण की तरफ तो मैं भी कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह सरकार अस्पताल में दवा तब भेजती है जब मरीज मर जाता है। यह है तारीफ इस सरकार की। बिजली की आवश्यकता कब थी और बढ़ाया कब। बिजली के संकट के विषय में सभी जानते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मुख्य उद्योग कृषि है। आप देखें कि किसानों को उन्होंने किस क्रम से बिजली का समय बढ़ाया है। 27 फरवरी, सन् 1973 को बिजली बढ़ाई। जब सिंचाई का सीजन था तब नहीं किया। तमाम सत्याग्रह, किसानों के आन्दोलन के बाद, अपोजीशन पार्टीज ने भी आन्दोलन किया, तब जाकर जागे। इसकी तो मैं भी तारीफ करूंगा। इनकी सूझ-बूझ बाद में आती है।

दूसरा गुण यह है कि यह लोग नारा देते हैं, गरीबी हटाओ का, प्रचार करते हैं समाजवाद का और काम करते हैं बिड़लाबाजी का, उद्योगपतियों का साथ देते हैं, किसानों के हित की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनकी नीति नहीं है। यह पूंजीवादी सरकार है। 90 प्रतिशत गरीब और देहात के पीड़ित दुखी लोग हैं। इस जनतंत्र में उनको लाभ नहीं पहुंचा है और तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक इनको गद्दी से नहीं हटाया जाय और 90 वालों का राज हो। श्री गोस्वामी राधाकृष्ण यहां हैं, मैंने उनका भाषण जो बलिया में उन्होंने दिया, अखबारों के माध्यम से पढ़ा। उन्होंने कहा कि बिजली का संकट संविद सरकार की वजह से है। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में कभी संविद सरकार बनी, क्या हिंडालको से जब सन् 59 में कन्ट्रैक्ट हुआ उस समय संविद सरकार थी। इन्होंने अपने कुकर्मों को 3 महीने वाली सरकार पर डाल दिया। जब विरोध पक्ष के तरफ से यह मांग हुई कि एक कमीशन बैठा दिया जाय जो सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच करे तो संविद सरकार ने 28 जनवरी 1968 को आर्डर्स जारी कर दिये ताकि एम0 एल0 ए0, मेयर्स, चेयरमैन नगरपालिका या जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है उनकी जांच हो सके। जब तक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले का स्वच्छ जीवन नहीं हो, आरोप से रहित जीवन नहीं होगा, यह शासन नहीं कर सकता। मैं मन्त्री जी से जो संसदीय मामले के मन्त्री भी हैं, उनसे कहूंगा कि इसी सत्र में वह बिल ले दें ताकि सब की जांच हो जाय। इसमें भूत वर्तमान सभी की जांच हो जायगी। अगर जांच होगी तो आप पायेंगे कि 90 प्रतिशत इन्हीं के लोग गिरफ्त में आ जायेंगे।

मान्यवर, रामकृष्ण त्रिवेदी जो विद्युत परिषद् के अध्यक्ष थे उनको मैं बधाई देता हूं। प्रतिनिहित विधायन समिति की रिपोर्ट 20 जुलाई को आ गयी थी। मान्यवर विद्युत परिषद् का जो वार्षिक विवरण-पत्र है इसके पृष्ठ 20 व 21 को देखें जिनमें लिखा है कि परिषद् की भारी हानियों के लिये दूसरा मुख्य कारण यह है कि परिषद् कुछ उद्योगों को जसे हिन्डालको और कनोरिया केमिकल्स को सस्ती दर पर बिजली दे रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उक्त उद्योगों के साथ इस सम्बन्ध में अनुबन्ध कर लिया था इससे यह व्यवस्था चालू रखनी पड़ी। राज्य सरकार ने हिंदालको से 29 अक्टूबर, 1969 को और कनोरिया केमिकल से 30 सितम्बर, 1963 को अनुबन्ध किये थे। 1965 में रिहन्द परिसम्पत्तियों को परिषद् को हस्तान्तरित होने के साथ-साथ उपर्युक्त दायित्व भी परिषद् पर आ पड़े। परिषद् को और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि राज्य सरकार से इसके लिये कोई अर्थानुदान पाये बिना उपर्युक्त उद्योगों को सस्ते दर पर बिजली दी जाती रहे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की समिति ने भी इस मामले को देख कर यह संकेत दिया कि वर्ष 1962–63 से 1970–71 तक राज्य सरकार और विद्युत परिषद् को निम्न हानियां उठानी पड़ी हैं।

(रुपया लाखों में)

1962–63	..	..	..	145.06
1963–64	..	..	..	105.57
1964–65	..	..	..	102.01
1965–66	..	..	..	86.78
1966–67	..	..	..	89.60
1967–68	..	..	..	262.82
1968–69	..	..	..	260.43
1969–70	..	..	..	332.24
1970–71	..	..	..	314.90

जैसा कि ऊपर दिया गया है 31 मार्च, 1971 तक राज्य सरकार को 356.64 लाख रुपये और परिषद् को 1373.77 लाख रुपये की हानि हुई। इसलिये समिति की यह राय थी

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

कि ऊपर दिखाई गई भारी हानियों को दृष्टि में रखते हुए उपर्युक्त फर्मों से किये गये अनुबन्ध के अनुसार 25वें वर्ष के अन्त में परिषद् को लगभग 100 करोड़ रुपये की हानि होगी। इससे परिषद् की अर्थ व्यवस्था पर भारी चोट होगी। यह जो 100 करोड़ की हानि होने वाली है तो यह 70 करोड़ की हानि बचा सकते हैं अगर यह कानून बदल दें और अनुबन्ध समाप्त कर दें। मान्यवर, कंट्रैक्ट की धारा 37 में साफ है कि ऐसा कोई कंटैक्ट अवैध हो सकता है अगर कानून के जरिये से धारा 37 को बदल दिया जाय। ऐसा करने के लिये यह सरकार सक्षम है। धारा 37 को मान्यवर मैं पढ़ रहा हूं। यह इस प्रकार है :

"The parties to a contract must either perform, or offer to perform their respective promises, unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this Act, or of any other law."

मान्यवर, मैं जोर दे रहा हूं वर्डस् "एनी अदर ला" पर। यह सरकार सक्षम है कि इस कंट्रैक्ट को अवध कर दे। प्रतिनिहित विधायन समिति ने काफी छानबीन की। अध्यक्ष, विद्युत् परिषद्, बोर्ड के सेक्रेटरी, इंजीनियर, बिजली सचिव आदि का बयान हुआ। इस छानबीन के बाद यह नतीजा निकला कि धारा 49(4) के मुताबिक यह कंट्रैक्ट गैर कानूनी है लेकिन सरकार ने चूंकि ऐसा कर लिया था इसलिये उस पर बाइंडिंग है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार कितनी तेजी से प्रगतिशीलता और समाजवाद ला रही है। इस कमेटी की रिपोर्ट में श्री प्रेम प्रकाश जी का बयान है जो अब हाई-कोर्ट के जज हो कर चले गये हैं। उन्होंने अपने 1 जून, 1972 के बयान में कहा :

Matter active consideration गवर्नमेन्ट के है। इसमें कोई ओपिनियन दूंगा तो वह गवर्नमेन्ट के लिये आपत्तिजनक हो सकती है। मैं समझता हूं कि आप पब्लिक के हित की बात चाहते हैं और हम भी सार्वजनिक हित की बात सोच रहे हैं। इसलिये आप हमको 2 महीने का समय दे दें। उसके बाद हम इस स्थिति में होंगे कि इस पर कुछ कर सकें है।

उन्होंने साफ कहा कि जुलाई में आने वाले सत्र के अन्दर उसको ला देंगे। यह सरकार की तरफ से श्री प्रेम प्रकाश जी का बयान है। माननीय मन्त्री जी इसको देखने का कष्ट करें। हम आपसे उत्तर चाहते हैं कि क्या अभी तक 2 महीने हुए या नहीं ?

मान्यवर, अभी वर्मा जी कह रहे थे। 3 करोड़ ड्यूज बकाया कैसे रह गये। उपभोक्ताओं पर बकाया रहता है तो उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं। यह 3 करोड़ रुपया बकाया रह गया और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने अध्यक्ष जी से पूछा था कि आप तो सरकारी शासन में हैं और जनता व किसान के प्रतिनिधि हैं तब उन्होंने कहा था कि मैंने तो 15 दिन हुए ही चार्ज लिया था और 15 दिन के अन्दर ही नोटिस दे दी है कि अगर पेमेन्ट नहीं करेंगे तो बिजली काट ेंगे। वे हट गये और मामला फिर वही हो गया। रुपये की कड़ाई से वसूली नहीं होती है। सारे ड् ज बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर बकाया हैं। सारा धन 200 परिवारों में खर्च हो रहा है। किसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। किसान को देना पड़ता है 22 पैसे प्रति यूनिट और हिंडालको का रेट है 1.997717 पैसे प्रति यूनिट है। उस वक्त जब यह रेट तय हुआ था कास्ट आफ प्रोडक्शन 7.2 पैसे प्रति यूनिट था। इस तरह का अंधेर कहीं देखा गया है? इस बहाने यह हुआ कि यहां उद्योग आ गया क्योंकि यहां अल्यूमिनियम की जरूरत थी नियम में लिखा हुआ है कि यूनिफार्म रेट होगा। मैं कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। प्रधान मन्त्री जी तो यही कहती हैं कि विरोधी पक्ष केवल आलोचना ही करता है मैं तो आपको सुझाव रहा हूं कि आप इसी सत्र के अन्दर हिंडालको और कनोरिया—दोनो उद्योगों को टेक ओवर कर लें और जितने एरियर बकाया हैं सब सामान कुर्क कर के वसूल कर लें। आज लोग झोपड़ियों में पड़े हुए हैं। उनको खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, दवा नहीं है। उनकी हालत क्या हो रही है और आप अमीरों को रियायत दे रहे हैं। कनोरिया

के साथ भी यही बर्ताव हुआ। उसका एक अजीब किस्सा है। जिस अधिकारी ने कास्ट आफ प्रोडक्शन बतायी थी वह किस्सा भी कमेटी के सामने आया था। उन्होंने कास्ट आफ प्रोडक्शन कम दिखा दी। यह तो रिप्रेजेंटेशन आफ फैक्ट्स है, फ्राड है। अगर फ्राड किया तो आज तक उसकी जांच क्यों नहीं की गयी? अधिकारी ने तथ्यों को क्यों छिपाया है? मैं इसीलिये कह रहा हूं कि तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी है। इसकी जांच होती नहीं है। यह सदन बजट पास कर देता है। बहुमत से सरकार बनती है तो अगर बहुमत के लोग चाहें तो भ्रष्टाचार को खतम कर सकते हैं लेकिन माननीय सदस्य जो वहां बैठे हैं, उनकी अपने निजी स्वार्थ में यह हिम्मत नहीं है। आप लोग मेरी सरकार न बनावें लेकिन अपने में ही किसी को बदल दें। इस 25 साल में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डा0 शंकर दयाल शर्मा ने अपने भाषण में कहा था कि मैं झाड़ू लगा दूंगा लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें कमजोर नहीं हो सकीं। अभी तो मुझे मौका ही नहीं मिला है।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट और बोल लें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

आप किसान का बिजली का रेट 1.99 पैसे कर दें और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हिन्डालको का 25 पैसे प्रति यूनिट कर दें। इस कानून का सारा लाभ पूंजीपतियों को ही पहुंच रहा है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि बहुमत आपका है। इस बात को जनता 74 में ठीक कर देगी लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार भी इसको देखे कि जनता में उसकी तारीफ हो रही है या नहीं। अगर तारीफ हो रही है तो मैं भी उसमें एक सेन्टेन्स जोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो उनको दुरुस्त किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि जो नियम बने हैं उनमें जो चेयरमैन बनाये हैं, उसमें कोई अनुभव नहीं है। बाराबंकी में शुगर मिल में एक ऐसे आदमी को बना दिया है जो बिलकुल बेकार है। तो अधिकारियों का समें दोष नहीं है। अगर मुख्य मन्त्री ठीक हो जांय तो वह भी ठीक हो जावेंगे। मान्यवर, मुझे 10 मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

बहुत समय हो गया है, दो मिनट और बोल लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

यह प्रतिनिहित विधायन समिति के सदस्य हैं। उसके कुछ तथ्य अभी आये नहीं हैं उनको भी आ जाने दें।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट और ले लीजिये।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

एडवोकेट जनरल की भी राय ली गई है। उनकी राय है कि यह कान्ट्रेक्ट खतम हो सकता है। लेकिन मान्यवर, तब भी नहीं हो रहा है। मैं शिवराज सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि नैनीताल में जब प्रतिनिहित विधायन समिति की बैठक हुई तो राम प्यारे पनिका जी उनको प्रभावित करने के लिये नैनीताल गये। लेकिन कांग्रेस के होते हुए भी शिवराज

[श्री रूप नाथ सिंह यादव]

सिंह प्रभावित नहीं हुए और बदले नहीं और पनिका जी आदिवासी होते हुए आज आदिवासियों के इंटरेस्ट के विरुद्ध बिरला की वकालत कर रहे हैं और इस प्रकार गरीब और दलित वर्ग के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं। चाहिये तो यह था कि वहां जाकर यह जोर देते कि किसानों को बिजली दी जाय, लेकिन उन्होंने बिरला का केस प्लीड किया। लेकिन उन्होंने उनकी दरख्वास्त तुरन्त खारिज कर दी, ली भी नहीं गयी और खत्म हो गयी।

श्री अधिष्ठाता---

यादव जी, आप समाप्त करें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

तो मैं यही करता हूं कि प्रतिनिहित विधायन समिति की रिपोर्ट तुरन्त पारित की जाय। राजमंगल पांडेय सरकार की तरफ से बोलेंगे। मैं समझता हूं वह सरकार से इस मामले को दुरुस्त करवायेंगे। मेरा सुझाव है कि सदन की कमेटी बना दें जो इस मामले की छानबीन करके कोई उपाय निकाले। अरबों रुपये का नुक्सान इस इन्जीनियरों की हड़ताल के कारण हो गया। जिसका सारा दोष सरकार पर है। अगर वह दूरदर्शिता, टैक्टफुल्ली इस मामले को हैंडिल किये होती तो इतना लास नहीं होता। इतना सब कुछ होने के बाद कहा गया कि हम तरमीम कर रहे हैं और हमारे वर्मा जी खुश हो गये कि डेमाक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स का मामला सुलझ गया और इतना अरबों रुपयों का नुक्सान हो गया। जिस हानि को यह सदन और प्रदेश कभी माफ नहीं करेगा।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत जो अनुदान मांगे गये हैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

पांडेय जी, आपके वास्ते 15 मिनट से अधिक समय नहीं है। समय कम रह गया है।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि वित्त मन्त्री जी जो पावर मिनिस्टर भी हैं उन्होंने अपने मन्त्रित्व काल में इस विभाग में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं और वे बधाई के पात्र हैं। जिस सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वह इस असेम्बली को जो उन्होंने एक ऐसा डिलीबेरेटिंग फोरम बना दिया है कि सारे पूंजीपतियों के पोषक हम हैं और सारे काश्तकारों और मजदूरों के पोषक वे हैं, यह बात मान्यवर, बिलकुल ही गैर-मुनासिब है। हममें और आप में कम से कम इतना डिग्रेट अवश्य होना चाहिये कि अगर पूंजीपति भी कोई ठीक काम करे, उसकी मांग न्यायोचित हो तो निश्चित है कि मांग को हमें और आपको पूरा करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

(श्री उमाकान्त वाजपेयी से) वाजपेयी जी बैठें।

श्री राजमंगल पांडेय---

मैं देख रहा हूं कि गैलरी में जो हमारे दर्शक लोग हैं शायद उनको प्रभावित करने की हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य कोशिश करते हैं। ऐसा न करके कृपया जनता को और उनकी समस्याओं को प्रभावित करने की कोशिश करें तो उससे प्रदेश का कल्याण हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है कि हम गरीब किसान मजदूरी के पोषक नहीं हैं । अगर हमारी नीतियों को जो इंदिरा जी के प्रधानमन्त्रित्व काल में प्रतिपादित की गयी है अगर उनका प्रभाव हमारे ऊपर के बठने वाले लोग देखना चाहें तो उन्हें जनता के बीच में जाना होगा । जनता ने किस प्रकार हमको 1969, के चुनाव में और बाई-इलेक्शन में इतना बड़ा बहुमत देकर भेजा तो उससे स्पष्ट हो गया कि हमारी नीतियां कामयाब हैं और जनता ने उनको पसन्द किया ।

इससे कोई असर नहीं पड़ता कि हमारे उधर बैठने वाले उन नीतियों के बारे में कुछ भी कहें यह कहें कि हम पूंजीपतियों के पोषक हो गये हैं । आज प्रश्न यह है और मैं वित्त मन्त्री जी को एक रूप में चेतावनी भी देना चाहूंगा कि आज जिस प्रदेश की जनता का जिससे कोई ताल्लुक नहीं है कि . . . .

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

माननीय शिवराज सिंह जी जो चेयरमैन हैं प्रतिनिहित विधायन समिति के उनकी संस्तुति क्या है वह जरा बतला दें ।

श्री राजमंगल पांडेय—

वह भी मैं बतला दूंगा । मैं कह रहा था कि इस प्रदेश की जनता को इससे ताल्लुक नहीं है कि बिजली बोर्ड ने अपना काम ठीक से नहीं किया, उसको 40 करोड़ का घाटा है और उसमें 600 करोड़ रुपया लगा हुआ है बल्कि उसको केवल इस बात से ताल्लुक है कि इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिये बिजली बोर्ड और सरकार किस हद तक उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम रहे हैं । प्रदेश की जनता का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके आंकड़े क्या कहते हैं, या हमने इतना किया है और इतना और करने जा रहे हैं और सन् 85 तक हर गांव को बिजली दे दें । हम विरोधी पक्ष की इस बात के कायल हैं कि हम ट्रांसमिशन लाइन्स बढ़ाते चले जा रहे हैं जबकि असलियत यह है कि हम उन काश्तकारों को ही जिनके पास ट्यूब-वेल हैं 6 घंटे बिजली नहीं दे सकते हैं । आज केवल इस बिना पर हिंडालको की आलोचना की जाय कि वह एक एसी मशीन लाये हैं जिसमें केवल 10 मेगावाट बिजली लेकर इस प्रदेश के 4 हजार लोगों को काम मिलन वाला है । मैं कहता हूं कि अगर ऐसा है तो उनको 10मेगावाट बिजली जरूर देनी चाहिये शहर में रहने वालों को जो आप 18–19 घंटे बिजली देते हैं उसमें कटौती करके ।

श्री शिवराज सिंह—

फसल का क्या होगा ?

श्री राजमंगल पांडेय—

माननीय शिवराज सिंह जी मेरी बात को सुनने का कष्ट ही नहीं करेंगे । मैं तो यह कह रहा हूं कि काश्तकार को 6 घंटे बिजली दें और शहर में रहने वालों को जो जरूरत से ज्यादा सुविधा दे रहे हैं अगर उनकी सुविधा में कटौती करके 10 मेगावाट में उत्तर प्रदेश के 5 हजार लोगों को काम मिल सकता है तो उनको बिजली अवश्य देनी चाहिये । अल्मूनियम केवल इस प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिये, हवाई जहाज के कारखानों के लिये और ट्रांसमिशन लाइन्स को बिछाने के लिये भी आवश्यक है । तो कोई वजह नहीं है कि हम उनको बिजली न दें । लेकिन यह एक, दो महीने किसानों के लिये बिजली की बड़ी आवश्यकता का समय है । हमें चाहिये कि हम उनको अधिक से अधिक सुविधा दें और इस बात की

[श्री राज मंगल पांडेय]

कोशिश करें कि डिपार्पमेन्ट की तरफ उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो गलत बिल बनाये जा रहे हैं, जो वह नकद पैसा जमा कर देते हैं फिर भी लाइन जोड़ी नहीं जाती इन सारी कमियों को दूर करें।

श्री शफीक अहमद खां---

जब आप इस हक में हैं कि हिंडालको काम करता रहे तो जो वह देश और प्रदेश को अलम्युनियम दे रहा है क्या वह कम कीमत पर भेज रहा है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

कम और ज्यादा कीमत का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि 10 मेगावाट बिजली, जहां तक मुझे मालूम है करोड़ों का कोई प्लांट मंगाया है, उसके लिये चाहते हैं। हमें दुख है कि हम लोग उसूल की बातों को छोड़ कर राजनीतिक प्लेट फार्म पर आ जाते ह (व्यवधान)। माननीय बंशीधर पांडेय जी के नेता तो हिंडालको और बिड़ला जी की हिमायत करते हैं और उनकी मांग को न्यायोचित बताते हैं। जनसंघ के नेता भी उनकी मांग को न्यायोचित बताते हैं..... (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय---

हमारे नेता आपके भी नेता रहे हैं।

श्री राजमंगल पांडेय---

मुझे उन्हें अपना नेता मानने में कोई एतराज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

जनसंघ वाली बात आपने गलत कही है (व्यवधान)।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, अगर पूंजीपतियों ने इस देश और प्रदेश का कोई भला किया है, भलाई के लिये कोई कार्य किया है तो यह नैतिकता के बिल्कुल विपरीत होगा कि हम उसे न मानें। जो भी न्यायोचित मांग हो उसे हमको स्वीकार करना चाहिये। किसानों को भी कम दर पर बिजली मिलनी चाहिये। यह उनकी न्यायोचित मांग है। इस पर भी माननीय विद्युत मन्त्री जी को और विद्युत परिषद् को विचार करना चाहिये।

कायदे कानून आदि के चक्कर में न पड़ कर मैं एक बात और माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा। जो भी कारपोरेशन्स हम बनायें, हमें इतना अधिकार तो मिलना ही चाहिये कि जो भी उनके काम हों उनकी हम यहां चर्चा कर सकें, उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें। जो भी अधिकारी गलत काम करें उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का हमें अधिकार होना ही चाहिये। अगर इस विद्युत परिषद् को 70 करोड़ का हम कर्ज देते हैं तो उनसे यह आशा करते हैं कि जनता के उस पैसे का सही उपयोग हो, और जनता को उससे लाभ पहुंचे। स्टेट ट्रेडिंग के लिये हम 8 परसेन्ट पर लोन ले रहे हैं और विद्युत परिषद् को 7 परसेंट पर लोन दे रहे हैं और जब इतनी बड़ी धनराशि देते हैं तो क्या हमको यह हक हासिल नहीं है कि यह देख सकें कि पैसे का सही उपयोग भी हो रहा है या नहीं। क्या आटोनामस बाडी होने से ही हमारे सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं? मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं होता है तो उनकी आटोनामी को वापस ले लेना चाहिये। जब इतनी बड़ी रकम हम कर्ज की शक्ल में विद्युत परिषद् को देते हैं तो सरकार को इस बात का भी अधिकार होना चाहिये कि वे देख सकें कि इतनी बड़ी धनराशि का दुरुपयोग न हो सके कई करोड़ का सामान यह कहा गया, बेकार पड़ा हुआ है।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के किसी काम का नहीं है। वह किसके आदेश से खरीदा गया? यदि वह ठीक खरीदा गया तो उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ? क्या इन सब बातों की कोई इन्क्वायरी माननीय विद्युत मंत्री ने बिठाई है। आज जनता के सामने प्रश्न यह नहीं है कि सरकार हम पर कितना टैक्स लगाती है, किन्तु उसे केवल मलाल इस बात का है कि हम जनता की गाढ़ी कमाई का धन कुछ आटोनामस बाडी के नाम पर लुटा दें। जनता जान रही है कि उनका कार्य उसके हित में नहीं है। यह बहुत बड़ी आपके लिये सोचने की बात है। यह विवाद का प्रश्न हम न बनाएं और जो सही बातें विरोध पक्ष की तरफ से आती हैं, उन पर ठीक से विचार करना चाहिए। कई सही बातें उठाई गयीं हैं, जैसे कि रांगबिल भेजना तो अब कामन प्रोसीजर हो चुका है। आज एक आदमी को लाइनें देनी हैं, उसका 12 हजार का एस्टीमेट बनाया गया, लेकिन यदि वह सोर्सफुल हुआ तो उसका एस्टीमेट घटकर 4–6 हजार पर आ जाता है। इसी तरह से जिसका कनेक्शन सैंक्शन है उसे भी बिजली का कनेक्शन बिना 20 बार दौड़े और लिये दिये नहीं मिलती है। इन सब बातों को चेक करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जनता को सन्तोष हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि जब बिजली की इतनी दिक्कत हो, तो जिनका ट्यूबवेल 20 साल से लगा हुआ है उनको बिजली 6 घंटे के बजाय 18-20 घंटे मिलनी चाहिए। जगह-जगह लाईन पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और पहुंचा रही है, लेकिन हमारे यहां जब बिजली की कमी है तो नई लाईन बिछाने से क्या लाभ है। हमारे पास जो कुछ है, हम उसी का सही उपयोग करा सकें और उसके बाद जनता को आश्वस्त कर सकें कि जब हमारे अच्छे दिन आयेंगे तो हम आपकी दिक्कतों को ईमानदारी से दूर करेंगे, यह हमारे और जनता के हित में बात होगी। हम काश्तकारों के हितों की रक्षा करें और जो सरकारी अधिकारी जनता को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाई करें तो कोई वजह नहीं होगी कि विद्युत मंत्री द्वारा मांगे गये धन का जनता समर्थन न करे, उसका स्वागत न करे।

अभी तक मैंने विभाग की कुछ खामियों का जिक्र किया, अब जो कुछ काम भी हुए हैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। हरिजनों के लिये 15 परसेंट से अब 8 परसेंट कर दिया गया है, जो एक अच्छी बात है। आज हमारे गांवों को बिजली दी गयी है। वर्तमान दिक्कतों के समय भी पावर मंत्री ने इस कार्य को कुशलता से संचालित किया है। वह बधाई के पात्र हैं। हरियाणा से, राजस्थान से, भाखरा नंगल से, बिहार से–हर जगह से जहां-जहां से बिजली मिल पा रही है वह हर तरह से लाकर अपने प्रदेश में दे रहे हैं। 200 मेगावाट बिजली हर तरह से तैयार करा रहे हैं। यह भी प्रयास है कि थर्मल पावर और मिल सके। इतने प्रयास जब मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में किया है तो विरोधी पक्ष का भी नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह इन नीतियों का, हमारे द्वारा चलाई नीतियों का समर्थन करे। यदि केवल कटाक्ष करने के लिये विरोधी दल बना है तो मैं कहना चाहूंगा कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं।

अब मैं बिक्री-कर के बारे में कहना चाहता हूं। विभाग के जो छोटे और बड़े अधिकारी हैं उन्होंने तत्परता से तमाम काम किये हैं। वसूली में 4–6 करोड़ पये की ज्यादा इस बार वृद्धि हुई है और हम सोच रहे हैं कि 80 करोड़ तक की हम वसूली कर लेंगे। तो उनका यह कार्य प्रसंशनीय है और हमारा और उधर के बैठने वालों का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि उनको बधाई दें ताकि उनका हौसला बढ़े और वे ईमानदारी से कार्य कर सकें। इसी तरह से हम आशा कर सकते हैं कि अगले वर्ष हमें 100 करोड़ के करीब मिलेगी।

स रूप में माननीय वित मंत्री जी द्वारा जो अनुदान मांगे गये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने जो कार्य किये हैं, उनके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कल्याण सिंह अब उत्तर देंगे । माननीय कल्पनाथ सिंह, आपकी पार्टी की ओर से बोल चुके हैं ।

श्री कल्याण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय .....

श्री बंशीधर पांडेय--

इस सरकार को गिरा दीजिये । बिजली भी ठीक हो जाय । मंत्री जी भी ठीक हो जायं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

आप वहां हैं । मैं कुछ नहीं कहूंगा । जरा लिस्ट देख लीजिएगा किस-किस पार्टी के कौन-कौन बोल चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वित्त मंत्री, कितना समय लेंगे आप ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

30 मिनट में काम हो जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । वित्त मंत्री जी जवाब देंगे कटौतियों का । उसमें कटौती हमारी भी है । उस पर कोई भाषण नहीं लेकिन कटौती पढ़ दूं एक दो मिनट का उत्तर जो वह समझें दे ेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

बहुत अच्छा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा । वह निवेदन यह है कि चलते-चलते आपने श्री राजमंगल पांडेय को नहीं रोका अनावश्यक रूप से गुप्ता जी का नाम लेना शुरू किया। फिर मेरी मजबूरी है । जब मैं खड़ा हुआ तो आपका आदेश हो गया कि कल्याण सिंह बोलेंगे लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने गुप्ता जी का नाम लेकर कहा है वह रेकार्ड से बाहर करवा दीजिए । नहीं तो मुझे उन बातों का उत्तर देने के लिये अवसर दे दीजिए ।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, गुप्ता जी के बारे में केवल इतना कहा है गुप्ता जी चाहे हिंडालको हो या बिड़ला के बारे में हो यह कहा कि इस प्रदश की उन लोगों न सेवा की है । हम भी मानते हैं कि सेवा की है । हम उसको तसलीम करते हैं । मैंने गुप्ता जी का नाम लेकर कौन सा अनाचार किया ?

श्री अधिष्ठाता--

देखिए, गुप्ता जी के लिये उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है । गुप्ता जी हैं नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

सवाल एक विचार का है । विचार यह था, कई बार उन्होंने सदन में कहा । उनका निश्चित मत है कि हिंडालको को सरकार जैसे कि संसदीय समिति की रिपोर्ट थी उसके अनुसार

अगर सरकार अगर अपनी नीति के अनुसार चाहे तो अविलम्ब राष्ट्रीयकरण कर दो या ऐसा अगर नहीं कर सकती है तो उस उद्योग को पनपने देना चाहिए। यह उल्टी बात कर रहे हैं। उल्टी बात करने की आदत हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है।

श्री कल्याण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल से इस सदन में बिक्री-कर, ब्याज वाले ऋण और अग्रिम और सरकार द्वारा गठित विभिन्न निगमों के ऊपर चर्चा हो रही है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस डिबेट में बड़ी रुचि से भाग लिया। मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि सभी व्यक्तियों के भाषण उठाकर देखें, एक स्वर से सभी माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। भाषा भिन्न हो सकती है। लेकिन जिन भावों और उद्देश्यों को लेकर मैंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, कि विभाग की नीतियों की आलोचना करना और सुझाव देना, उनका सब माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है चाहे वह बिजली के उत्पादन का प्रश्न हो, चाहे वह बोर्ड के द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार हो, चाहे बोर्ड के द्वारा अपव्यय हो, चाहे बोर्ड की बकाया का प्रश्न हो, चाहे हिंडालको और कनौरिया को सस्ती दर पर बिजली देने का सवाल हो, जितने प्रश्न उठे हैं, उन सब में माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव की भावनाओं का समर्थन किया है। नैतिक दृष्टि से मेरा कटौती का प्रस्ताव पारित हो गया है। चूंकि उनका बहुमत है इसलिए निर्णय उनके पक्ष में हो जायगा। लेकिन इसके साथ मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, कि विभाग के अधिकारियों से भी निवेदन है जो भी कल और आज माननीय सदस्यों ने उपयोगी सुझाव दिये हैं उनको नोट करते हुए उन पर अमल करने की कोशिश करें।

मैं एक और निवेदन कर दूं। कल से लेकर आज तक जितने भी प्रश्न इस सदन में उठाये गये हैं इन विषयों को लेकर आप उन पर इस प्रकार व्यवस्था करें ताकि सदन आश्वस्त हो सके कि आप किसान तथा छोटे आदमी के हित में कुछ नीतियां अपनाने जा रहे हैं। जहां तक उद्योग-धन्धों को बिजली देने का प्रश्न है इस बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें दो राय नहीं हैं कि प्रदेश में उद्योग-धंधे पनपने चाहिए। इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने हिंडालको की वकालत की यह कह कर कि इससे उद्योगीकरण में सहायता मिल रही है। मैं कहता हूं कि कृषि स्वयं एक बड़ा उद्योग नहीं है? एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर हिंडालको को बिजली दे दी गयी कारखाना चलाने के लिये तो चार हजार आदमियों को काम मिल जायगा लेकिन मेरा कहना है कि अगर खेती को सुविधा दे दो और खेती के उत्पादन को बढ़ाया जाय तो 4 करोड़ लोगों को आजीविका मिलेगी। खेती को आधारभूत तथा मूलभूत उद्योग मान कर सरकार चले लेकिन उसने उसको ऐसा नहीं माना है। जब तक खेती का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक कल कारखाने नहीं चल सकते। पूंजी का प्रवाह खेती की ओर मोड़ा जाय। खेती से कच्चा माल पैदा होगा, कच्चे माल से उद्योग धंधे चलेंगे, उद्योग-धंधों से लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार से क्रय शक्ति आयेगी क्रय शक्ति से चीजों की मांग बढ़ेगी, चीजों की मांग से उचित दाम किसान को मिलेगा, उचित दाम से पंजी का निर्माण होगा। यह आर्थिक प्रगति का पूरा एक चक्र है लेकिन दुर्भाग्य से हमारी प्रदेश सरकार ने और देश की सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। कनोडिया तथा हिंडालको को अगर बिजली नहीं दी गयी तो औद्योगिक उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ जायगा, माना लेकिन अगर खेती जैसे आधारभूत और मूलभूत उद्योग को बिजली नहीं दी गयी तो

[श्री कल्याण सिंह]

उससे भी अधिक कुप्रभाव पड़ेगा और कुप्रभाव यह पड़ेगा कि कल-कारखाने नहीं चल पायेंगे । किसान खेत में सरसों नहीं पैदा करेगा तो तेल की मिल कैसे चलेगी ? कपास पैदा नहीं करेगा तो कपड़े की मिल कसे चलेगी ? गन्ना नहीं पैदा करेगा तो चीनी का कारखाना कैसे चलेगा और मूंगफली नहीं पैदा करेगा तो डालडा कहां से आयेगा ? उद्योगीकरण मूलतः निर्भर करता है कृषि के उत्पादन पर । इसलिये सरकार को चाहे जितनी कटौती अन्य उद्योगों में करनी पड़े बिजली में लेकिन किसान के लिये आज की परिस्थितियों में 24 घंटे बिजली दी जानी चाहिए ।

मेरा यह भी निवेदन है कि प्रदेश के लिये आप 25 वर्षीय मास्टर प्लान बनायें और उसमें बिजली तथा खेती की अवश्यकता का अनुमान लगायें । खपत की आवश्यकतानुसार बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करें । पूरे देश में बिजली का एक नेशनल ग्रिड जब तक नहीं बनाया जायगा तब तक किसी प्रदेश में बिजली ज्यादा हो जायगी और किसी में कम । अगर नेशनल ग्रिड बना दिया जायगा तो जहां कम होगी वहां पर बिजली उस स्थान से पहुंचा दी जा सकती है जहां पर वह ज्यादा है ।

बिजली के उत्पादन और उसकी खपत की ओर भी हम ध्यान दें । 263 लाख न्यू यूनिट प्रतिदिन बिजली की आवश्यकता है और उसका उत्पादन 230 लाख यूनिट प्रति दिन है यानी 33 लाख यूनिट की कमी प्रति दिन पड़ रही है इस कमी को पूरा किया जाय । लाइन पर 25 प्रतिशत बिजली के लास की बात कही गयी और उसके लिये 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है लेकिन उससे दो अथवा डेढ़ परसेंट लासेज की कमी पूरी होगी । इतना बड़ा एमाउंट तथा डेढ़ दो परसेंट लास उसमें बचाने की कोशिश है । इसी प्रकार विद्युत बोर्ड का 12 करोड़ रुपये का बकाया है जिसमें अकेले हिन्डलको पर 3 करोड़, कनोडिया पर 2 करोड़ तथा बड़े-बड़े अन्य कारखानों पर 7 करोड़ है । मैं सुझाव देना चाहता हूं और मांग करता हूं कि सरकार इन बड़े पूंजीपतियों पर से बकाये टैक्स की वसूली करने के लिये 18 प्रतिशत की दर से प्यूनिटिव टैक्स लगाये तभी वह वसूली हो सकती है । और तभी किसानों को सहूलियत दी जा सकती है, उनकी बिजली की दरें घटाई जा सकती हैं ।

यहां पर विद्युत परिषद् के स्टाक और स्टोर की बात आई । माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने एक सवाल उठाया कि कितने ही स्टोर्स और स्टाक हैं जिनक अन्दर करोड़ों रुपये का सामान खरीदा हुआ है लेकिन उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया गया । उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाना चाहिये । जो अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी ठहराये जायं उनके लिये दन्ड की व्यवस्था होनी चाहिये । आज प्रदेश के विद्युत बोर्ड की जो बिजली की उत्पादन क्षमता है उसके अनुसार केवल 66 प्रतिशत बिजली आप उत्पादन कर रहे हैं । इसको शत प्रतिशत किया जाना चाहिये । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा और मैं भी मांग करता हूं कि बोर्ड का गठन नये सिरे से हो जाने क पश्चात और इन्जीनियरों की मांग मान लिये जाने के पश्चात उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है और वास्तव में उनके लिये यह एक परीक्षा की घड़ी है । एक वर्ष के अन्दर उन्हें इस नये गठे हुये बोर्ड द्वारा बिजली के उत्पादन में वृद्धि करके दिखाना होगा, बिजली में होने वाले लासेज को कम करके दिखाना होगा, बोर्ड में जो अपव्यय हो रहा है उसको समाप्त करके दिखाना होगा । यदि वे इस इम्तिहान में उत्तीर्ण घोषित नहीं हो पाते तो मैं आप के माध्यम से निश्चित रूप से सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार के खून चूसने वाले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् रूपी सफेद हाथी को आप समाप्त करें और समाप्त करके सरकार इसे अपने हाथ में लें ।

आज मैं इस बात की आशा करता हूं कि जो इन्जीनियर्स हैं, जिन्हें कि आपने बोर्ड में चयरमैन बना दिया है जो मांग कि बहुत दिनों से चली आ रही थी, उसे आपने मान लिया है ऐसी स्थिति में वे प्रदेश की जनता को यह दिखायें कि इस परिवर्तन से हम बिजली के उत्पादन में कितनी वृद्धि करके दिखा सकते हैं । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन

करना चाहता हूं और जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी मांग की है कि कोई कारण नहीं है कि बड़े आदमियों को तो सस्ती दर पर बिजली दी जाय और किसानों के लिये महंगे रेट पर बिजली दी जाय। मैं मांग करता हूं कि कनौडिया और हिन्डालको को दी जाने वाली बिजली की दर बढ़ाई जाय और किसान को दी जाने वाली बिजली का रेट कम किया जाय। आप कृषि को आधार-भूत और मूलभूत उद्योग क्यों नहीं मानते हैं कृषि को भी उद्योगों की दर पर सस्ती बिजली दी जाय। नाम तो छोटों का लिया जाता है और काम बड़ों का किया जाता है। चाहे कर्मचारी हो, मजदूर हो या किसान हो इनकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बड़े अफसरों को ही ज्यादा महंगाई भत्ता दिया जाता है, सुविधायें आप बड़े आदमियों को ही, पूंजीपतियों को ही देंगे क्योंकि ये लोग आपको चुनाव लड़ने के लिये पैसा देते हैं। आप जो कर्जा देंगे वह बड़े आदमियों को ही देंगे छोटे आदमियों को और किसानों को नहीं देंगे। सरकार की यह नीति दोषपूर्ण है।

नलकूपों के विद्युतीकरण का जहां तक प्रश्न है अबतक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1,65,017 नलकूपों का विद्युतीकरण हुआ है और सिंचाई का प्रतिशत 27 और 28 है जो कि सिंचाई योग्य भूमि को देने के लिये व्यवस्था की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार आवश्यकतानुसार नलकूप नहीं लगाना चाहती है। किसान कहता है कि नलकूप लगाओ लेकिन सरकार कहती है कि लूप लगाओ। यह सरकार नलकूप ओरियेन्टेड नहीं है बल्कि लूप ओरियेन्टेड सरकार है। नलकूपों पर जोर नहीं है। नलकूपों से उत्पादन बढ़ेगा। लूप की बात छोड़ दीजिये। एक इन्सान जब पेट लेकर पैदा हुआ है तो भगवान ने उसे दो हाथ भी दिये हैं और इस तरह की योजना कर दी है कि वह दोनों हाथों से काम करके अपना पेट भर सकने में सक्षम हो सके। आवश्यकता है केवल सही योजना बनाने की जहां तक रोस्टरिंग का प्रश्न है आप किसानों को पूरी बिजली नहीं दे रहे हैं। मीटर सिस्टम के बारे में मेरी निश्चित मांग है कि सरकार के इस मीटर सिस्टम में बड़ी भारी चोरी हो रही है। आपके विभाग के कर्मचारी जो औजार लेकर चलते हैं मीटर को बैक करते हैं वे ईमादार से ईमानदार उपभोक्ता को बेईमानी करने को विवश करते हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि जैसे हरियाना के अन्दर किया गया है उसी प्रकार से अपने प्रदेश के अन्दर भी मीटर सिस्टम को समाप्त करके प्रति हार्स पावर के हिसाब स एक निश्चित शुल्क लगा दीजिये, इससे सरकार के रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी और चोरी भी रुक जायेगी।

इस प्रदेश के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी की कुछ डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनियां भी चल रही हैं जिनको सरकार सस्ते दामों पर बिजली देती है और वे उपभोक्ता को ज्यादा दामों पर बिजली देती हैं। मैं नहीं समझ पाया कि आज भी ऐसे बिचौलियों, डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनियों का क्या आवश्यकता रह गयी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार की प्राइवेट कम्पनियों का सरकारी-करण किया जाना चाहिये और सरकार उनको अपने हाथों में ले। जो व्यावहारिक कठिनाइयां उपभोक्ताओं के सामने आज आ रही हैं वे यह हैं कि आपका करेंट कम जाता है, दूसरी ओर आपके विभाग के कर्मचारी इतने भ्रष्ट व बेईमान है कि अगर कोई 100, 200 रुपये लाइन इन्सपेक्टर को दे आता है तो उसके फीडर को खोल दिया जाता है और जो नहीं देता है उसके फीडर को बन्द कर दिया जाता है। सरकार को चाहिये कि इसके लिये प्रत्येक स्टेशन या सब स्टेशन पर एक रजिस्टर मेनटेन करे जिसमें सारी चीजें दर्ज हो कि किस फीडर को कम दिया गया और किस फीडर को ज्यादा किया गया और जिस फीडर को कम दिया गया उसके लिये संबंधित कर्मचारी से जवाब-तलब किया जाय कि उसे कम क्यों दिया गया। जहां तक ट्रांसफार्मर की चोरी का प्रश्न है, आज ट्रांसफार्मर की चोरी की हालत बहुत खराब है। इसका कोई रजिस्टर मेनटेन नहीं है कि कौन

[श्री कल्याण सिंह]

ट्रांसफार्मर कब चोरी गया। इसका नतीजा यह होता कि यदि कंज्यूमर ने जाकर लाइनमैन या इंस्पेक्टर को कुछ पैसा दे दिया तो जिसका ट्रांसफार्मर बाद में चोरी गया उसको तो पहले ट्रांसफार्मर मिल जाता है और जिसका पहले चोरी गया उसको बाद में ही मिल पाता है। इस प्रकार की जो अव्यवस्था है उसकी ओर भी आपको ध्यानदेना चाहिये।

बिक्री कर के संबंध में भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके ऊपर पिछले दो दिनों से इस सदन में चर्चा हो रही है। मेरी मांग है कि बिक्री कर कानून को, बिक्री कर नियमों को और अधिक सरल बनावें। जूते बनाने वाले जो छोटे-छोटे कारीगर हैं उनके ऊपर भी आप सेल्स टैक्स लगाते हैं। मेरी मांग है कि जूते बनाने वाले इन छोटे कारीगरों को आप सेल्स टैक्स से मुक्ति दें। साथ ही टैक्स बहुसूत्रीय के स्थान पर एकसूत्रीय होना चाहिये। जो छोटे-छोटे और आवश्यक उद्योग धंधे चल रहे हैं, जसे बकल्स की इंडस्ट्री है, सभी जानते हैं कि आज कल बिना बकल्स के किसी का काम नहीं चल सकता, तो इस बकल्स इण्डस्ट्री को प्रायरिटी लिस्ट में घोषित करें। जहां तक एरियर्स व कर वंचन है उस पर आपके विभाग के कर्मचारियों को बड़ी निगाह रखनी चाहिये और जो कर्मचारी टैक्स का एवेजन करने में व्यापारियों का साथ दें उनको कड़ा दंड भी देना चाहिये अगर कोई करवंचना करने वाले को आर्थिक दंड के साथ अन्य सजा भी दें और कोर्ट में अपील करता (इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।) बिक्री कर के विवादग्रस्त धनराशि पर सामान्य न्याय के अनुसार 50 प्रतिशत तक स्टे कराने की उसे सहूलियत होना चाहिये। बाद में माफ हो जाय तब तो कोई बात ही नहीं वरना खिलाफ फसला होने पर उससे 50 प्रतिशत टैक्स व्याज सहित वसूल किया जा सकता है। सेल्स टैक्स विभाग में भी जुडीशियल और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग किया जाना चाहिये। क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर (जे) बिक्री-कर आयुक्त के अधीन है जिससे व्यापारियों को सामान्य न्याय नहीं मिल पाता।

जो नयी मदों की चर्चा है, उनमें वाटर सप्लाई है, और सिवरेज के लिये 2 करोड़ 28 लाख रुपये का प्राविधान है। आज भी प्रदेश में पीने के पानी के बड़ी भारी किल्लत है। आपने कोई प्लान तैयार नहीं किया। छोटे-छोटे उद्योगों को चलाने के लिये आप कर्जा दे रहे हैं। लेकिन वह कर्जा इतना कम होता है कि उससे सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सकता है। मैं मांग करता हूं कि आप एक ऐसी योजना बनावें जिससे सबको काम मिल सके। "इम्प्लायमेंट ओरियेन्टेड प्लान बने", "प्रोडक्शन ओरियेन्टेड इम्पलायमेंट हो", "फंडामेंटल नैसेसिटीज ओरियेन्टेड प्रोडक्शन हो", "मास ओरियेन्टेड नैसेसिटीज हो" यह चार मूलभूत बातें हैं। इन पर ध्यान देने से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, रोजगार का भी अवसर मिलेगा और [illegible] दूर होगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है और अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं उनको धन्यवाद देता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी उनमें से एक-एक का उत्तर देंगे और विद्युत परिषद्, सेल्स टैक्स का अन्य निगम के संबंध में निगम तो श्रीमन्, इतने बना दिये हैं कि सरकार का उनके ऊपर से नियंत्रण हट रहा है। कितना ही पैसा व खर्च कर रहे हैं लेकिन उनको कोई गम नहीं है, इस सरकार को भी कोई गम नहीं है, यह अनाप शनाप अपव्यय कर रहा है इस प्रकार यह बेलगाम सरकार हो गई है। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, कल से बिक्री-कर और ऋण के संबंध में जो प्रस्ताव हैं, उन पर विचार हो रहा है। मैं सर्वप्रथम अपने साथी माननीय कल्याणसिंह जी को बधाई देता हूं कि कल जो उन्होंने भाषण दिया वह काफी अच्छा था और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने आंकड़े आदि देने का प्रयास किया और तथ्यों के आधार पर आलोचना करने का प्रयास किया। बहुधा ऐसा होता है कि हम लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आम बात कह देते हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं होती है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जो उन्होंने आंकड़े दिये हैं वह सही हैं। लेकिन इतना कहने की मुझे अनुमति दें कि जो उन्होंने उनसे निष्कर्ष निकाले उनमें थोड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आ गया और विरोधी दलके सदस्य होने के नाते तथा विरोधी दल के स्पोक्समैन होने का दृष्टिकोण सामने आ गया। मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो राजनीति से संबंधित नहीं है और वे ऐसे प्रश्न हैं जो आज सार्वदेशिक और सर्वकालिक हो गये हैं।

क्या हम इस बात को नहीं जानते है इनर्जी शार्टेज यानी शक्ति की कमी, आज न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि सारे प्रदेश में है। क्या हम नहीं जानते कि शक्ति की कमी....

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

जो दो भावों पर यह बिजली देते हैं क्या उनमें राजनीतिक मामला नहीं है चन्दा लेने की गरज से यह होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं कहां की कह रहा हूं और माननीय सदस्य कहां की कह रहे हैं। मैं कह रहा था कि आज शक्ति की कमी एक विश्व व्यापी स्थिति है, एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, जब कि अमेरिका कुवैट के साथ संधि कर रहा है। साइबेरिया से गैस लाखों मिलियन के टैंकों में अमेरिका जायगी। अमेरिका जसे देश में भी इनर्जी की शार्टेज है। साइबेरिया से गस खरीद कर उसको लिक्वीफाइड करके टैंकों में वहां ले जाने की बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप की जानकारी के लिये मैं इतना बता दूं कि जहां तक अमरीका म बिजली के उत्पादन और खपत का प्रश्न है वहां अकेले शिकागो में जितनी बिजली खर्च होती है उतनी पूरे भारत में आज भी खर्च नहीं होती। आप वहां की मिशाल दे रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं बता रहा था कि आज बिजली की कमी तो दुनियां भर में है। लेकिन आज भी वह स्थिति नहीं है जैसी कि जायसवाल जी ने बतायी, वह 7–8 पहले की स्थिति है, मैं तो यह कह रहा था कि हमारे यहां का उत्पादन अमरीका और रूस जैसे प्रगतिशील देशों की तुलना में कम है शताब्दियों से हमारा देश पिछड़ा रहा है और इतिहास इसका साक्षी है। लेकिन उसके बाद आज इस 25 साल की पृष्ठ भूमि में कोई चमत्कार या छूमन्तर करना तो हमारे लिये संभव नहीं है सदन के और हमारे पूर्ववर्ती साथियों के सहयोग से उस पर हम आज विनम्रभाव से गर्व कर सकते हैं। आपके सहयोग से सरकार ने इधर जो 2–1 वर्ष में इस दिशा में करने की चेष्टा की है, अगर यह सूखा न पड़ा होता और बिजली की देश व्यापी कमीं न हो गयी होती तो पिछले साल जो कुछ हुआ है उस पर बहुत विनम्रभाव से मैं कहूंगा कि हम गर्व कर सकते थे। परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि सूखे के कारण हम बिजली की कमी महसूस कर रहे हैं। इस दिशा में जो कुछ हमारा प्रयास हुआ है वह भी किसी से छिपा नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आप इस पर प्रचार के दृष्टिकोण से विचार करें लेकिन जो कुछ भी यहां पिछले दो वर्ष में बिजली के संबन्ध में हुआ है वह सब आपके सामने है।

कर्मचारियों के संबन्ध में जो कदम उठाया गया है जिसकी मांग कई साल से थी क्या यह प्रगति नहीं है यह क्या सही नहीं है कि जो संघर्ष इस बीच में तीन चार हुये, हड़तालें हुई जिसका

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कुप्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ा, उन सब समस्यायों का शान्तिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया गया। इस तरह से हर स्थिति का एक सन्तोषप्रद हल निकालने की चेष्टा की गयी। क्या यह भी सही नहीं है कि बिजली बोर्ड की जो आज की योजनायें हैं वह प्रदेश में बिजली के उत्पादन की गति को दुगुना और तिगुना बढ़ाने वाली हैं और अगर सदन का सहयोग रहा तो आप देखेंगे.....

श्री राम बचन (जिला आजमगढ़)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आपने अपने यहां इतनी जोर से बिजली बढ़ाई है आपने हमारे सहयोग से और अपने परिश्रम से तो इतना सब होने के बावजूद आज आप किसान को केवल 6 घंटे ही बिजली देते हैं और शहर वालों को उससे दुगुने-तिगुने समय तक देते हैं तो क्या कारण है कि जब अब मड़ाई का, गन्ना बोने का और जायद का समय है तो आप बिजली किसान को पूरे समय नहीं दे रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय राम बचन जी से कहूंगा कि वह कोई चौपाई ही पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोतीलाल देहलवी—

चौपाई मैं पढ़े देता हूं:

"खाने को वाद, पहनने को निरोध,
सरकार कहती है मत करो विरोध।"

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप इसको मानते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आज हमारे यहां नरौरा और टेहरी बांध से बिजली के उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक बिजली के परकेपिटा कन्जम्पशन कम होने की बात है, जब पर केपिटा उत्पादन ही कम है तो पर केपिटा कन्जम्पशन तो कम होगा ही। उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमारी पूरी चेष्टा है। नरौरा का एटामिक विद्युत गृह स्थापित हो रहा है और पहली बार 200 मेगावाट की दो मशीनें इम्पोर्ट कर के 3 साल के लिये एक क्रैश प्रोग्राम चालू किया जा रहा है। एक तरफ ओबरा में जो एशिया का सब से बड़ा थर्मल विद्युत गृह है, बनने जा रहा है और 5–6 साल में वहां पर 1500 मैगावाट बिजली उत्पादित हो जायगी। कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में कहा कि ओबरा में ही नहीं होनी चाहिये। एक ओर तो ओबरा में इतनी मैगावाट बिजली पैदा होगी और दूसरी ओर गोरखपुर में 400 मैगावाट बिजली पदा होगी। टिहरी में विद्युत गृह तैयार होगा जो सिंचाई और बिजली दोनों की आवश्यकता को पूरा करेगा हरिद्वार और ऋषिकेश के लिये 1–1 करोड़ रुपया रखा गया है ताकि जल विद्युत के जरिये 100 मगावाट के लगभग बिजली प्राप्त की जा सके। इसके लिये मेंशिनरी का आर्डर भी दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखंड में परीक्षत डैम पर 400 मैगावाट पैदा करने का अनुमान है। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर बिजली उत्पादन के लिये प्रोग्राम्स बनाये हैं अगर हमें मशीनें ठीक समय पर मिल गयीं और सारी सामग्री के लिये धन जुटा पाये तो जो इस समय हमारा जैनेरेशन कम है वह कुछ हद तक पूरा कर सकेंगे। तो यह समय आलोचना का नहीं है बल्कि संकल्प का भी है।

कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था कि क्या हम इतना रुपया जुटा सकेंगे ? हमने योजना में 7 हजार करोड़ का प्राविधान किया है और हम पूरी शक्ति से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी योजना

स्वीकृत हो जाय। साढ़े 12 सौ करोड़ योजना में अपनी ओर से शेष 5 करोड़ बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से जीवन बीमा से प्राप्त करेंगे। सबसे जरूरी पैसे का साधन है इसलिये हम चाहते हैं कि हमें सदन का पूरा सहयोग मिले। मैं माननीय नेता विरोधी दल और माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी का बड़ा अनुग्रहीत हूं कि वे लोग फाइनेन्स कमीशन से मिले और कहा कि जो सरकार ने फाइनेन्स कमीशन के सामने मांगें रखी हैं, वे ठीक हैं और वे उनका समर्थन करते हैं। यह भावना बनी रहनी चाहिए और ऐसे प्रश्न जिनमें हमें अधिक से अधिक धन जुटाना है और अधिक से अधिक धन इस प्रकार के कमीशनों से प्राप्त करना है, उस पर हमें सामूहिक तरह से काम करना है। आज यह आवश्यकता है कि हम सब मिलकर एक ऐसा प्रयास करें जिससे बिजली की कमी दूर हो। हमारे यहां पर थर्मल बिजली का ज्यादा प्रतिशत है। 30 प्रतिशत हाइडिल की बिजली है 67 प्रतिशत थर्मल बिजली है। हरियाणा और पंजाब में 75 प्रतिशत कट हुयी है और हमारे यहां यह 40 प्रतिशत है। उसका कारण यह है कि उनके यहां पर 90 प्रतिशत हाइडिल की बिजली है। अब थर्मल बिजली और अणु बिजली का ही भविष्य है। पीकिंग के समय ही हाइडिल का इस्तेमाल होता है तो भविष्य में हमें सोचना है कि किस प्रकार का कार्यक्रम बनाये जाय। चारों ओर बिजली की मांग है चाहे वह कोल्ड स्टोरेज हो, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिये हो, सीमेंट हो, खाद हो, एल्युमुनियम का कारखाना हो, उद्योग हों, स्टील मिल्स हों, हर तरफ से आवश्यकताओं का दबाव पड़ता है। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस दबाव का कई बार मुकाबिला किया। जो 40 प्रतिशत का कट हुआ तो शहरों में बन्द हो गये, लखनऊ, कानपुर बन्द हुआ। मजदूर संगठनों से कहा जा रहा है कि तुम घेराव करो। मजदूर यूनियन द्वारा जब ले-आफ होता है, तो वह भी परेशानी होती है। मजदूर पर असर आता। मजदूरों की रोटी पर असर आता है, उनकी छटनी का प्रश्न आता है। तो इस प्रकार से तमाम सारे दबाव हमारे सामने आते हैं। हमें सामञ्जस्य करना है। सामञ्जस्य इस प्रकार से करना है कि खेती को प्राथमिकता दी जाय। खेती को प्राथमिकता देते हुये इस प्रकार बिजली का वितरण किया जाय कि जिससे उद्योग धंधे भी बंद न हों, मजदूरों को भी काम मिलता रहे और . .

श्री पारसनाथ सिंह—

माननीय तिवारी जी ने मान्यवर, अभी खेती को प्राथमिकता देने के बारे में बात कही। मान्यवर, इस समय देहात में सिंचाई और मड़ाई, दोनों काम चल रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी शहरों के बराबर गांव में भी बिजली देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं अपने विद्वान मित्र से आग्रह करूंगा कि यह ऐसा प्रश्न है कि जिस पर सीधा उत्तर 'हां' या 'नहीं' में देना किसी भी विद्युत् मंत्री के लिये संभव नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि 24सों घंटे हर ग्राहक को बिजली दी जाय। सवाल यह है कि जब इतनी बिजली उपलब्ध नहीं है, तब हमें बंटवारा करना होता है। इसलिये इस लक्ष्य को इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुये विद्युत् बोर्ड को सरकार ने निर्देश दिये हैं कि वह बिजली का बंटवारा करें।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांव में बिजली जा नहीं रही है, लेकिन बिल बराबर आ रहे हैं, तो किसानों पर दुहरी मार न पड़े, क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बिना बिजली के बिल कैसे जा सकते हैं? वे पुराने बिल होंगे।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

सर-चार्ज अभी तीन रुपये है, सरचार्ज में कमी नहीं है, लेकिन बिजली कवल 6 घंटे मिल रही है, तो क्या सर-चार्ज में कमी करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं निवेदन कर रहा था कि अभी-अभी कल ही एक प्रश्न क उत्तर म मैंने कहा और शुरू में भी कहा कि नये कनेक्शनों को जून तक के लिये उद्योगों के क्षेत्र में बंद किया गया और खेती के क्षेत्रों में, ट्यूबवेल, हरिजन-बस्तियों के लिये रास्ता खोला है । इससे स्पष्ट है कि हम खेती के लिये प्राथमिकता दे रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

खेती के लिये रास्ता छोड़ दें, उसके बाद दूसरा रास्ता छोड़ें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

कई बार हिन्डालको के बारे म शासन की नीति के बारे में मैं स्पष्ट कर चुका हूं । मैं अपने सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि हिन्डालको के प्रश्न पर इतनी बार चर्चा हो चुकी है, और सरकार की नीतियां इतनी स्पष्ट हैं कि उनके बारे में बताना उचित नहीं ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

दीक्षित जी ने जो प्रश्न उठाया कि तीन रुपये सर-चार्ज लगा दिया है, उसका सीधे-सीधे जवाब देना चाहिये था । जब बिजली नहीं मिलती तो सरचार्ज में कमी होनी चाहिये, अगर वाकई किसानों का फायदा चाहते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

हिन्डालको जो है, उस पर जो बकाया है, उसकी कुर्की से वसूली क लिये और विस्थापितों के लिय, हाईकोर्ट में मामले चल रहे हैं । बार-बार इसके बारे में प्रश्न भी हुये हैं और मैंने विनम्रता-पूर्वक स्पष्ट भी किया है । हिन्डालको के लिये वही व्यवहार किया गया है, जैसे एक बकायेदार के लिये होता है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

3 करोड़ रुपया ड्यूज कैसे हो गया.....

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आज माताटीला, खटीमा, यमना हाइडिल और रिहन्द अपनी पूरी क्षमता पर नहीं चल रही ह। इसके अलावा हमारे प्रदेश में 2 स्थान पर हरदुआगंज और ओबरा में मशीनें ओवर-हाल पर हैं और आशा है कि 10-14 दिन में वापस आ जायेंगी, इस वजह से कमी है । माताटीला आदि तो पानी की कमी के कारण नहीं चल रही हैं । इसके अलावा जो दूसरे प्रदेशों से बिजली मिलती थी वह भी मिलनी बन्द हो गई क्योंकि वहां भी बिजली की कमी होगी--मध्य प्रदेश में ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

आप किसी बात का उत्तर देते नहीं, पैंतरेबाजी कर रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस बिजली के उत्पादन की कमी के बार में मैंने यह सूचना दी और भी जो बनियादी कमी है वह भी आपके सम्मख है, हमें कोई बात छिपानी नहीं है । पिछले वर्ष, जसा एक सम्मानित साथी ने बताया कि सब से अधिक उत्तर प्रदेश में गांवों में विद्युतीकरण हुआ । पार्लियामेंट में जब सवाल हुआ तो यू० पी० का नाम पहले था । यू० पी० में 3 हजार गांवों में विद्युतीकरण हुआ.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

परसेन्टेज में कौन ज्यादा है ? हरियाणा ज्यादा है ।

श्री कल्याण सिंह—

आपके ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा क्या है, आप किस प्रकार मानते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दूसरी चीज यह है कि हमने इस बात का प्रयास किया कि वित्तीय संस्थाओं से विद्युत् परिषद् को और अधिक रुपया प्राप्त करें । सन् 1970–71 में 8 करोड़ 31 लाख रुपये का ऋण बकों, एल0 आई0 सी0 से प्राप्त किया । सदन को यह जानकर खुशी होगी कि सन् 1971–72 में यह धनराशि बढ़कर 51 करोड़ 67 लाख हो गई और इस वर्ष अभी तक जो आश्वासन मिले हैं उसके हिसाब से 49 करोड़ 65 लाख रुपये मिलेंगे और प्रयास हो रहा है कि संस्थागत वित्त से किस प्रकार मशीनों की खरीदारी करें । अकेले मशीनों के लिये 800 करोड़ रुपये की जरूरत होगी और यह रुपया कहां से आयेगा इसका भी प्रबन्ध करना होगा । यह कोई आसान बात नहीं है ।

श्री मलिखान सिंह—

और यह बोर्ड घाटे पर जायेगा और बराबर घाटे पर चलता रहेगा, क्या इसके रोक-थाम के लिये भी कुछ उपाय कर रहे हैं ताकि इन रुपयों का प्रापर यूटीलाइजेशन हो सके ।

श्री राम बचन—

आप इन्जीनियर्स की तनखवाह और बढ़ा दीजिये घाटे में कमी हो जायेगी ।

श्री नारारणदत्त तिवारी—

आप बढ़ाने का बिरोध कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

30 हजार रुपया प्रधान मंत्री पर खर्च होता है वह कम हो जाय तो घाटे में कमी आयेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके नाम के आगे 'देहलवी' लगा हुआ है इसलिये आपने दूसरे प्रदेश की बात कर दी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यबर, इस घाटे को कम करने के लिये प्रयास हो रहे हैं । मान्यवर, वार्षिक विवरण-पत्र में पूरी सूची सम्मानित सदस्यों ने देखी होगी उसमें काफी विस्तार से लिखा हुआ है कि प्रयास किये जा रहे हैं और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव समय समय पर दिये हैं उनका भी निरूपण हैचाहें वह इन्वेन्ट्री कन्ट्रोल हो । इंवेन्ट्री कंट्रोल के बारे में यह कहा गया था कि सरप्लस है । कुल 52 करोड़ की इंवेन्ट्री विद्युत् परिषद् की है जिसमें जनरेटिंग इक्विपमेन्ट और स्पेयर्स शामिल हैं । जो सर्विसएबुल हैं वह 5 करोड़ 29 लाख और जो अनसर्विसएबुल हैं वह 3 करोड़ 31 लाख हैं । 40 करोड़ नहीं है जैसा कि अखबारों में छप गया था । जो अनसर्विसएबुल है उसके लिए वैज्ञानिक ढंग से सोच रहे हैं कि अगर दूसरे विभागों में जरूरत है तो उनको डिस्पोज आफ किया जाय । जहां

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तक सर्विसएबुल स्टोरी है उनके लिए पृष्ठ 22 पर लिखा हुआ है । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक परचेज बजट होगा और इसी तरह से हर एक सरकिल के लिए परचेज बजट बना दिया जायेगा । इसके लिए 11 करोड़ का सस्पेन्स एकाउन्ट क्रिएट किया गया है । यह एक नया तरीका है जिससे इंवेन्ट्री कंट्रोल में आसनी होगी । साथ ही कंप्युटर्स इस्तेमाल करने का विचार है । जो बड़े-बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन्स हैं वहां कम्प्युटर्स से बिलिंग बहुत अच्छी हुई है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इससे छटनी तो नहीं होगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी नहीं । नये आदमियों को काम मिलेगा । इस समय लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में डेटा प्रोसेसिंग मशीन और पंचिंग मशीन के जरिये कार्ड बन रहे हैं । हम यह आदेश दे रहे हैं कि जहां ज्यादा ट्यूबवैल्स हैं जैसे पश्चिमी जिलों में तो वहां इस तरह से बिलिंग करायी जाय जिससे कि बिल जल्दी बन सकें । प्लानिंग कमीशन के सहयोग से लाइनों पर लास को कम करने के लिए कैपेसीटर्स लगाये जा रहे हैं । मोबाइल स्क्वैड्स भी बनाये गये हैं । तांबे के तारों की जगह एल्मुनियम के तार बना रहे हैं क्योंकि ट्रान्सफार्मर्स की ज्यादा चोरी होती थी। सब स्टेशंस भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं जिससे कि ट्रिपिंग कम हो क्योंकि लम्बी लाइनों में ट्रिपिंग ज्यादा होती है । सब-स्टेशंस के ज्यादा होने से नियंत्रण भी ठीक हो सकेगा । इसी प्रकार मीटर पर बिजली की चोरी होती है उसके लिए कुछ सुझाव माननीय सदस्यों के आये और चन्द्रभान शर्मा जी ने एक अच्छा सुझाव दिया हरियाणा और पंजाब की तरह क्यों न फ्लैट रेट ले लिया जाय । इस पर हम विचार करेंगे ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

जल्दी ही विचार कीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां । भण्डारों के पुनर्गठन करने की बात है तो यह पृष्ठ 22 पर है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जिस तरह से नहर विभाग में मैजिस्ट्रेट होते हैं और नहर से सम्बन्धित जितने जुर्म होते हैं वे उनका फैसला कर देते हैं तो क्या उसी तरह से बिजली विभाग में भी कुछ करने पर विचार करेंगे ? यहां भी बिजली की चोरी होती है, ट्रांसफार्मर्स की चोरी होती है तो इसके लिए नहर विभाग में जिस प्रकार है उसी तरह का कोई संगठन बनाने पर विचार करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह बड़ा अच्छा सुझाव है । इस पर विचार होगा ।

दूसरी योजना भण्डारों के पुनर्गठित करने की है । 349 स्टोर्स हैं । इनको 12 सेन्ट्रल स्टोर्स में विभाजित करने का काम शुरू हो गया है--लखनऊ से काम शुरू हो गया है । बिलिंग की भी योजना शुरू हो गयी है । लेखा संगठन के पुनर्गठन की भी योजना है । ये थोड़े से प्रयास विद्युत् परिषद् में हुए हैं । अगर वातावरण अच्छा रहा तो बहुत कुछ सुधार हो सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक स्पष्टीकरण चाहूंगा । माननीय मंत्री जी यह आश्वासन दे दें कि कृषकों को बिजली पूरी दी जायेगी, मजदूरों में छटनी नहीं होगी और एमरजेंसी इंस्टेलेशन्स जैसे वाटर वर्क्स की बिजली बन्द नहीं होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं तो स्पष्ट आश्वासन दे सकता हूं कि माननीय नित्यानन्द स्वामी जी को पूरी बिजली दी जायेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मुझ को तो अंधकार में रख लीजिए । मेरे पास तो दीपक है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इमरजेंसी इंस्टेलेशन्स को तो पहले से ही बिजली दी जा रही है । अगले एक–दो महीने और कठिनाई के हो सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वाटर वर्क्स में बीच–बीच में बिजली बन्द हो जाती है । आप तीन डेफनिट आश्वासन दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह भी तय किया गया है कि जो लोग अपने जेनरेटर्स लगाना चाहेंगे उन्हें प्रोत्साहन दिया जायेगा । पावर लूम्स वाले अपने जेनरेटर्स लगा रहे रहे हैं । यू0पी0 फाइनेंशियल कारपोरेशन 50,000 0 तक ऋण दे रहा है जेनरेटर्स के लिए । जो कारखाने वाले अपने जेनरेटर्स लगायेंगे उनकी ड्यूटी में भी कमी करने के लिए कहा गया है । ऋण में सब्सिडी की भी गुंजाइश है । वह प्रस्ताव भी सामने है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अगर लाइट में कमी हो जाए या वाटर वर्क्स में कम दी जाये वह तो बर्दाश्त हो सकता है लेकिन अप्रैल, मई, जून में खेती के लिए बिजली में कमी न की जाए ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

खेती में कोई कमी न हो, हम यही प्रयास कर रहे हैं । 12 घन्टे बिजली देने के आदेश हुए हैं । इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये प्रयास प्रभावी रहें ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

जब तक आप किसान को बिजली न दें तब तक हिंडालको को किसी मशीनरी के टेस्ट करने के लिये एक्सट्रा बिजली नहीं देंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

क्या आप खाद्यान्न के राष्ट्रीयकरण का स्वागत करते हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हिंडालको का राष्ट्रीयकरण करिए । आप राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, सरकारीकरण न करिए, हम स्वागत करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आप राष्ट्रीयकरण के हामी कब से हो गये ?

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं अपने सम्मानित मित्रों से आग्रह करूंगा कि उन्होंने तथ्य तो बहुत दिए लेकिन सही निष्कर्ष निकाल लें और बिजली के मामले में कटौती न करें। उन्होंने सुझाव तो बढ़ोत्तरी के दिए। श्रीमन्, कटौती का प्रस्ताव करना तो बड़ा अन्याय होगा। ज्यादा न कह कर इतना ही आग्रह करूंगा कि हम सब यही प्रयास कर रहे हैं कि बिजली में कटौती न हो इसलिय बजट में भी कटौती नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत अनुदान को स्वीकार करें।

श्री कल्याण सिंह--

मुझे केवल 1 मिनट दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 4 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या 4—बिक्री कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,70,42,800 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 53 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,01,87,700 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6---स्टाम्प, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,21,500 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या 7-निबन्धन, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,38,100 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या 8-राज्य विधान मण्डल, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,11,600 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39---अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5, 11, 54, 500 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थितकिया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51---पेंशनों का राशि मूल्य, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,48,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं । उनमें से 3 हमने स्वीकार की हैं । एक तो माननीय त्रिवेणी सहाय की है---दिनांक 15-3-73 को मनकापुर थाना, जिला गोंडा में श्री राम प्रसाद वर्मा की पुलिस हिरासत में मृत्यु । इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है ।

दूसरी माननीय दुर्जन भाई और माननीय रूपनाथ सिंह यादव---ग्राम शिव, थाना विसंडा, जिला बांदा के हरिजन पर अत्याचार से एक हरिजन की मृत्यु । इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया ।

[श्री उपाध्यक्ष]

तीसरा है श्री मलिखान सिंह---मैनपुरी जिले के कस्बा कुरावली में झारखण्डेश्वर शिवालय के रास्ते में ताजिया दफनाने की अनुमति---इसको भी वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है ।

शेष अस्वीकृत हैं ।

एक श्री सुरेन्द्र विक्रम और श्री राम विलास पांडेय का---शाहजहांपुर की तहसील तिलहर परगना खेड़ा-बझेरा तथा बरेली के तहसील फरीदपुर के समीप के गांवों में जंगली गायों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाना । इस पर अल्पसूचित प्रश्न करें ।

दूसरा, श्री कल्पनाथ सिंह---गोरखपुर जिले के महुवामार इन्टर कालेज के प्रिंसिपल को पुलिस की साजिश से गोली मारना । इस पर भी अल्पसूचित प्रश्न करें ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

इस पर तो बयान करवा दीजिये । प्रिंसिपल ही मार दिया जायगा तो क्या पढ़ाई होगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

पहले अल्पसूचित कर लें, फिर देखा जायेगा ।

तीसरा माननीय नित्यानन्द स्वामी---प्रदेश के इंटर्न द्वारा मूक प्रदर्शन, ऐसा ही माननीय राम गोपाल सण्ड का है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मूक इसलिए है कि पढ़े-लिखे लोग हैं, शोर क्या मचायें ? इस पर सवाल तो एलाऊ कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

हां ।

अब माननीय शम्भूनाथ चौधरी का है---बलिया जिले में बढ़ते हुए अपराध । तो पुलिस बजट पर आपको मौका मिलेगा बोलने का ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

23 तारीख से 4 हत्याएं हुई हैं 4-5 रोज के अन्दर तो बोल कर क्या करेंगे ? एक आदमी की हत्या करके हाथी से रौंदा गया है । तो इस पर आप गम्भीरता से विचार करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब पुलिस बजट आ रहा है तो उस समय आप इस अपराध की सामान्य स्थिति के बारे में कह सकते हैं । पुलिस बजट न होता तो बात दूसरी थी ।

छठा, श्री पारसनाथ सिंह तथा श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी का है---प्रदेश में भारी संख्या में अस्त्र-शस्त्र का बरामद होना । इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं ।

शाहजहांपुर के चार विधायकों तथा दो भूतपूर्व विधायकों को पुलिस अधीक्षक तथा सी० ओ०, तिलहर से खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष जी, अभी एक प्रश्न बिधान सभा में उठा था कि शाहजहांपुर के वर्तमान विधायकों ने और दो भूतपूर्व विधायकों ने वर्तमान पुलिस अधीक्षक पर कुछ गम्भीर आरोप, भ्रष्टाचार आदि के लगाये थे और यह भी कहा था कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक तथा सी० ओ०, तिलहर से हमारी जान को खतरा है। राज्य सरकार ने जो उत्तर दिया था वह भी सन्तोषजनक नहीं था। उत्तरों में कहा गया था कि डी० आई० जी० से इंक्वारी करायी गयी और यह निराधार पाया गया। संभव है, उन्होंने जांच की हो लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि किसी भी विधायक से, जिनको शिकायत थी और शिकायती-पत्र दिया था उनसे न तो परसनली और न किसी प्रकार से भी पूछा गया,कोई इंक्वायरी उनसे नहीं की गयी।

दूसरी बात यह है कि जो पत्र माननीय राज गृह मंत्री ने हमारे माननीय सदस्य श्री केशव चन्द्र और श्री राम मूर्ति अंचल को पढ़ कर सुनाये, वह पहले के थे। 8—9 पत्र उसके बाद भी माननीय मुख्य मंत्री और राजगृह मंत्री और गृह सचिव महोदय, आई० जी० और राज्यपाल महोदय को और यह यहां तक कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर को भी लिख कर दिये। केशव चन्द्र सदन में मौजूद हैं। यहां तक आरोप लगाया है कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक यही नहीं कि शासक दल के प्रभाव में हैं वह वहां की पार्टीबन्दी में पड़ गये हैं और दरोगाओं से कहते हैं कि विधायको की खिलाफत करो। यही नहीं, बाहर भी आरोप लगाये गये इस सदन के जो कि सर्वोच्च न्यायालय है। भूतपूर्व विधायक, रफी खां जब विधायक थे और तत्कालीन ठाकुर हर गोविन्द सिंह पुलिस मंत्री थे तो वर्तमान अधीक्षक सीतापुर में थे। उस समय ग्राम सुरक्षा समितियों में लाखों रुपये चन्दे के रूप में वसूल किये गये थे, गड़बड़ी की गयी, रिश्वत ली गयी। उसकी लिखित शिकायत मुहम्मद रफी खां ने ठाकुर हर गाविन्द सिंह से की थी।

हर गोविन्द सिंह ने उसको विजिलैन्स से जांच के लिये दिया था। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी लिखा था कि यही नहीं कि ग्राम सुरक्षा समितियों का यह रुपया हड़प लिया गया है बल्कि यह भी लिखा था कि अपना मकान बनाने के लिये इन्होंने सीतापुर से ट्रकों में सीमेंट, लोहा और दूसरा मकान बनाने वाला सामान सीतापुर से लदवा कर फतेहपुर में भेजा है और वहां उनकी आलीशान बिल्डिंग उस सामान से खड़ी है। सी० बी० आई० की इन्क्वायरी का जब आदेश दे दिया था तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि उनको फिर पुलिस मेडल कैसे मिल गया। यह वही पुलिस अधीक्षक हैं जब यह अलीगढ़ में तैनात थे और संविद सरकार में चौधरी चरणसिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने वहां पक्षपात फैलाया जिसकी वजह से वहां दंगे हुए थे और चरण सिंह जी ने उनको जिम्मेदार ठहराया था और उनकी ऐडवर्स एन्ट्री दी थी और गृह सचिव को लिखा था कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। एक और बात है, मैंने अल्पसूचित प्रश्न भी दिया है जो कल आ रहा है कि यह पोलिटिकल सफरर बन कर पेंशन पा रहे हैं जबकि जेल एक दिन भी नहीं काटी। यह भी एक अजीब बात है। वह बड़े घमण्ड से प्रचार करते हैं कि हमसे ज्यादा कोई ईमानदार नहीं है जबकि असलियत यह है कि उनके बारे में जितनी बातें कही गई या लिखी गयीं, संभव है कि हमारे बारे में भी उन्होंने कुछ शिकायत की हो, उनकी एक खास आदत है कि जो विधायक होता उसके खिलाफ दरोगा से लिखवा लेते हैं, हो सकता है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

दरोगा से हमारे खिलाफ, राममूर्ति अंचल के खिलाफ और केशव चन्द्र सिंह के खिलाफ भी लिखवाए हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस सबकी इन्क्वायरी एक हाईकोर्ट के जज से करा ली जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय। उनका कहना है कि मोहम्मद रफी खां, जो हमारी विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, पुलिस रिपोर्ट उनके खिलाफ है। क्या ठाकुर हर गोविन्द सिंह बेवकूफ थे या पंडित जवाहर लाल नेहरू की ज्वाइन्ट कांग्रेस के अक्ल नहीं थी जो एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो पाकिस्तान से सम्बन्धित था। चूंकि मोहम्मद रफी खां ने 6 लाख की रिश्वत का आरोप लगाया था और लिख कर दिया था, सदन में ही नहीं कहा था तो अगर वह गलत था तो वह उनके ऊपर मुकदमा चलवा सकते थे। मुझे नहीं मालूम कि विजिलेंस की जांच चल रही है या नहीं। अगर चल रही है तो अच्छा है। जब यह मेरठ में थे तो दो बसें अपने परिवार वालों के नाम खरीदीं थीं और वह दोनों बसें बांदा में माननीय राज्य मंत्री के जिले में प्लाई कर रही हैं। उन्होंने न लोगों के हथियार सस्पेन्ड करने के लिये कह दिया। क्या अब यह हो गया है कि चुने ग लोग जो इधर बैठते हैं उनके हथियार भी जब्त कर लिये जायेंगे। मेरा एक सवाल है जिसके जवाब में मंत्री जी ने लिख कर दिया है कि 19 ऐसे आदमियों को हथियार मिले थे जो हिस्ट्री शीटर्स थे लेकिन अब बन्द हो गई है। तो एक तरफ तो आप हिस्ट्री शीटर्स को हथियार देते हैं और दूसरी तरफ जो विधायक रह चुके हैं और बिलकुल नेशनलिस्ट आदमी हैं उनके हथियार जब्त करते हैं। यह आप हिन्दू मुस्लिम की भावना पैदा कराते हैं।

एक बार स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जब भारत सरकार में गृह मंत्री हुए तो उन्होंने अपनी कान्फीडेन्शियल फाइल पुलिस रिकार्ड से मंगाकर देखी। उसमें पुलिस वालों ने उनके लिये एक्स्ट्रीमिस्ट लिख रखा था। उन्होंने फिर उस रिकार्ड को नेहरू जी के पास भेजा कि देखिए मैं कहां एक्स्ट्रीमिस्ट रहा हूं। तो यह हाल है आपकी पुलिस का। वह जिसके विरोध में जो चाहे लिख देती है। वह सही बात नहीं लिखती। इसी तरह एक गलत बात जाकिर हुसेन साहब के लिये भी लिख दी गयी थी... (व्यवधान)

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह उनकी जान माल के खतरे से सम्बन्धित प्रश्न पर चर्चा है, कोई खतरा हो तो माननीय सदस्य बतायें, न कि वे भाषण अन्य बातों पर कर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मुझे माननीय पांडेय जी पर बड़ा तरस आ रहा है, मैं माननीय त्रिपाठी जी से कहूंगा कि वे गोस्वामी जी को हटा कर माननीय राज मंगल पांडेय जी को गृह मंत्री बना देंगे कि वे जवाब दें।

श्री उपाध्य —

आप अब मंत्री जी को सुन लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं पहले अपनी बात तो कह लूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अनेकों बार आई० जी० पुलिस और राज गृह मंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखी गयीं। कल ही हम लोगों की तरफ से एक चिट्ठी माननीय मुख्य मंत्री जी को दी गई है जिसमें हम लोगों ने कहा है कि इस तरह शस्त्रों का निलम्बित करने की जो कार्यवाही की गयी है वह इस चीज को बढ़ावा देती है कि हम लोग मजबूर होकर घिराव करें, धरना दें, प्रदर्शन करें हड़ताल करें संविधान के अन्तर्गत जो अधिकार हमें मिले हुए हैं उनका भी हनन किया जा रहा है। कल को मान लीजिये वह चुनाव में जीत कर एम० एल० ए० बनकर यहां आ जाता है तो क्या तब भी आप उसके हथियारों को निलम्बित कर देंगे ?

एक बात और मैं माननीय केशव सिंह जी के क्षेत्र की कहना चाहता हूं। 20 तारीख को वहां आपस में एक परिवार में झगड़ा हो गया। उस परिवार के दो भाइयों में आपस में झगड़ा था। एक पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा कि आप हमारे भाई की पत्नी को 3–4 घंटे के लिये पुलिस थाने में बिठा लें। तुरन्त एस0 पी0 का थानेदार के लिये हुक्म पहुंच गया। उसके भाई और उसकी औरत को थाने लाया गया। मौका पाकर दूसरे भाई ने सारी जायदाद आदि को लूट लिया। फिर दूसरे भाई और उसकी औरत को छोड़ दिया गया। क्या एस0 पी0 का यही काम रह गया है। अगर आपस का किसी का झगड़ा था तो दोनों के खिलाफ पुलिस को 107/117 की कार्यवाही करनी चाहिये थी। दोनों को ही बन्द करके जेल भिजवाया जा सकता था। मगर यह नहीं किया गया। पुलिस एक दल से मिली रही। उस क्षेत्र के विधायक वहां मौजूद रहे। उन्होंने उसकी सारी शिकायत भी की है। आप केशव सिंह जी से बुलाकर पूछ भी सकते हैं। आप चाहें तो उनका स्पष्टीकरण ले लें। उन्होंने सारी बातें मुख्य मंत्री जी को बतला भी दी हैं।

मान्यवर, यही नहीं दरोगा से कहा जाता है कि सुरेन्द्र विक्रम सिंह या हमारे दल के लोगों का कोई काम मत करो। मैं तो कहता हूं कि यदि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे यहां के दरोगा को बुलाकर उससे पूछें और उसको इसका पूरा आश्वासन दे दें कि सही बात कहने पर उसको कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा तो वह अवश्य यह कह देगा कि हां उससे यह बात कही गयी है कि सुरेन्द्र विक्रम सिंह का कोई काम न किया करो। हम लोगों का कितना ही सही काम क्यों न हो, वह नहीं होता है। मेरे क्षेत्र के हरिजनों का ही एक मामला था जिसके सम्बन्ध में प्रश्न भी आज 74 नम्बर पर था। एक बाल्मीकी को 24 तारीख को थाने में बुलाकर इस कदर पीटा गया कि वह मर गया। उसकी रिपोर्ट तक लिखायी गयी, मगर पुलिस ने उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिये नहीं भेजा।

श्रीमन्, जब एक तरफ सरकार कहती है कि हरिजनों के लिए जिलाधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि जो भी हरिजनों के प्रति ज्यादती होगी उसके प्रति बड़ी कार्यवाही तत्परता से की जायेगी और उनके लिए एक डी0 आई0 जी0 अलग से बना रहे हैं, उनके दूसरी तरफ उनके साथ घोर अत्याचार हो रहा है। मैं, उस सम्बन्ध में जो जवाब दिया गया है, पढ़कर सुनाये देता हूं। "प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-2-73 को थाना जेतीपुर, शाहजहांपुर पर श्री सोहन लाल वाल्म की मरूवा झाला ने उन्हें तथा उनके भाई को नामजद अभियुक्तों द्वारा मारने-पीटने एवं गाली गलौज करने की सूचना दी जिसके आधार पर धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग अंकित हुआ तथा घायलों को डाक्टरी परीक्षा कराने हेतु मेमो दे कर अस्पताल जाने को कहा गया"। जब कि वास्तविकता यह है कि न मेमो दिया गया और न जाने को कहा गया। अब आगे देखिए—"सुरक्षा की दृष्टि से दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। प्रस्तुत मामले में धारा 151 भा0 दं0 वि0 लागू नहीं होती"। यह इनका अब अन्याय देखिए जो पिटा और जिन्होंने पीटा उनको बराबर समझा जाता है, दोनों को एक समान समझ कर कार्यवाही होती है। अब गरीब आदमी कहां से पैसा लाएगा कि न्याय के लिए लड़ेगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, कोई सरकार की तरफ से सुन भी रहा है कि माननीय सदस्य बोले चले जा रहे हैं। मंत्री जी बैठ फाइलें देख रहे हैं। भैंस के आगे बीन बजाय, वाली बात है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

वहां बड़ी दलबन्दी है। 3 तारीख को ब्लाक प्रमखों का एलेक्शन हुआ और 2 तारीख को मेरे घर पर वहां का एक सिपाही आया और मुझसे कहा आ कर यह कि एस0 पी0 ने कहा

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

है कि आप अपने बन्दूक, हथियार जमा कर दें। मैंने कहा मैं तो यह नहीं करूंगा, जबकि पार्लियामेन्ट के एलेक्शन के समय हमारे लिए विशेष रूप से इस बात की व्यवस्था की गई थी। इसके दूसरे दिन देखा हमारे विरोधी लोग एक बड़ी तादाद में बन्दूक, पिस्तौलों से लैस चारों ओर घूम रहे हैं, सब को छूट मिली है, यह तो भेदभाव और ज्यादती की सीमा है। इतना सब होन के बाद भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। मैं इसकी मांग करता हूं कि इस तरह से प्रदेश में जनतंत्र नहीं चलेगा। उस पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई, तो हमें मजबूर होकर भूख-हड़ताल, धरना आदि करना पड़ेगा, जो प्रजातांत्रिक तरीके हमें महात्मा गांधी ने अपनाने को सिखाये हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

इनकी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी जाय, होम गार्ड वगैरह रख दिये जाएं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

एक शब्द भी इनका किसी जिम्मेदार मंत्री ने नहीं सुना है, यह फाइलें उलट रहे थे, जिन फाइलों का सम्बन्ध इस मामले से है नहीं। तो यह चर्चा आज की बेकार हुई। जिन लोगों का सम्बन्ध इस आरोप से है वे भी यहां घूमते फिर रहे हैं, जगह-जगह अपनी कोशिश कर रहे हैं। सही चर्चा तो तब हो जब मंत्री जी विचार कर के आएं और यहां ध्यान से बात सुनें।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

श्रीमन्, माननीय सदस्य का यह कहना कि मैं फाइलें पलट रहा हूं, सुन नहीं रहा था, मैं अपने बुजुर्ग माननीय सदस्य से क्या कहूं, जब हमें माननीय सदस्य की बातों का जवाब देना है, तथ्य देने हैं, माननीय सदस्य की समस्याओं पर प्रकाश डालना है तो सम्बन्धित फाइलों को देखूंगा नहीं तो जवाब कैसे दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि उस फाइल का सम्बन्ध इस मामले से नहीं है, तो वह भी ठीक नहीं है, उसी केस की यह फाइल है। इसके पहले एक अल्पसूचित प्रश्न के जरिये जब यह प्रश्न आया था, मैंने सारी समस्या पर बड़े स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला था। उस दिन मैंने यह भी स्पष्ट किया था कि जो आरोप हैं उनकी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधिवत् जांच कराई गई है, और उसके जो तथ्य थे, जो निष्कर्ष थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि वे बिलकुल निराधार थे। उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें सच्चाई का अंश हो। इसके साथ-साथ सम्मानित सदस्य से यह भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस तरह जीवन का कोई खतरा उनको नहीं है और फिर भी प्रशासन और शासन बड़ा सतर्क है इस बारे में कि उनकी पूरी सुरक्षा हो, उनके बारे में विशेष ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी दुर्घटना न होने पावे। लेकिन जब आपने इस पर पुनः चर्चा की अनुमति दी, तो इसमें माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे प्रश्न उठाये कि मकान बनवाने के लिए सीतापुर से सामान गया।

मान्यवर, अलीगढ़ में इनके खिलाफ एडवर्स एंट्री हुई। इसका कौन सा सम्बन्ध है? राज्य मंत्री जी ने जांच वापस ले ली है। न जांच करायी न जांच वापस ली गयी है। कौन सी जांच चल रही है, वह अपनी जगह पर है उसके बारे में न अधिकार है न जानकारी है न मैं वापस लेने के लिए तैयार हूं। जो जांच चल रही है निश्चित रूप से चलेगी। जो तथ्य ह वह सामन आयेंग। मुझे न कोई आदेश हुआ न वापस लेन की बात सोच सकता हूं। रही मकान बनाने की बात, वह भी ऐसी नहीं है जिससे माननीय सदस्यों की जान माल का सम्बन्ध हो। अगर भ्रष्टाचार की बात है तो जांच में आना चाहिए, अधिकारी दण्डित होगा। इसलिय कि सीतापुर से बिल्डिंग मैटीरियल अलीगढ़ आया इसलिए जान माल का खतरा हो गया तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वह उस समय सीतापुर में थे, अलीगढ़ में कम्यूनल रायट हुआ तो विशेष रूप में उनको भेजा गया। यहां मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि उन्होंने बड़ी कर्मठता से उसको

शान्त किया। उस समय के तत्कालीन मुसलिम अधिकारियों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। मैं किसी व्यक्तिगत अधिकारी या व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी की प्रशंसा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। लेकिन तथ्य को प्रकाश में लाना, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण करना आवश्यक समझता हूं। अलीगढ़ की प्रायः कोई शिकायत नहीं आयी बल्कि उनके कार्यों की प्रशंसा ही हुई। उन्होंने पालिटिकल सफरर का सर्टिफिकेट दिया। यह स्पष्ट है कि अगर पालिटिकल सफरर रहे होंगे तो यह तथ्य दिया होगा। अगर झूठा तथ्य है तो जांच हो सकती है। लेकिन उससे माननीय सदस्यों को जान माल का खतरा कहां से हो गया ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

जान माल का खतरा राज नारायण मिश्र का हो गया। आपने क्या किया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

चूंकि सुरक्षा का उत्तरदायित्व शासन का है, शासन उसकी देखभाल करता है।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)---

एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछले नौ महीने के अन्दर उन विधायकों के ऊपर कोई हमले हुए और कोई ऐसी रिपोर्ट हुई या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं किया कि आपके ऊपर हमला हुआ है। (व्यवधान) जरा मुझे कह लेने दीजिए। रफ्फन जी के बारे में अनेक बातें हैं, उस समय जो मैंने पत्रावली देखी और इसके पहले भी पत्रावली के आधार पर उत्तर दिया था। कई बार श्री रफ्फन जी के या उनके परिवार वालों द्वारा सूचना दी गयी उनके घर पर डाकू आते हैं जब कि वह नहीं रहते। अपनी छत से जो पास में बसे हुए कहार हैं उन पर फायर करके उनको आतंकित करने की सूचना उनके पास आयी और कुछ आरोप थे जिनको जनहित में यहां बताना उचित नहीं है। यदि उन परिस्थितियों में कार्यवाही की जाती है, यदि गलत है तो उसको देखा जा सकता है। लेकिन यह कह देना कि एक तरफा हो रहा है उचित नहीं है। यह प्रशासन के काम में रुकावट और अड़ंगा डालना है। कोई भी इसको प्रशासनिक दृष्टि से उचित समझने के लिए तैयार नहीं है न होना चाहिए। बसें चल रही हैं। मैं मानता हूं कि यदि बसें चलती हैं, उनकी पत्नी, उनके नाम या उनके लड़कों के नाम, या उनके परिवार वालों के नाम परमिट्स हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। परिवार की बहुत वृहत परिभाषा है। कितने ही माननीय सदस्यों, सरकारी कर्मचारियों या नागरिकों के परिवार में किसी न किसी रूप में व्यवसाय होता है। उसको इस ढंग से प्रस्तुत करना, उसके जान माल के खतरे से सम्बन्ध जोड़ देना न्यायोचित नहीं है।

श्री शिवकुमार (जिला शाहजहांपुर)---

मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

बोल लेने दीजिए फिर स्पष्टीकरण कर लीजियेगा।

मान्यवर, उस दिन भी माननीय सदस्य ने स्थानान्तरण की बात कही थी लेकिन सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण कोई मौरूसी नहीं होता है। उसके लिये निश्चित समय होता है। अगर बीच में प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसी बातें आ जाती हैं कि स्थानान्तरण जरूरी होता है तो

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

निश्चित रूप से कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा लेकिन अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित समझा जायेगा तो जरूर किया जायेगा। माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन वह एक ऐसे वर्ग से सम्बन्धित हैं जो रूलिंग रेस है और जो आदेश देने की आदी रही है। उनके आदेश का अगर पालन नहीं किया जाता है तो वह असंतुष्ट तथा क्रोधित हो जाते हैं और फिर हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेरे पास पत्र हैं जिनमें जब खुश थे तो तारीफ करते थे लेकिन जब नाराज हो गये तो हटाने की प्रक्रिया चल जाती है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

गोस्वामी जी जिनकी वकालत कर रहे हैं वह भी तो आपकी ही जाति के हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ब्राह्मण रूलिंग रेस कभी नहीं रही। आप क्षत्री लोग ही रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

गोस्वामी जी यह भी जरा बतला दें कि राममूर्ति 'अंचल' जी तो उनकी जाति के नहीं हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या कारण है कि विरोधी दल तथा रूलिंग कांग्रेस के विधायक इस पुलिस अधीक्षक के खिलाफ हैं और किन कारणों से रफत मियां के असलाह का लाइसेन्स निलम्बित किया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

एक माननीय सदस्य के परिवार से उनका सम्बन्ध हो या न हो लेकिन उनके खिलाफ ऐसी घटनाओं तथा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पुलिस में रिपोर्ट हुई जो उचित नहीं थी। जब पुलिस ने कार्यवाही शुरू की तो यह शिकायतें शुरू हो गयीं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

इन एस0 पी0 साहब के जमाने में ही चोरी और डकैती उनके परिवार के लोग....

एक सदस्य---

मैं चाहूंगा कि केशव सिंह जी स्वयं मौजूद हैं। वह अपना बयान दे दें।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं कह रहा था कि केशव सिंह के परिवार के बारे में जो रिपोर्ट हुई है चोरी तथा डकैती की वह इन एस0 पी0 साहब के जमाने में ही हुई या पहले भी हुई? उनका परिवार ऐसा है कि उनके पिता जी बहुत बड़े पोलीटिकल सफरर रहे, कौंसिल के सदस्य रहे और आज उनके परिवार के लोग डकैत हो गये यह बात समझ में नहीं आती?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह आरोप नहीं लगाया गया कि वह डकैत हो गये हैं और न उनके सम्मान के विरुद्ध कोई बात ही कही गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

डी0 आई 0जी0 अथवा कमिश्नर के लेविल से जांच कराने को आप तैयार हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

कमिश्नर के लेविल से जांच करा दी जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप यह आदेश दे दें कि कमिश्नर के लेविल से जांच करा दी जायेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

निश्चित करा दी जायेगी ।

श्री बंशीधर पांडेय--

न्यायिक जांच करा दीजिए ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

पराकाष्ठा पर पहुंचने से कोई लाभ नहीं होने का ऐसा आप समझ लें ।

श्री बंशीधर पांडेय---

हाइपाथिटिकल जवाब आप न दें । आप इस बात के लिये तैयार हैं कि एस0 पी0 को हटा कर एस0 पी0 के तथा विधायकों के खिलाफ न्यायिक जांच कर दी जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

राममूर्ति 'अंचल' के सुपुत्र भट्ठे का काम करते हैं और वह मजदूरों को पेशगी रकम भी देते हैं । जनवरी के महीने से पहले उनके लेबर भाग गये और उन्होंने दफा 107 में अपनी रिपोर्ट लिखाई । ये लोग हमारे रुपये को लेकर भाग गये हैं और पुलिस से यह कोशिश की गई है कि हमारा रुपया वापस कर दिया जाय । क्या इस बात की सूचना मंत्री जी को है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसकी सूचना तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है । मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि लाइसेन्स निरस्त करने के बारे में उन्होंने रिकमेन्ड किया है । स्वाभाविक है कि पुलिस में जब उसके द्वारा अनावश्यक फायर करने के आरोप आते रहे और नीचे के लोगों पर फायर . . .

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

मान्यवर, जानबूझ कर रिपोर्ट करवाई गई । इतने दिनों से ये बेइमान नहीं थे, उनमें कोई खराबी नहीं थी और एक ही दिन में वह सब चीजें आ गई . . .

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ही यह कह सकते हैं कि रिपोर्ट करवाई गई । मैं तो यह कहने का साहस नहीं कर सकता । जो आरोप आये हैं उनका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर हो जाता है कि उसकी जांच करवा ली जाय । . . . (घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

मैंने तीन चार चिट्ठियां इस सम्बन्ध में दी हैं लेकिन उसकी प्राप्ति के बाद भी कोई जवाब नहीं आया ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

जो इलासेन्स निरस्त करने की रिपोर्ट एस0 पी0 ने दी है उसमें जिलाधिकारी ने निर्णय दिया होगा । वह क्या निर्णय है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, एस० पी० रिकमेन्ड करता है और जिलाधिकारी कार्यवाही करता है। इस समय जिलाधिकारी के आदेश मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी अन्तिम अधिकारी है वह पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर निर्णय लेता है। अकेले पुलिस अधीक्षक कोई निणय नहीं लेता।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, जिस लहजे में और जिस अन्दाज में माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया है उस पर घोर आपत्ति करते हुए मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि उनकी स्पीच जनतंत्र के लायक नहीं थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है जैसा कि माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी ने कहा है कि डी० आई० जी ने जांच की है ? तो क्या इस शिकायत के अनुसार कोई जांच की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह तो मैं इस समय नहीं कह सकता हूं कि पूछताछ की गई है अथवा नहीं लेकिन डी० आई० जी० की रिपोर्ट है . . . (घोर व्यवधान) किसको बुलाया गया किसको नहीं बुलाया गया यह तो मेरे पास नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आपने एक सवाल किया है, आप सुन लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जब एक विधान सभा के माननीय सदस्य यह रिपोर्ट लिख कर दे रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है तो क्या आपको उनकी इस सूचना पर यकीन नहीं होता है और किस कानून के मुताबिक आप पुलिस अधिकारी की बात को सच मान रहे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने पुलिस अधिकारी की बात को सच माना है, उसकी बात को सच मानने न मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। वहां के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी और जो जांच रिपोर्ट आयी उसके आधार पर माननीय सदन को मैंने सूचना दी है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

यहां दो तीन माननीय सदस्यों का जिक्र आया और उनके नाम भी लिये गये, वैसे तो कृपा करके आपने उनका नाम नहीं लिया, मैं नहीं जानता उनका किसकी तरफ इशारा था, यह बात सिर्फ एक माननीय सदस्य के विरुद्ध या उनके परिवार जनों के विरुद्ध है, तो जब यह रिपोर्ट हुई पहले उस समय भी यही एस० पी० महोदय थे, इस पर भी सरकार ने बिचार किया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

उस समय की भी है और पहले की भी है, ऐसी मेरी सूचना है।

श्री केशव चन्द्र सिंह (जिला शाहजहांपुर)---

मैं चुनौती देता हूं मिनिस्टर साहब को कि ऐसी कोई रिपोर्ट पहले मेरे खिलाफ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, बिल्लाने की बात नहीं है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरा निवेदन है कि इसकी जांच के लिये आप कमिश्नर को आदेश दें और कमिश्नर की जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर कार्यवाही की जाय।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैंने पहले ही कहा कि कमिश्नर से जांच करा लेंगे, हम जांच करवाने में थोड़े ही पीछे रहते हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

कमिश्नर से नहीं इसके लिये इनक्वायरी कमीशन बिठाइये।

(व्यवधान)

कल से शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय यहां किस काम से काहे के लिये आये हुए हैं?

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

कल उनकी मोटर दिन भर दौड़ती रही।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो माननीय सदस्य ने अपनी जान के खतरा होने की सूचना उनको दी है उसको असत्य मानने के सिवा इसके और कोई कारण नहीं है कि पुलिस के उच्च अधिकारी ने उनको रिपोर्ट दी है और माननीय सदस्यों का यह कहना है कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वह किस जांच पर आधारित है जब कि उनसे उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की गयी है, तो क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जैसा कि मांग की जाती है, कमिश्नर से इसकी जांच आप करावेंगे? जो शिकायतकर्ता हैं उनका कहना है कि आई0 जी0 पुलिस, उत्तर प्रदेश से इसकी जांच करावेंगे और जो जांच करायी जाय उसमें यह भी आदेश देंगे कि इन लोगों से भी पूछताछ की जाय और जो ये साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहें उसके लिये भी पूरा मौका दिया जाय?

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, सदन में जब कोई प्रश्न उठाया जाता है तो उसकी जांच पड़ताल करायी जाती है। माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी ने प्रश्न उठाया था और उस पर जो रिपोर्ट आयी उसको पढ़ कर सुना दिया गया। अब उस रिपोर्ट में जो बातें हैं, उस रिपोर्ट को पेश करने के माने यह नहीं है कि सरकार रिपोर्ट की सारी की सारी बातों को मंजूर करती है। जो सूचना आयी वह सूचना उनको दे दी गयी, इसके लिये यही एक तरीका होता है और सदन का भी यही तरीका है और शासन का भी यही तरीका है कि जब कोई प्रश्न उठाया जाय तो उसकी जांच करायी जाय और जब उसकी रिपोर्ट आवे तो वह पेश कर दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

यह आपने अपने एजेंडे में भी रखा है। हमने यहां रिपोर्ट पेश कर दी तो इसके यह माने कतई नहीं है कि हम उसकी सत्यता का संकल्प करते हैं या उसको सच मानते हैं। अगर कोई समझता है कि इंक्वायरी करा ली जाय क्योंकि जो इंक्वायरी हुई है उसमें तथ्य नहीं आये या जिससे पूछताछ की जानी चाहिये थी उससे नहीं की गई तो पुनः जांच करा ली जाय। इससे इन्कार नहीं कर रहे हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि कमिश्नर या आई० जी० से जांच करा लेंगे और जो वह रिपोर्ट देंगे वह आपके सामने पेश कर देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि संबंधित डी० आई० जी० ने उनका कोई बयान नहीं लिया और उनसे कोई पूछताछ नहीं की और एक तरफा उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है तो कानून की नजर में भी यह जांच नहीं मानी जा सकती है तो जिस अधिकारी ने यह जांच की है क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, जब जांच होगी तो यह प्रश्न भी सामने आयेगा और जब यह प्रश्न आयेगा और रिपोर्ट आयेगी तो कार्यवाही कर सकते हैं। अगर कार्यवाही करने लायक होगी तो क्यों नहीं की जायेगी।

श्री बंशीधर पांडेय---

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे आई० जी० महोदय से जांच करा लेंगे तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जब आई० जी० से जांच करायेंगे और जिस अधिकारी के खिलाफ यह सारा वातावरण है उसको वहां से हटा कर जांच करायेंगे जिससे निष्पक्ष जांच हो सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं समझता हूं कि जब आई० जी० से जांच कराने की बात है तो यह बात भी उनके ऊपर ही छोड़नी चाहिये क्योंकि आई० जी० छोटे से पुलिस अधिकारी के प्रभाव में आ जायेगा, यह आप नहीं कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल दिन के 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बज कर 39 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
29 मार्च, 1973।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

क्रम-संख्या	आवेदक का नाम
1	श्री सिया राम महेश्वरी
2	श्री कन्हैया लाल
3	श्री संगम लाल सिंह
4	सर्वश्री मोदीराम रामलाल
5	श्री लाजपत राय
6	श्री कामेश्वर नाथ श्रीवास्तव
7	सर्वश्री बद्री प्रसाद अमरनाथ
8	सर्वश्री एम0 एल0 भट्टाचार्या एण्ड कम्पनी
9	श्री लाल सुधाकर सिंह
10	श्री सुभाष चन्द्र
11	श्री छबि नाथ सिंह
12	सर्वश्री सिलिका सैन्ड ट्रेडिंग कम्पनी
13	श्री गुरु चरन सिंह
14	सर्वश्री सिलिका सैन्ड ट्रेडिंग कम्पनी
15	सर्वश्री लक्ष्मी माइनिंग ट्रेडिंग कम्पनी
16	सर्वश्री हरि मन्दिर मिनरल ट्रेडर्स
17	श्री इन्द्र सिंह अरोरा, प्रो0 सरदारी लाल इन्दर सिंह
18	श्री चन्द्र प्रकाश अरोरा
19	श्री लाल रत्नाकर सिंह।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

सूची

चालान किये गये लोगों के बारे में विवरण

धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत जिन आदमियों का चालान किया गया उनका विवरण:--

1--रामजी राम पुत्र किरंगी राय, सा0 डडौल टोला बजदेही, थाना गुठनी, जिला सिवान (बिहार)।

2--सीताराम पुत्र खुशी तेली, सा0 भजनछापर निवरथा, थाना खामपार।

3--राम वृक्ष पुत्र रामजत, सा0 बासों पट्टी थाना बनकटा।

धारा 110 द0 प्र0 संहिता के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों का चालान किया गया उनका विवरण--

1--बाबूराम पुत्र सुब्बन यादव, सा0 किशोरी छापर, थाना बनकटा।

2--नथुनी पुत्र राजबंशी यादव, सा0 किशोरी छापर, थाना बनकटा।

3--राम कृपाल पुत्र कन्हई, सा0 दास नरहिया, थाना बनकटा।

धारा 60 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों का चालान किया गया उनका विवरण--

1--जगलाल गोंड पुत्र बिजली, सा0 सोहगढ़ टोला कुसम्हा, थाना गुठनी, जिला सीवान (बिहार)।

2--जमुना पुत्र दीपलाल, सा0 धुमरी सराय, थाना बनकटा।

3--उमाकान्त पुत्र जमुना, सा0 धुमरी सराय, थाना बनकटा।

4--तोमो पुत्र रामधारी, सा0 गाड़ीपुर, थाना मीरगंज, जिला छपरा (बिहार)।

5--दल सिंगार पुत्र सोहावन नर, सा0 बेतपुरा, थाना बनकटा।

6--राम कृपाल पुत्र कन्हई, सा0 दास नरहिया, थाना बनकटा।

7--विट्ठल हरिजन पुत्र रामजस, सा0 अहिरौली, थाना बनकटा।

8--मुहर्रम पुत्र मौला, सा0 दास नरहिया, थाना बनकटा।

9--रामनगीना पुत्र राम सागर, सा0 इन्दरवा, थाना बनकटा।

10--राम पूजा पुत्र मक्कू, सा0 बगराआ, थाना बनकटा।

धारा 109 दं0 प्र0 संहिता के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों का चालान किया गया उनका विवरण--

1--हेमा पुत्र काली चरन यादव, सा0 खुखसिया, थाना बनकटा।

2--बुद्धू कोयरी पुत्र राम लाल, सा0 खुखसिया, थाना बनकटा।

धारा 3/7 एसेंशल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों का चालान किया गया उनका विवरण--

1--उमरल्ली पुत्र मोहर मियां, सा0 सुन्दर पार, थाना बनकटा।

2--मुनीर पुत्र देवकी अंसारी, सा0 दास नरहिया, थाना बनकटा।

3--श्री किशुन गौड़ पुत्र रामजतन, सा0 दास नरहिया, थाना बनकटा।

4---रामचीज पुत्र भवन भगत, सा0 रघुनाथपुर, थाना बनकटा।

5---घुरहू कान्हू पुत्र देवकी कान्हू, सा0 सोहनपुर, थाना बनकटा।

6---बाबू लाल पुत्र शिव राज कान्हू, सा0 सोहनपुर, थाना बनकटा।

7---झम्मन कानू पुत्र देवकी कानू, सा0 सोहनपुर, थाना बनकटा।

धारा 13 गेम्बलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों का चालान किया गया उनका विवरण---

1---नथुनी पुत्र राम प्रसाद, सा0 भैंसही थाना बनकटा, जिला देवरिया।

2---रामजीत पुत्र जानकी, सा0 सोहनपुर, थाना बनकटा, जिला देवरिया।

3---सच्चालाल पुत्र दीपा भगत, सा0 भैंसही, थाना बनकटा।

4---शिवराज पुत्र भीखा हरिजन, सा0 बंजरिया, थाना बनकटा, जिला देवरिया।

5---घुरहू पुत्र देवकी, सा0 सोहनपुर, थाना बनकटा।

6---बाबूलाल पुत्र शिवराज, सा0 नोनार पांडे, थाना बनकटा।

7---उमरल्ली पुत्र मोहन मियां, सा0 सुन्दरपार, थाना बनकटा।

8---मुनीर पुत्र देवकी अंसारी, सा0 दास नरहिया, थाना बनकटा।

9---श्री कृष्ण गौड़ पुत्र जतन, सा0 दास नरहिया, थाना बनकटा।

10---रामचीज पुत्र भवन, सा0 रघुनाथपुर, थाना बनकटा।

11---झम्मन पुत्र देवकी, सा0 सोहनपुर, थाना बनकटा।

12---वकील पुत्र अली हसन, सा0 बंजरिया, थाना बनकटा।

13---नगीना पुत्र कपसी, सा0 बंजरिया, थाना बनकटा।

14---हसनू पुत्र जमराती, सा0 बंजरिया, थाना बनकटा।

धारा 147/323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों का चालान किया गया उनका विवरण---

1---केदार तिवारी पुत्र नथुन तिवारी, सा0 नोनारपाण्डे, थाना बनकटा।

2---नागनाथ तिवारी पुत्र रामजनक तिवारी, सा0 नोनारपाण्डे, थाना बनकटा।

3---नथुन तिवारी पुत्र नागनाथ तिवारी, सा0 नोनारपाण्डे, थाना बनकटा।

4---शिवजी तिवारी पुत्र नागनाथ तिवारी, सा0 नोनारपाण्डे, थाना बनकटा।

5---शंकर तिवारी पुत्र नागनाथ तिवारी, सा0 नोनारपाण्डे, थाना बनकटा।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

तालिका

अपराध	1970		1971		1972		1-1-73 से 31-1-73 तक	
	मुकदमात	अभियुक्त जो गिरफ्तार किए	मुकदमात	अभियुक्त जो गिरफ्तार किए	मुकदमात	अभियुक्त जो गिरफ्तार किए	मुकदमात	अभियुक्त जो गिरफ्तार किए
1—हत्या ..	53	95	61	161	67	123	4	7
2—डकैती ..	58	534	72	736	38	350	3	21
3—राहजनी ..	67	70	63	85	64	94	10	8

अनुवादक विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 19–20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48–49 पर)

प्रश्न 19	रु0
(1) कुलपूंजी	1,00,00,000
(2) उ0 प्र0 सरकार द्वारा उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक निगम के माध्यम से विनियोजित पूंजी	51,00,000
(3) मेंसर्स बेलपहार रिफैक्ट्रीज लि0, जमशेदपुर (टाटा में एक कम्पनी) द्वारा विनियोजित पूंजी	49,00,000

(4) संचालक मण्डल––

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक निगम के प्रतिनिधि।	1––श्री राजेश्वर प्रसाद, सचिव, उद्योग विभाग	अध्यक्ष
	2––श्री गुलाम यजदानी, प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक निगम।	निदेशक
	3––श्री जे0 एल0 बजाज, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0।	निदेशक
	4––श्री रवि प्रकाश, निदेशक, भूतत्व तथा खनिकर्म, उत्तर प्रदेश।	निदेशक
बेलपहार रिफैक्ट्रीज के प्रतिनिधि	5––श्री आर0 एस0 पाण्डेय, निदेशक, बेलपहार रिफैक्ट्रीज लि0 तथा प्रबन्ध निदेशक, टाटा स्टील।	निदेशक
	6––श्री बी0 कृष्णमूर्ति, निदेशक, बेलपहार रिफैक्ट्री लि0 तथा वित्त एवं लेखा नियंत्रक, टाटा स्टील।	निदेशक
	7––श्री एस0 चन्दर, निदेशक, बेलपहार रिफैक्ट्रीज एन्ड प्रोजेक्ट निदेशक, मेंसर्स टिनप्लेट कंपनी।	प्रबंध निदेशक।

5––कारखाना चालू होना––

इस कारखाने में 2 शिफ्ट किलन्स होंगी जिसमें से एक किलन अप्रैल, 1973 में और दूसरी उसके दो माह बाद चालू हो जाने की आशा की जाती है।

6—अधिकारी एवं कर्मचारी—

28 फरवरी, 1973 को विभिन्न वेतनमानों के अनुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार से थी:

वेतन-मान			कर्मचारियों की संख्या
निपुण तथा अनिपुण मजदूर (डेलीवेजेज)	..	..	239
200 रु0 तक पाने वाले व्यक्ति	..	..	63
201 से 350 रु0 प्रतिमास	..	..	11
351 रु0 से 500 रु0 प्रतिमास	..	..	3
501 रु0 से 1,000 रु0 प्रतिमास	..	..	9
1,001 रु0 से 1,500 रु0 प्रति मास	..	..	4
1,501 रु0 तथा उससे अधिक	..	..	2
			341

(7) कर्मचारियों का क्षेत्रानुसार विभाजन:

1—स्थानीय एवं पर्वतीय क्षेत्र के	..	..	323
2—पर्वतीय क्षेत्र के बाहर के/(प्रदेश के)	..	..	9
3—उत्तर प्रदेश के बाहर के	..	..	9
4—हरिजन (उक्त तीनों श्रेणियों में सम्मिलित)		..	105

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न (20) अर्जित भूमि :

(क) 1 फरवरी, 1973 तक अर्जित भूमि का विवरण:

ग्राम	अर्जित भूमि		अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों की संख्या	प्रभावित लोगों में हरिजन परिवारों की संख्या	मुआवजे की दर	देय मुआवजा	भुगतान किया गया धन
					रु0	रु0	रु0
1—झिरौली ..	334	10/16 नाली	85 परिवार	69	सिंचित भूमि	89,649.44	74,392.78
2—बसखोला	414	15/16 नाली	35 परिवार	..	हेतु 555 रु0 प्रति नाली	1,26,526.47	1,07,586.82
3—करासीबूंगा	96	2/16 नाली	134 परिवार	2	अव्वल भूमि	31,955.32	..
4—करासीबूंगा का चक सकार पैठाण।	32	10/16 नाली	126 परिवार	4	277 रु0 प्रति नाली और	17,717.90	..
5—सिंदूरी	134	1/16 नाली	59 परिवार	3	दोयम भूमि	81,286.49	..
योग ..	1,012	6/16 (लगभग 50.6187 एकड़)	439 परिवार	78	185 रु0 प्रतिनाली	2,47,135.62	1,81,979.60

(ख) प्रतिकर का भुगतान।

ग्राम करासीबूंगा, करासीबूंगा चक सकार पैठाण और सिन्दूरी के किसानों का मुआवजा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान की व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायेगा। जहां तक ग्राम झिरौली तथा बसखोला की क्रमशः 15,256.66 रु0 और 18,957.65 रु0 की शेष धनराशि का भुगतान सम्बन्धित किसानों के उपलब्ध न हो सकने अथवा उनका स्वर्गवास हो जाने के कारण नहीं हो सका है।

(ग) ग्राम झिरौली तथा सखोला के निवासियों ने भूमि के बदले भूमि की मांग की है। झिरौली तथा बसखोला के क्रमशः 7 तथा 11 परिवार उक्त भू अर्जन से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इन लोगों के पुनर्वास हेतु सुरक्षित वन में 16.5 एकड़ भूमि का चयन किया गया है और इस भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 18 एल0 ए0—1974—835।